Par. S. 17. I. 32. 52.
285

अंक १

संख्या ३२

मंगलवार,

१ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २००३—२०४८]

(मूल्य ४ आने)

347 PSD

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस्सत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित— अनुसूचित जातियां)

कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)

कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)

कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)

कांबले, श्री देवरोआ नामदे [illegible]रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित [illegible])

काचि रोयर, श्री [illegible] डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)

काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)

काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)

किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)

केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)

केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)

कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)

खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)

खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)

गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)

गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)

गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटन)(मु)
प्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
ुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
ुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
ुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
ोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
ोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
ोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
ोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
ौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
ौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
ौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

ोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
ोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

क्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
टर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
टर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
टर्जी, डॉ० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
डुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
ुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
हा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ो, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
डक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
ड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
ुरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
टयार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर, (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी' (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना. पश्चिम)

तेल्कीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ़्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा—पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल भानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूष्णन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोटय्यम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रज़मी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासम शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, १ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बूंदी, कैम्बे तथा किशनगढ़ में टेलीफ़ोन व्यवस्था

*१३४३. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बूंदी, कैम्बे तथा किशनगढ़ की टेलीफ़ोन व्यवस्था को, जिस का प्रबन्ध असरकारी समवायों द्वारा किया जाता है, ले लेने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किये गये हैं; तथा

(ख) यदि किये गये हैं, तो क्या यह सब या कोई व्यवस्थायें सरकारी प्रबन्ध में ली जा चुकी हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने किशनगढ़ की टेलीफ़ोन व्यवस्था तो १ मई, १९५२ को अपने हाथ में ले ली है । शेष दो टेलीफ़ोन व्यवस्थाओं को—बूंदी और कैम्बे की—ले लेने की बातचीत जारी है ।

खाद्यान्नों की आरक्षित मात्रा

*१३४४. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५२ को ऐसे खाद्यान्न की मात्रा क्या थी जिसे संकट काल के समय दिये जाने के हेतु आरक्षित रखा गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): ३१ मार्च, १९५२ को केन्द्र के पास ३४,००० टन खाद्यान्न आरक्षित था । इसके अतिरिक्त कुल २,३९४,००० टन खाद्यान्न राज्य सरकारों के पास था ।

चलते-फिरते डाकघर

*१३४५. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रात्रि चलिष्णु डाकघर चालू करने का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है ?

(ख) इस समय यह सुविधा किन किन शहरों में है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) नागपुर, मद्रास, दिल्ली और कानपुर ।

ग्रामीण डाकघर

*१३४६. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पश्चिमी बंगाल सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल के समक्ष ३१ मार्च, १९५२

को ऐसे कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन थे जिन में २,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों के संहत एककों में ग्रामीण डाकघर खोलने का आवेदन किया गया था ;

(ख) आवेदनों में से कितने ऐसे गांवों के रहने वाले हैं जिनकी जनसंख्या २००० है ;

(ग) कितने प्रार्थनापत्र पोस्ट मास्टर जनरल के पास एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हुये हैं ; तथा

(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें गांवों के आवेदक यह वचन देने के लिये तैयार हैं कि हानि होने की दशा में वह प्रत्येक वर्ष उसका एक अंश देंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५४२ ।

(ख) १३ ।

(ग) ३३१ ।

(घ) ७३ ।

रेल डब्बे

***१३४८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार जापान से कुछ रेल डब्बे तथा अन्य सामान मंगाने का है ;

(ख) यदि है, तो सरकार किस प्रकार के डब्बे खरीदना चाहती है ; तथा

(ग) कितने मूल्य के ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) तथा (ख). इस समय जापान से पूरे बने बनाये रेल के डब्बे खरीदने का सरकार का कोई विचार नहीं है, परन्तु सवारी गाड़ी के छोटी लाइन के डब्बों के १० ढांचों के लिये हाल ही में एक जापानी सार्थ को प्रयोग के रूप में एक आर्डर दिया गया है ।

(ग) लागत का अनुमान १,९२,०६० रुपये लगाया जाता है ।

त्रावनकोर-कोचीन में धान का समाहार

***१३४९. श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन की सरकार ने उसे धान के आन्तरिक समाहार से मुक्त कर दिये जाने का अभ्यावेदन किया है ?

(ख) राज्य की कुल आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग राज्य के आन्तरिक समाहार से पूरा किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य की कुल खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता का लगभग १७ प्रतिशत भाग स्थानीय समाहार द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं

***१३५०. सेठ गोविन्द दास :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दीर्घकालीन भुगतान योजना के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका से अब तक प्राप्त हुए गेहूं की कुल मात्रा क्या है ?

(ख) कुल कितना भुगतान करना होगा और किस समय तक ?

(ग) ब्याज की दर क्या है ?

(घ) इस योजना के अनुसार आयी मात्रा में से क्या कुछ अन्न सुरक्षित रखा गया है, और यदि रखा गया है तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १० जून, १९५२ तक इस ऋण के अन्तर्गत अमरीका से लगभग १,८०५,५०० टन गेहूं प्राप्त हुआ है ।

(ख) ऋण की कुल राशि १९ करोड़ डालर है जो सन् १९८६ तक वापस दी जानी है ।

(ग) $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(घ) बाहर से मंगाये गये गेहूं में से कुछ सुरक्षित रखा तो जा रहा है ; परन्तु ऋण के धन से खरीदा जाने वाला गेहूं अलग नहीं रखा जाता है, अतः यह कहना कि इसमें से कितना ऋण के धन से खरीदा हुआ है, सम्भव नहीं है ।

चावल

*१३५१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी राज्य ने जरूरतमन्द क्षेत्रों में बांटे जाने के लिये चावल देने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो राज्य द्वारा दिये गये चावल की मात्रा और ऐसे चावल की मात्रा क्या है जो उस की आवश्यकता से अधिक उसके पास है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां । मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पैप्सू, कुर्ग और विन्ध्य प्रदेश ने यह घोषणा की है कि उन के पास अपनी अपनी आवश्यकता से अधिक चावल हैं जो वह खाद्य अभाव वाले क्षेत्रों को सन् १९५२ में बांटे जाने के लिये उसे दे सकते हैं ।

(ख) एक विवरण जिसमें ऐसे चावल की मात्रायें दी गई हैं जो १-१-५२ से २६-६-५२ तक की अवधि में उनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक था और उन्होंने राज्य से बाहर भेजे जाने के लिये प्रस्तुत किया, सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

('००० टनों में)

राज्य	१-१-५२ से २६-६-५२ तक की समयावधि में बाहर भेजे जाने के लिये दिये गये चावल की मात्रा
मध्य प्रदेश	८३
उड़ीसा	८३
पंजाब	१८
उत्तर प्रदेश	१५
पैप्सू	१
कुर्ग	८
विन्ध्य प्रदेश	१
कुल योग	२०९

कनाडा से गेहूं का आयात

*१३५२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को कनाडा से कितना गेहूं प्राप्त हुआ ?

(ख) कनाडा ने किन शर्तों के अधीन गेहूं दिया ?

(ग) भारत को गेहूं की क़ीमत चुकाने के लिये कितना समय दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ११४,१२० टन ।

(ख) मुख्य शर्तें ये हैं :—

(१) १ करोड़ डालर (कनाडियनें) के अनुदान का ३१ मार्च, १९५२ तक गेहूं की क़ीमत चुकाने में उपयोग ।

(२) खरीदा गया गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं क़रार के अन्तर्गत दिये गये अभ्यंश के अतिरिक्त हो ।

(३) भारत सरकार को "प्रति रूप कोष" के लिये एक विशेष लेखा प्रारम्भ करना होगा जिसमें वह उस धनराशि के बराबर रुपये जमा करेगी जितनी कि कनाडा ने गेहूं भेजने पर व्यय की हो। यह रुपया भारत की ऐसी आर्थिक विकास परियोजनाओं में विनियोजित किया जायेगा जिन को दोनों सरकारें स्वीकार कर लें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा से खरीदे गये गेहूं की एफ़० ओ० बी० क़ीमत कनाडा सरकार द्वारा दिये गये एक करोड़ डालर के अनुदान में से दी गई है।

ऐत्मादपुर के निकट रेलगाड़ी का लूटा जाना

*१३५३. **श्री धूसिया:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मार्च १९५२ में ऐत्मादपुर (आगरे के समीप) में कोई मुसाफ़िर गाड़ी लूट ली गई थी ?

(ख) जिस स्थान पर गाड़ी लूटी गई थी वहां से उस स्टेशन की दूरी कितनी है जिसे उसने पीछे छोड़ा था ?

(ग) जब गाड़ी लूटी जा रही थी उस समय उसे कितनी देर तक रुके रहना पड़ा ?

(घ) उस घटना में कितने मुसाफ़िरों को चोटें आईं ?

(ङ) क्या अब तक कोई अपराधी पकड़ा गया है ?

(च) उस स्थान से सब से कम दूरी पर स्थित गांव कितने फ़ासले पर था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) तथा (घ). मार्च १९५२ में ऐत्मादपुर स्टेशन पर या उसके निकट किसी मुसाफ़िर गाड़ी को नहीं लूटा गया था।

२६ फ़रवरी, १९५२ को ६ टी० पी डाउन पैसेन्जर गाड़ी में, जब कि वह आगरा-टूंडला लाइन पर यमुना ब्रिज और छलेसर स्टेशन के बीच जा रही थी, ऐत्मादपुर स्टेशन से कोई ८ मील की दूरी पर, डकैती की एक घटना हो गई थी।

यह बतलाया जाता है कि ज्योंही गाड़ी यमुना ब्रिज स्टेशन से रवाना हुई, एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक यात्री ने पिस्तोल निकाल कर और यात्रियों को डराने धमकाने के लिये गोलियां चला दीं। गोलियां डब्बे की लकड़ी की बनी हुई दीवारों को चीर कर दूसरे बगल वाले डब्बे में चली गईं जहां उन से तीन यात्री आहत हो गये, इस पर खतरे की जंजीर खींची गई। जंजीर खिंचने पर जब गाड़ी रुकी तो कुछ आदमी उसी डब्बे में यात्रा करने वाले एक यात्री के तीन ट्रंक ले कर भाग गये। गाड़ी के गार्ड ने मौक़े पर ज़रूरी जांच करने के बाद, गाड़ी चलाने का आदेश दिया और छलेसर पर गाड़ी फिर रुकवाई गई, यद्यपि सामान्यतया गाड़ी वहां नहीं रुका करती है। वहां पर सब सम्बन्धित व्यक्तियों को इस घटना की सूचना दी गई।

(ख) जिस स्थान पर गाड़ी रोकी गई वह यमुना ब्रिज स्टेशन से दो मील दूर है।

(ग) खतरे की जंजीर के खींचे जाने से गाड़ी को ७ मिनट रुके रहना पड़ा।

(ङ) यह बतलाया गया है कि ५ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हुये अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

(च) छलेसर, जो घटनास्थल से सबसे पास वाला गांव है, वहां से लगभग एक मील है।

समस्तीपुर में टेलीफ़ोन एक्सचेंज

*१३५४. **श्री एस० एन० दास :** क्या संचरण मंत्री ३ अक्तूबर, १९५१ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समस्तीपुर में टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो प्रस्थापना इस समय किस अवस्था पर है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक्सचेंज स्थापित करने का काम जारी है और उसके १५ जुलाई, १९५२ तक पूरे किये जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय सेवायें सुरक्षा नियम

*१३५५. **श्री के० के० बसु :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे कर्मचारियों की संख्या, राज्यवार, जिन की सेवायें रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षण) नियम, १९४९, के उपबन्धों के अन्तर्गत सन् १९४९ से १९५२ तक के प्रत्येक वर्ष में समाप्त की गईं ;

(ख) यदि ऐसा हुआ है, तो उनके विरुद्ध क्या अभियोग है ; तथा

(ग) कितने मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने अभ्यावेदन के सम्बन्ध में खुद पैरवी करने की आज्ञा दी गई ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क)—

राज्य	निकाले गये		
	१९४९	१९५०	१९५१
(१) पचिमी बंगाल	८	२०	१४
(२) बिहार	—	७	११
(३) उड़ीसा	—	२	१
(४) उत्तर प्रदेश	—	—	२
(५) मध्य प्रदेश	—	—	२२
(६) दिल्ली	—	६	१
(७) पूर्वी पंजाब	—	१	—
(८) मद्रास	—	५३	२२
(९) बम्बई	—	—	२
कुल योग	८	८९	७५

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षण) नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

(ग) कर्मचारियों को दिये गये नोटिस का जो निश्चित रूप है उस में उन से और बातों के अतिरिक्त यह भी पूछा गया था कि क्या वह सक्षम प्राधिकारियों या परामर्शदाताओं की समिति के सामने स्वयं बयान देना चाहते हैं । जिन मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों ने अपने मामले की पैरवी स्वयं करने की इच्छा प्रकट की थी उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे दी गई थी ।

कुरसिला रेलवे पुल

*१३५६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मांसी-सहरसा रेलवे लाइन पर कुरसिया रेलवे पुल तथा कोपारिया से बदलाघाट तक की रेलवे लाइन वर्ष के अधिकांश भाग में असुरक्षित रहती हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार उक्त पुल की मरम्मत कराने तथा सहरसा-मांसी रेलवे लाइन पर कोपारिया से बदलाघाट तक की रेलवे लाइन को सुधारने का है ताकि उक्त क्षेत्र में रेल व्यवस्था सब ऋतुओं में ठीक रह सके ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) यह ठीक नहीं है कि कोपारिया से बदलाघाट तक की लाइन वर्ष के अधिकांश भाग में असुरक्षित रहती है । अधिकतर कठिनाई प्रत्येक वर्ष जुलाई से अक्तूबर तक, वर्षा ऋतु में, होती है ।

(ख) कुरसिला के नाले के पुल की मरम्मत आदि कर के उसे ठीक हालत में रखा जाता है, परन्तु जब तक स्थायी पुल नहीं बन जाता तब तक ऐसी रेल व्यवस्था नहीं की जा सकती जो सभी मौसम में ठीक रहे ।

रेलवे भूमियां

***१३५७. श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे लाइनों के दोनों ओर पड़ी बंजर भूमियां निश्चित अवधि के लिये ठेके पर दी जाती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सन् १९५० से १९५२ तक इस प्रकार की कितनी एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई तथा ऐसे पट्टेदारों से उक्त भूमि के पट्टों के सम्बन्ध में कुल कितनी आय हुई ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५० से १९५२ तक लगभग ४२,४२० एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई । इन ज़मीनों को पट्टे पर उठाने से जो आय हुई उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है । परन्तु अब तक जो जानकारी मिली है उससे यह पता लगता है कि यह ७ लाख के लगभग होगी ।

हुबली में दक्षिणी रेलवे का महाखण्ड कार्यालय

***१३५८. श्री बातार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण में रेलों का पुनर्वर्गीकरण होने के समय सरकार द्वारा यह घोषित किया गया था कि दक्षिणी रेलवे के उत्तरी भाग का, जिस के अन्तर्गत मीटर गेज (छोटी लाइन) की लाइनें हैं, महाखण्ड कार्यालय (ज़ोनल आफ़िस) हुबली में होगा ;

(ख) क्या उक्त निर्णय के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार से मज़दूरों के लिये बने वह मकान ख़रीद लिये हैं जो बम्बई सरकार ने हुबली में बनवाये थे ; तथा

(ग) इस उत्तरी महाखण्ड के प्रादेशिक कार्यालय अपने वर्तमान अस्थायी स्थान से हुबली कब चले जायेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) यद्यपि कार्य-संचालन की दृष्टि से हुबली को अधिक उपयुक्त समझा गया था, तथापि स्थान की उपलब्धता तथा शुरू में कर्मचारियों के कम से कम इधर उधर भेजे जाने की आवश्यकता को देखते हुये, दक्षिणी रेलवे के उत्तरी मीटर गेज खण्ड का प्रधान कार्यालय फ़िलहाल मैसूर में ही स्थापित कर दिया गया है ।

(ख) बम्बई सरकार द्वारा बनवाये गये मकान उन कर्मचारियों के रहने के लिये ख़रीदे गये हैं जो पहले से ही हुबली में हैं ; उनके ख़रीदे जाने का सम्बन्ध दक्षिणी रेलवे के पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी किसी निर्णय से नहीं है ।

(ग) क्योंकि हुबली की तुलना में मैसूर को अधिमान देने के कारण अब भी

वर्तमान हैं, अतः सरकार यह बतलाने में असमर्थ है कि कार्यालय मैसूर से हुबली कब जायेगा ?

निवारक निरोध अधिनियम

*१३५९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निवारक निरोध अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कितना धन व्यय किया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): भारत सरकार ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके आदेश से किसी व्यक्ति को नज़रबन्द नहीं किया गया है ।

नई दिल्ली नगरपालिका

*१३६०. **श्री राधा रमण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि नई दिल्ली नगरपालिका में निर्वाचक सदस्य हों ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मामला विचाराधीन है ।

मैटापन लाइन्स में विस्थापित डाक तथा तार कर्मचारी

*१३६१. **श्री वैलायुधन**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैटापन लाइन्स के विस्थापित डाक तथा तार कर्मचारी अस्थायी कैम्प में कितने विस्थापित डाक तथा तार कर्मचारी रह रहे हैं ;

(ख) इस कैम्प में प्रत्येक को कितनी जगह दी गई है तथा किन किन सुविधाओं की व्यवस्था है तथा किस आधार पर ;

(ग) क्या सरकार ने उनके मकान के किराये के भत्ते में कटौती कर दी है, तथा यदि कर दी है, तो यह कटौती कब की गई और क्यों ;

(घ) क्या उनके वेतनों में से अतिरिक्त ५ प्रतिशत राशि काटी जा रही है, तथा यदि काटी जा रही है तो क्यों ; तथा

(ङ) सरकार का विचार कब तक इन कर्मचारियों को समुचित निवास स्थान देने का है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ९२ ।

(ख) औसतन ४१७ वर्ग फ़ीट ज़मीन दी गई है ।

सुविधाओं के रूप में, वहां बिजली है तथा प्रत्येक बैरक के लिये, जिसमें छै-सात परिवार रहते हैं, एक या दो पानी के नल, स्नानागार और पाखाने हैं।

वहां राशन की तथा अन्य साधारण आवश्यकताओं की चीज़ों की दुकानें हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती हैं । वहां एक प्रारम्भिक स्कूल भी है जो नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा चलाया जाता है । एक कमरा विनोद क्लब के लिये निर्धारित कर दिया गया है ।

(ग) जी हां, दिसम्बर १९४७ से मकान के किराय का भत्ता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि तब से यह बैरकें अस्थायी कैम्प नहीं रही हैं ।

सिद्धान्ततः ऐसे किसी कर्मचारी को, जिसे सरकारी मकान दिया गया हो, मकान के किराये का भत्ता नहीं दिया जाता ।

(घ) जी हां, सामान्यतया सरकार द्वारा दिये जाने वाले मकानों का किराया वेतन के १० प्रतिशत के हिसाब से लिया जाता है । परन्तु इस स्थान विशेष के प्रामाणिक (स्टैण्डर्ड) न समझे जाने के कारण यह आदेश दे दिया गया है कि १ जनवरी १९५० से इनका किराया १० प्रतिशत की बजाय ५ प्रतिशत की रियायती दर के हिसाब से वसूल किया जाये ।

(ङ) अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक, जब तक कि नये मकानों के बन जाने की सम्भावना है ।

मनीपुर में परती भूमि

*१३६२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में कितने एकड़ परती भूमि ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है ;

(ख) ऐसी कितनी भूमि पर भूमिहीन कृषकों को बसाया गया है तथा कितनी अभी ऐसी है जिस पर खेती नहीं होती है ; तथा

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि परती भूमि पर खेती की जाये ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकार की यह नीति है कि कृषि योग्य परती भूमि पर कृषि की जाये ; यहां तक कि इस के लिये विधानों को लागू किया जा रहा है या उन पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि कभी कभी इन परती भूमियों को जोतने के लिये कितनी ही मांगें की जाती हैं तथा जब यह मांगें की जाती हैं तो यह प्रश्न उठता है कि प्राथमिकता किस को दी जाये और जनता के हित में भूमि का सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार किया जाये ।

घी

*१३६३. **श्री बी० एन० राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या घी भारत से बाहर भेजा जाता है ।

(ख) यदि हां, तो सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में कितना कितना घी बाहर भेजा गया ; तथा

(ग) क्या सरकार घी के निर्यात को हतोत्साहित करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से या स्थानान्तरित हो जाने आदि पर विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को अपने साथ थोड़ी मात्रा में घी ले जाने की अनुमति दिये जाने के अतिरिक्त भारत से घी के निर्यात किये जाने पर निषेध है ।

(ख) सन् १९५०-५१ में २.८ टन तथा अप्रैल १९५१ से फ़रवरी १९५२ तक की समयावधि में कुछ नहीं ।

कृषि तथा डेरी की मशीनें

*१३६४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि तथा डेरी की मशीनों के क्रय की योजना का प्रारम्भ तथा विकास कैसे हुआ ;

(ख) इस योजना में कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रही है ; तथा

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखेगी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि तथा डेरी की मशीनों की सूची हो तथा यह भी बतलाया गया हो कि वे, मंगाने के खर्चे सहित, किन किन क़ीमतों पर प्राप्त होती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९४४-४५ में विभिन्न राज्य सरकारें खाद्य उत्पादन के लिये ट्रैक्टरों तथा सम्बद्ध उपकरणों और डेरी की मशीनों

के लिये आर्डर (व्यादेश) देना चाहती थीं। क्योंकि उस समय ऐसी मशीनों का निर्माण करने वाले देशों में निर्यात पर कड़े प्रतिबन्ध लगे हुये थे, अतः यह समझा गया कि यदि ये मशीनें भारत सरकार द्वारा मंगवाई जायें तो आसानी रहेगी। अतएव भिन्न भिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकतायें ज्ञात की गईं और कुछ ट्रैक्टरों तथा डेरी की मशीनों के लिये एक आर्डर रसद विभाग की मार्फ़त दे दिया गया। इस आर्डर के अधीन मशीनों की अन्तिम खेप मार्च १९५० में प्राप्त हुई थी। क्योंकि अब ट्रैक्टर आदि बनाने वाले देशों में माल बाहर भेजने की स्थिति सुधर गई है और यहां भी दशा पहले से अच्छी हो गई है, अतः यह निश्चय किया गया कि सन् १९५१-५२ से इस योजना को समाप्त कर दिया जाये। राज्य सरकारों से कह दिया गया कि वे अपनी जरूरत के लिये इन मशीनों के यहीं खरीदने या डायरेक्टर जनरल आफ़ सप्लाई एण्ड डिस्पोज़ल्स (रसद तथा उत्सर्जन विभाग के महासंचालक) की मार्फ़त मंगवाने का प्रबन्ध स्वयं करें।

(ख) योजना "न लाभ न हानि" आधार पर क्रियान्वित की जानी थी और राज्य सरकारों ने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके द्वारा मंगाये जाने वाली मशीनों का वित्तीय दायित्व पूर्णतः उन पर होगा। योजना के, उसके प्रारम्भ होने से लगा कर सन् १९४९-५० में समाप्त होने तक के, लेखापरीक्षित "क्रय-विक्रय तथा लाभ तथा हानि" लेखे सदन पटल पर रखे जाते हैं। लाभ तथा हानि लेखों में जो ५,६२,९७३ रुपये ८ आने की शुद्ध आय दिखलाई गई है वह रख ली गई है ताकि उसमें से कतिपय अप्रत्यक्ष व्यय, जैसे कि भारत सरकार द्वारा मशीनें खरीदने तथा राज्यों को देने के कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, लेख परीक्षण, लेखन सामग्री आदि पर होने वाले व्यय जो लाभ तथा हानि लेखे में शामिल नहीं किये गये हैं, किये जा सकें।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है क्योंकि अब योजना समाप्त कर दी गई है।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें योजना चालू रहने के काल में खरीदी गई मशीनों का मूल्य दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १]

राष्ट्रीय बाल विभाग

*१३६५. **श्रीमती जयश्री** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार एक राष्ट्रीय बाल विभाग (नेशनल चिल्ड्रेन्स ब्यूरो) खोलने का विचार कर रही है।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस समय तो ऐसी किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

खाद्यान्नों की अतिरिक्त उपज की संगणना

*१३६६. **श्री मूलन सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत खोदे गये कुओं तथा सिंचाई सम्बन्धी अन्य छोटी छोटी योजनाओं के फलस्वरूप तथा कृषकों को बीज बांटे जाने तथा रासायनिक खाद और खली बेचे जाने के फलस्वरूप हुई प्रति एकड़ अतिरिक्त उपज का संगणना करने के लिये कतिपय सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं; तथा

(ख) क्या यह सिद्धान्त ऐसे आंकड़ों पर आधारित हैं जिनकी या तो सरकारी फ़ार्मों में या अन्य कहीं जांच हो चुकी है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान लगाने वाले साधन, विषेशज्ञों द्वारा मौक़ों पर किये जाने वाले प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये जाने वाले सम्भाविक निदर्शन अधीक्षण द्वारा भी उन की जांच की जाती है ।

खाद्यान्नों की ढुलाई (भाड़ा)

***१३६७. श्री के० सी० सोधिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारतीय रेलों को खाद्यान्नों को ढुलाई के भाड़े के रूप में सरकारी लेखे में कुल कितनी धन राशि दी गई ;

(ख) सन् १९५१-५२ में इसी प्रयोजनार्थ जहाजी कम्पनियों को कुल कितनी धनराशि दी गई ; तथा

(ग) खाद्यान्न लाने वाली जहाजी कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्हें अलग अलग कितनी कितनी धनराशि दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) जिन सरकारों को खाद्यान्न दिये जाने होते हैं उन्हें खाद्यान्न उस पत्तन पर दिये जाते हैं जिस पर वह जहाजों में से उतारा जाता है । फिर वहां से वह रेल द्वारा अन्य स्थानों को जाता है और उसकी ढुलाई का भाड़ा उन सरकारों के लेखे में से दिया जाता है जिन्हें यह खाद्यान्न मिलते हैं । अतएव खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि वर्ष १९५१-५२ में कितना रेल भाड़ा दिया गया ।

(ख) दी गई धनराशि का पूरा हिसाब तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन के आधार पर स हिसाब में सन् १९५१-५२ में लगभग ५० करोड़ ८० लाख रुपये दिये गये ।

(ग) एक विवरण, जिसमें १९५१-५२ में बाहर से मंगाये गये खाद्यान्न के सम्बन्ध में भारतीय जहाजी कम्पनी को दिया गया भाड़ा दिखलाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २]

प्रत्येक विदेशी कम्पनी को दिये गये भाड़े के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है तथा उसके संकलन के लिये बहुत गणना करनी पड़ेगी ।

तिलहन

***१३६८. श्री आर० एन० सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सन् १९५१ तथा १९५२ में भारत से बाहर भेजे गये विभिन्न प्रकार के तिलहनों की कुल मात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ (अप्रैल-फ़रवरी) में भारत से बाहर भेजे गये तिलहन की मात्रा क्रमशः १९२,००० टन और ६२,००० टन थी ।

गन्ने की खेती

***१३६९. श्री बी० एन० राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में कितनी भूमि पर गन्ने की खेती की गई (राज्यवार) ;

(ख) सन् १९५१-५२ में फ़ैक्टरियों में गन्ने की कितनी मात्रा (मनों में) पेरी गई (राज्यवार) ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने चीनी तथा गन्ने के मूल्य में कमी करने की प्रस्थापना की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर दिलाया जाता है जो २३-६-१९५२ को अतारांकित प्रश्न संख्या २४८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था ।

(ख) एक विवरण, जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक २८-५-५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

विवरण

[जिसमें १९५१-५२ के मौसम में चीनी मिलों में (राज्यवार) पेरे गये गन्ने की मात्रा (अनुमानित) दी गई है]

	(आंकड़े लाख मनों में)
(१) उत्तर प्रदेश	२४२०·६
(२) बिहार	५९९·०
(३) पश्चिमी बंगाल	१७·९
(४) पंजाब	५०·९
(५) उड़ीसा	७·८
(६) मद्रास	२७५·२
(७) राजस्थान	३१·३
(८) त्रावनकोर	१८·४
(९) बम्बई	३५५·१
(१०) भोपाल	९·६
(११) मैसूर	५६·७
(१२) पैप्सू	८६·६
(१३) हैदराबाद	१०७·६
(१४) मध्य भारत	४९·८
(१५) अजमेर	३·४
कुल योग	४०८९·९

मनीपुर के राज्य कर्मचारियों की छटनी

*१३७०. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर राज्य के भारत संघ में मिलाये जाने के समय की गई कार्यालयों की पुनर्व्यवस्था के सिलसिले में मनीपुर राज्य के कितने सामान्य कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निकाला गया ;

(ख) तब से कितनों को नौकरियें दी जा चुकी हैं ; तथा

(ग) इस प्रकार निकालने के लिये कर्मचारियों को छांटने की क्या कसौटी बनाई गई थी ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सामान्य कर्मचारी ७२, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी २४६ ।

(ख) अपेक्षित सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) कर्मचारियों की छंटनी करने के लिये यह कसौटी बनाई गई थी :

(१) प्रथम यह कि ऐसे अनुपयुक्त व्यक्तियों को, जिनकी छुट्टी जमा थी और जो पूर्ण अथवा उचित निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने के पात्र थे, निवृत्ति-वेतन दे कर सेवामुक्त कर दिया गया,

(२) द्वितीय यह कि प्रत्येक विभाग की पुनर्व्यवस्था के सम्बन्ध में वरिष्ठ तथा अधिक कुशल व्यक्तियों को रखा गया और अकुशल तथा अन्यथा अनुपयुक्त व्यक्तियों को निकाल दिया गया ।

मसुलीपट्टम-पुलिगड्डा रेलवे लाइन

*१३७१. **श्री बुच्चीकोटैय्या :** क्या रेल मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के सामने मसुलीपट्टम से पुलिगड्डा तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं ।

हड्डी के चूरे की फ़ैक्टरियां

*१३७२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में हड्डी के चूरे की कुल कितनी फ़ैक्टरियां हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) उनका उत्पादन कितना है ;

(ग) ये फ़ैक्टरियां प्रत्येक राज्य को कितना माल देती हैं ; तथा

(घ) क्या उसके मूल्य या वितरण पर कोई प्रतिबन्ध है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बावन । एक विवरण, जिसमें फ़ैक्टरियों के नाम तथा उन स्थानों के नाम दिये हुये हैं जहां वे स्थित हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ख) ३५,००० टन प्रति वर्ष ।

(ग) हड्डी के चूरे की सब फ़ैक्टरियों से यह सूचना मांगी गई थी । अब तक केवल १३ मिलों से उत्तर मिला है जो सदन पट पर रखे विवरण में दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**] शेष फ़ैक्टरियों से उत्तर की प्रतीक्षा है

(घ) हड्डी के चूरे के मूल्य तथा वितरण पर कोई संविहित नियंत्रण नहीं है । हां, फ़ैक्टरियों के साथ एक प्रकार का अनौपचारिक समझौता है, जिस के अनुसार राज्य सरकारों को हड्डी का चूरा पत्तनों पर स्थित फ़ैक्टरियां तो १९० रुपये प्रति टन के हिसाब से तथा देश के आन्तरिक क्षेत्रों में स्थित फ़ैक्टरियां इससे कुछ अधिक दर पर देती हैं ।

तीसरे दर्जे के रेल डब्बे

*१३७३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नार्थ-ईस्टर्न रेलवे के सभी तीसरे दर्जे के डब्बों में पंखे लगा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पूरी रेलवे पर या केवल उसके किसी एक सेक्शन पर ; तथा

(ग) यदि पंखे एक ही शाखा (सैक्शन) पर लगाये गये हैं, तो सरकार ने उक्त रेलवे की शेष शाखाओं (सैक्शनों) पर तीसरे दर्जे के डब्बों में पंखे लगाने के लिये क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) नार्थ ईस्टर्न रेलवे के तीसरे दर्जे के डब्बों में लगभग १,४०० पंखे लगाये जा चुके हैं ।

(ख) सब डब्बों में पंखे नहीं लगाये गये हैं । जो डब्बे शीघ्र ही बेकार होने वाले हैं उनमें पंखे लगाने का विचार नहीं है ।

(ग) पंखे उस समय लगाये जाते हैं जब कि डब्बे कोई बड़ी मरम्मत के लिये वर्कशाप भेजे जाते हैं । तीसरे दर्जे के १८६ नये डब्बे, जिनमें पंखे लगे हुये हैं, नार्थ ईस्टर्न रेलवे को आवंटित किये गये हैं । इन डब्बों के चालू आर्थिक वर्ष में आने की आशा है

त्रावनकोर-कोचीन राज्य का तार तथा टेलीफ़ोन विभाग

*१३७४. **श्री अच्युतन :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य का तार तथा टेलीफ़ोन विभाग केन्द्रीय सरकार द्वारा कब लिया गया और राज्य को कितनी धनराशि दी गई ; तथा

(ख) इन दोनों विभागों को उस क्षेत्र से सन् १९५१ में कितनी आय हुई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राज्य में अलग तार व्यवस्था नहीं थी । केवल त्रावनकोर में ही पृथक् टेलीफोन व्यवस्था थी ; यह १ अप्रैल, १९५० को ले ली गई थी । संघानीय वित्तीय एकीकरण के अनुसार राज्य को इस हस्तान्तरण के लिये कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई ।

(ख) ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त होने वाले आर्थिक वर्ष की अनुमानित आय लगभग १३ लाख ६० हज़ार रुपये थी । उसके बाद के काल में होने वाली आय के विषय में कोई पृथक् जानकारी प्राप्य नहीं है क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अलग अलग लेखे नहीं रखे जाते हैं ।

ईंधन जांच समिति

*१३७५. **श्री विट्टल राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे ईंधन जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और प्रस्तुत कर दी है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या अन्तरिम रिपोर्ट मांगी जा रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) समिति पहले ही अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है

रेलवे कर्मचारी

*१३७६. **श्री विट्टल राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सब रेलों में अस्थायी रेल कर्मचारियों की कुल संख्या, जैसी कि १ जून, १९५२ को थी ;

(ख) मई तथा जून १९५२ में कितने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया ;

(ग) १ जून, १९५२ को सैन्ट्रल रेलवे के भूतपूर्व निज़ाम स्टेट रेलवे भाग में कितने अस्थायी कर्मचारी थे ; तथा

(घ) मई और जून, १९५२ में कितने कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (घ). रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

आगरा बाह रेलवे लाइन

*१३७७. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार आगरा-बाह रेलवे लाइन को, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बन्द कर दी गई थी, पुनः चालू करने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं । यह लाइन तो युद्ध प्रारम्भ होने से भी पहले, आर्थिक कारणों से, बन्द की गई थी तथा यह उन लाइनों जैसी नहीं है जो युद्ध-काल में सेना

की रेल-पथ सम्बन्धी सामान की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये उखाड़ी गई थीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

तीसरे दर्जे के डब्बे

***१३७८. श्री कण्डासामी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) दक्षिणी महाखण्ड (सदर्न ज़ोन) रेलगाड़ियों में तीसरे दर्जे के कितने डब्बों में पंखे लगा दिये गये हैं; तथा

(ख) ऐसे डब्बे उस महाखण्ड (ज़ोन) में तीसरे दर्जे के कुल डब्बों के कितने प्रतिशत हैं?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) १९१ डब्बे।

(ख) जिन डब्बों में पंखे लगने हैं उनके १७ प्रतिशत।

डाक तथा तार परामर्शदात्री समितियां

***१३७९. श्री दाभी** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा सर्किलों के लिये डाक तथा तार परामर्शदात्री समितियां नियुक्त की हैं;

(ख) यदि अपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो बम्बई राज्य के किन क्षेत्रों तथा के लिये ये समितियां बनाई गई हैं; तथा

(ग) प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हैं तथा उनमें किन किन के प्रतिनिधि हैं?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई सर्किल के लिये, जिसमें बम्बई, सौराष्ट्र तथा कच्छ राज्य हैं, केवल एक प्रादेशिक डाक तथा तार परामर्शदात्री समिति हैं।

(ग) बम्बई सर्किल की प्रादेशिक डाक तथा तार परामर्शदात्री समिति में यह सदस्य हैं:

(१) सभापति—पोस्ट मास्टर जनरल, बम्बई। .	१
(२) बम्बई राज्य सरकार के प्रतिनिधि (एक सरकारी दूसरा असरकारी)। .	२
(३) संसद् के प्रतिनिधि (संचरण मंत्री द्वारा मनोनीत)। .	२
(४) व्यापार तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि (बम्बई राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित)। .	४
(५) सौराष्ट्र का प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित) .	१
(७) कच्छ का प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित) . .	१
कुल योग	११

चिट-बड़ागांव और बक्सर रेलवे लाइन

***१३८०. श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चिट-बड़ागांव और बक्सर के बीच जो पुरानी ई० आई० आर० पर हैं, रेल सम्पर्क स्थापित करने का विचार कर रही है?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं।

रेलवे भंडार

*१३८१. **श्री विट्टल राव:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) रेलवे के ३१ मार्च, १९५२ को, बचे हुये कुल भंडार का पुस्त-मूल्य ;

(ख) सन् १९५१-५२ के वित्तीय वर्ष में दिये गये भंडार का पुस्त-मूल्य ; तथा

(ग) बेकार क़रार दे दिये गये भंडार का पुस्त-मूल्य तथा दोनों मूल्यों में अन्तर ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) ६१ करोड़ १० लाख रुपये। यह अस्थायी आंकड़ा है क्योंकि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुये वर्ष के अन्तिम लेखे अभी बन्द नहीं किये जाने हैं।

(ख) अस्थायी रूप से ९२ करोड़ ८३ लाख रुपये।

(ग) पुस्त-मूल्य १ लाख ६८ हज़ार रुपये तथा अन्तर १ लाख ४० हज़ार रुपये।

यातायात परामर्शदात्री परिषद्

*१३८२. **श्री कण्डासामी:** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) यातायात परामर्शदात्री परिषद् की मुख्य सिफ़ारिशें ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त सिफ़ारिशों को मंज़ूर करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) यातायात परामर्शदात्री परिषद् की अप्रैल, १९५१ में हुई १२वीं बैठक में जो निर्णय किये गये थे उनका संक्षिप्त वृत्तान्त सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५**] मुख्य सिफ़ारिश मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में थी।

(ख) तथा (ग): मोटर गाड़ी करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट का विषय बहुत विस्तृत है तथा उसका प्रभाव केन्द्र तथा राज्यों के क्षेत्रों में सड़क यातायात का प्रयोग करने वालों पर लगने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर पड़ेगा। समिति की सिफ़ारिशों पर, राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके, विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों के विचारों की अभी प्रतीक्षा है।

रेल दुर्घटनायें

*१३८३. **श्री कण्डासामी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दक्षिणी रेलवे (सदर्न रेलवे) में सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुये ; तथा

(ग) कितनी क्षतिपूर्ति दी गई ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) सन् १९५०-५१ में दो भीषण दुर्घटनायें हुईं और सन् १९५१-५२ में एक।

(ख) सन् १९५०-५१ में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और ३० घायल हुये तथा सन् १९५१-५२ में कोई व्यक्ति नहीं मरा और २ घायल हुये।

(ग) यात्रियों या उन के आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई क्योंकि सन् १९५०-५१ में तो ऐसा कोई दावा प्राप्त ही नहीं हुआ और सन् १९५१-५२ में जो दो छोटे छोटे दावे प्राप्त हुये थे वे ऐसे थे कि उन्हें नहीं माना जा सकता था। हां, सन् १९५०-५१ में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम (वर्क-

मैन्स कम्पैन्सेशन ऐक्ट) के अन्तर्गत एक दावा एक रेल कर्मचारी की ओर से प्राप्त हुआ था जिसका भुगतान कर दिया गया।

सहारनपुर-शाहदरा लाइट रेलवे

***१३८४. श्री के० आर० शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सहारनपुर-शाहदरा लाइट रेलवे किस अभिकरण द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) उस अभिकरण के क़रार की अवधि कब समाप्त हो रही है;

(ग) क्या सरकार इस रेलवे की प्रबन्ध दशा से अवगत है; तथा

(घ) क्या सरकार इस रेलवे का प्रबन्ध शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेने का विचार कर रही है?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) "दि शाहदरा (देहली) सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी, लिमिटेड," जिसके प्रबन्ध अभिकर्ता मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड, कलकत्ता है।

(ख) १८ अप्रैल, १९५५ को, परन्तु शर्त यह है कि सरकार यदि चाहे तो एक वर्ष की पूर्वसूचना देकर लाइन ख़रीद सकती है।

(ग) गत वर्ष कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन में कहा गया था कि इस रेलवे का प्रबन्ध असन्तोषजनक है, परन्तु छानबीन करने पर पता लगा कि मुख्य कठिनाई गाड़ियों में अधिक भीड़भाड़ होने की थी, क्योंकि इस रेलवे में डब्बों की संख्या में वृद्धि उस हिसाब से नहीं हुई जितनी कि, जैसा कि अन्य सब भारतीय रेलों में, यात्री यातायात में हुई।

(घ) क़रार की अवधि समाप्त होने से पहलेनहीं।

लाल कुआं में रेल दुर्घटना

***१३८५. श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि १४ जून, १९५२ को नार्थ-ईस्टर्न रेलवे पर काठगोदाम के पास लालकुआं नामक स्टेशन पर ८ अप नैनीताल ऐक्सप्रेस एक खड़ी हुई मुसाफ़िर गाड़ी से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुये और सरकारी तथा असरकारी सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची;

(ग) दुर्घटना होने के क्या कारण थे; तथा

(घ) दुर्घटना के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) ८ अप ऐक्सप्रेस में दो यात्रियों को हल्की सी चोटें आई थीं। रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान ३०० रुपये लगाया जाता है। किसी यात्री की सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

(ग) ८ अप ऐक्सप्रेस का एक ऐसी लाइन पर लिया जाना जहां १५८ डाउन पैसेन्जर पहले से ही खड़ी थी। प्रत्यक्ष रूप से तो इसका कारण पौइन्टों का ग़लत मिलाया जाना प्रतीत होता है।

(घ) यह तो उस समय पता लगेगा जब दुर्घटना सम्बन्धी जांच की कार्यवाही पूरी हो जायेगी।

चकिया सिधावलिया रेलवे लाइन

***१३८६. श्री बिभूति मिश्र:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या निकट भविष्य में चकिया से सिधावलिया तक एक रेल लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ख) यदि है, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

माल गाड़ियां

३०८. श्री देवगम : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन साइडिंगों में, जहां अनुपात के अनुसार डब्बे दिये जाने के लिये दो माल गाड़ियां खड़ी होती हैं, बर्ड एण्ड कम्पनी तथा टाटा आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड को अनुपात के अनुसार मिलने वाले डब्बों को निकाल कर, जिनके खड़े करने के लिये उनके अपने साइडिंग बने हुये हैं, तीन गाड़ियें खड़ी की जा सकती हैं :—

(१) धातु प्रस्तर लादने की बड़ाजमदा पब्लिक साइडिंग ;

(२) नोआमुंडी पब्लिक साइडिंग ;

(३) बार्बिल ब्रांच पब्लिक लोडिंग साइडिंग (अर्थात् ३ ए, बार्बिल की साइडिंग) ; तथा

(४) बार्बिल में तुल्लोच, लोधा, के० एन० एम०, सी० पी० एम० ओ०, मैकडिल और सारदा की संयुक्त साइडिंग ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां । इन सब साइडिंगों में मिला कर एक तीसरी गाड़ी और लादी जा सकती है । परन्तु डब्बे उपलब्ध होने चाहियें ।

संविहित और असंविहित राशन व्यवस्था

३०९. श्री एन० एल० जोशी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विभिन्न राज्यों के ३,००० से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे नगरों की संख्या जिनमें संविहित और असंविहित राशन व्यवस्था चल रही है ;

(ख) ऊपर भाग (क) में निर्दिष्ट नगरों की मध्यमान जनसंख्या क्या है ;

(ग) भारत में विभिन्न राज्यों के ३,००० से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांवों की संख्या, जिन में नियंत्रित दामों पर खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था है ; तथा

(घ) ऊपर भाग (ग) में निर्दिष्ट गांवों की मध्यमान जनसंख्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) नवीनतम सूचना के अनुसार भारत में संविहित तथा असंविहित राशन वाले नगरों की कुल संख्या क्रमशः ३०२ तथा १,२०२ है ।

(ख) इन नगरों में ऐसे व्यक्तियों की औसत संख्या, जिनके राशन-कार्ड बने हुये हैं, क्रमशः १०७,२८१ और २४,२९५ है ।

(ग) जिन गांवों में खाद्यान्नों का वितरण सरकार करती है उन की कुल संख्या १५६,४५९ है । ३,००० से कम जनसंख्या वाले गांवों के बारे में पृथक् जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(घ) इन गांवों में ऐसे व्यक्तियों की औसत संख्या, जिनके राशन-कार्ड बने हुये हैं, ३४६ है ।

बनस्पति

३१०. श्री गणपति राम : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५२ से अप्रैल १९५२ तक के काल में कुल कितना बनस्पति का उत्पादन हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जनवरी से अप्रैल १९५२ तक के काल में बनस्पति का कुल उत्पादन ५९,४६२ टन था, जो इस भांति है :--

	टन
जनवरी १९५२	१५,६५८
फ़रवरी १९५२	१६,१७८
मार्च १९५२	१४,७५५
अप्रैल १९५२	१२,८७१
कुल योग	५९,४६२

तांबे के तारों की चोरी

३११. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टैलीग्राफ़ तार (अवैध क़ब्जा) अधिनियम, १९५० के दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध लागू हो गये हैं ;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं ; तथा

(ग) क्या इस अधिनियम के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप तांबे के तारों की चोरी में काफ़ी कमी हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक लगभग ८० व्यक्तियों के पकड़े जाने के बारे में पता लगा है ।

(ग) जी नहीं ।

खाद्य भेंट

३१२. श्री पी० टी० चाको : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में अमरीका के स्वेच्छा सहायता संस्थाओं द्वारा भारत को कुल कितना खाद्यान्न भेजा गया ; तथा

(ख) क्या किसी अन्य देश की असरकारी संस्थाओं द्वारा भी भारत को खाद्यान्न भेजा गया है, तथा यदि भेजा गया है, तो किन किन देशों की असरकारी संस्थाओं द्वारा कितना कितना खाद्यान्न भेजा गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अप्रैल, १९५१ से मार्च १९५२ तक की अवधि में अमरीका की संस्थाओं तथा अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दिया गया लगभग १,६६० टन खाद्यान्न सहायता के रूप में वितरित किये जाने के लिये भारत पहुंचा ।

(ख) जी हां । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

		ट०	ह०	क्वा०	पौ०
(१)	आस्ट्रेलिया	२३२	०	०	०
(२)	ब्राज़ील	४५७	०	०	०
(३)	ब्रह्मा	९७३	१५	२	१४
(४)	ब्रिटिश पूर्वी अफ़्रीका	११	०	०	०
(५)	ब्रिटिश गायना	३००	०	०	०
(६)	लंका	२	१४	३	१४
(७)	इथियोपिया	५००	०	०	०
(८)	फ़्रांस	२	०	०	०
(९)	फ़ीजी	१०२	७	१	०
(१०)	जर्मनी	०	१	०	०
(११)	गोआ	९	०	०	०
(१२)	मलाया	१७	१३	३	०
(१३)	थाइलैण्ड	१८५४	१३	२	१३

वन्य भूमि

३१३. डा० राम सुभग सिंह: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अगस्त १९४७ से कुल कितनी एकड़ वन्य भूमि पर कृषि की गई ; तथा

(ख) क्या सरकार चालू वर्ष में कुछ और वन्य भूमि पर कृषि करवाने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ने वर्ष १९५०-५१ के भूमि सुधार तथा कृष्यकरण काल में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जंगल काटने का काम शुरू किया । अब तक २०,२६५ एकड़ भूमि जोते जाने योग्य बनाई जा चुकी है, और इस में से १८,४१४ एकड़ भूमि को तैयार करके वर्ष १९५१-५२ के फसल काल में बीज बोने लायक़ बना दिया गया है । इस १८,४१४ एकड़ भूमि पर अगली खरीफ़ तथा रबी की फ़सलों से बाक़ायदा खेती होने लगेगी ।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, विभिन्न राज्यों में अगस्त १९४८ से कुल ६,१९,८४४ एकड़ वन्य भूमि पर खेती की गई है । उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश की सरकारों से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था का सम्बन्ध है, उसका इस वर्ष और वन्य भूमि को साफ़ करने का विचार नहीं है । हां, राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकारें २३,७३५ एकड़ और वन्य भूमि पर इस वर्ष खेती करवाने का विचार कर रही हैं ।

स्थानीय निकायों के स्थायी कर्मचारी

३१४. सरदार हुक्म सिंह: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान के स्थानीय निकायों के स्थायी कर्मचारी सन् १९४७-४८ में विस्थापित हो जाने के पश्चात् भारत में नौकरियों पर लगा दिये गये हैं; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों को, जो अब भी बेकार हैं, सेवायुक्त करने की कोई योजना है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हमारे पास जो सूचना है उसके आधार पर यह पता लगा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के स्थानीय निकायों के ९० स्थायी कर्मचारियों को भारत सरकार के अधीन नौकरियां मिल गई हैं । इस सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान के स्थानीय निकायों के सब कर्मचारियों, स्थायी तथा अस्थायी को पुनर्संस्थापन तथा सेवायोजन महानिदेशालय सेवायोजनालयों के द्वारा, प्राथमिकता के आधार पर, नौकरियां प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है ।

यात्री तथा माल यातायात

३१५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरानी ईस्ट इण्डियन रेलवे तथा बंगाल एण्ड नागपुर रेलवे पर सन् १९४० से यात्री तथा माल यातायात में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ख) ईस्ट इंडियन रेलवे तथा बंगाल एण्ड नागपुर रेलवे में सन् १९४० तथा १९५१ में सवारी गाड़ी तथा माल गाड़ी के डब्बों तथा इंजनों की संख्या क्या थी ?

(ग) इन इंजनों, सवारी गाड़ी के डब्बों तथा माल गाड़ी के डब्बों में से कितने

प्रति शत चलते थे और कितने प्रति शत खड़े रहते थे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सन् १९४०-४१ से १९५०-५१ तक के समय में यात्री यातायात. यात्री मीलों के रूप में, ईस्ट इंडियन रेलवे पर लगभग १३४.७ प्रति शत और बंगाल एण्ड नागपुर रेलवे पर लगभग १९१.६ प्रति शत बढ़ गया तथा उसी समय में माल यातायात में हुई वृद्धि, शुद्ध माल मीलों के रूप में, ईस्ट इंडियन रेलवे पर १५.४ प्रति शत तथा बंगाल एण्ड नागपुर रेलवे पर १२.५ प्रति शत हुई ।

(ख) लाइन पर डब्बों आदि औसत संख्या इस प्रकार थी--

	ई० आई० रेलवे		बी० एन० रेलवे	
	१९४०-४१	१९५०-५१	१९४०-४१	१९५०-५१
(१) सवारी गाड़ी के डब्बे (एककों में) .	२,४४२	२,३३२	१,१२२	१,०९६
(२) माल गाड़ी के डब्बे (४ पहिए वाले डब्बों के रुप में)	४९,६९५	६३,९४७	२६,१४२	२८,२२२
(३) इंजन	१,६१६	२,१०३	७४५	८४४

(ग) आंकड़े केवल ऐसे डब्बों आदि के विषय में रखे जाते हैं जो चलाये जाने के लिये प्राप्य होते हैं, ऐसों के विषय में नहीं जो वास्तव में चलाये जा रहे हों । चलाये जाने के लिये प्राप्य डब्बों आदि की प्रतिशतता इस प्रकार थी--

	ई० आई० आर०		बी० एन० आर०	
	१९४०-४१	१९५०-५१	१९४०-४१	१९५०-५१
सवारी गाड़ी के डब्बे . . .	९०.७	८७.४	८६.९	९०.६
माल गाड़ी के डब्बे	९५.१	९३.१	९४.४	९२.९
इंजन	८५.५	८२.०	८३.१	८६.५

शेष डब्बे और इंजन चलाये जाने के लिये प्राप्य नहीं थे ।

ईस्ट इंडियन रेलवे के आंकड़ों में स्यालदा डिवीजन भी जो विभाजन के पश्चात्, उसमें मिलाया गया था, सम्मिलित हैं ।

सड़क दुर्घटनायें

३१६. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में वर्ष १९४८-४९, १९४९-५० १९५०-५१

तथा १९५१-५२ में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं,

(ख) उन में से कितनी घातक सिद्ध हुई ;

(ग) उन में से कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां और कितने बच्चे आहत हुये ; तथा

(घ) सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६**]

सहकारी समितियां

३१७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर में रजिस्टर्ड सहकारी समितियां कितनी हैं ; तथा

(ख) इन में से कितनी समितियां सन् १९५१-५२ में परिसमापित कर दी गई हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) ५६५ (पांच सौ पैंसठ) ।

(ख) अब तक जिन सहकारी समितियों का परिसमापन हो चुका है उन की संख्या २२८ है ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

३१८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत ऐसिस्टैंटों (सहायकों) के कितने स्थायी स्थान रिक्त हैं ;

(ख) इनमें से कितने स्थान बिना परीक्षा वाले वर्ग में प्रान्तीय सरकारों के विस्थापित कर्मचारियों को दिये जाने के लिये नियत किये गये हैं ; तथा

(ग) क्या विस्थापित सरकारी कर्मचारी संघ ने यह अभ्यावेदन किया है कि उसमें जो स्थानों की संख्या है वह बहुत कम है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). ऐसिस्टैंटों की प्राधिकृत संख्या १८०० है । इसमें पहले तो वे ७६० व्यक्ति शामिल किये जायेंगे जो पहले ही ऐसिस्टैंट वर्ग के स्थायी स्थानों पर कार्य कर रहे हैं । लगभग १७० वैभागिक अभ्यर्थी, जो वर्ग ३ में स्थायी नियुक्ति के लिये स्वीकृत हो चुके हैं परन्तु जिन्हें रिक्तियां न होने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका है, ऐसिस्टैन्ट के पद पर, यदि वे पहले ही स्थायी ऐसिस्टैन्ट न हो चुके हों, स्थायी कर दिये जायेंगे । शेष रिक्तियां सानुपात आधार पर इस प्रकार बांटी गई हैं:—

(१)	बिना परीक्षा वाले वर्ग में	
	कुल . . .	२७०
	विस्थापित सरकारी कर्मचारी ।	८७
	अन्य . . .	१८३
(२)	प्रथम परीक्षा वर्ग	४००
तथा (३)	द्वितीय परीक्षा वर्ग	२००

विस्थापित सरकारी कर्मचारी उपरोक्त बिना परीक्षा वाले वर्ग के अतिरिक्त, वर्ग ३ में स्थायी नियुक्तियों के लिये चुने जाकर तथा दोनों में से किसी एक परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर के भी स्थायी किये जाने के पात्र हुये है।

अतिछादन आदि के कारण खाली रहे स्थान इन वर्गों में बांट दिये जायेंगे ।

(ग) जी हां, अस्थायी ऐसिस्टैंटों के विभिन्न वर्गों—जिनमें विस्थापित सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं—से या उन की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

अवकाश निकेतन

३१९. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३०० रुपये से कम वेतन पाने वाले डाक कर्मचारियों के लाभार्थ बनाये गये अवकाश निकेतन कितने हैं तथा वे कहां कहां हैं ;

(ख) वहां कर्मचारियों को क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ग) कितने कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ;

(घ) क्या चालू वर्ष में यह सुविधा और भी अधिक बढ़ाई जा रही है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) सात, जो माउण्ट आबू, पंचमढ़ी, डलहौजी, जुतोग, रानीखेत, बैद्यनाथ देवघर, तथा मथेरन में हैं ।

(ख) सब अवकाश निकेतनों में—बम्बई सर्किल में मथेरन के अवकाश निकेतन को छोड़ कर—उपयुक्त फ़र्नीचर तथा खाना पकाने आदि के लिये बर्तनों की व्यवस्था है ।

(ग) ७९ कर्मचारी तथा उनके परिवार ।

(घ) तथा (ङ). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

रेलवे स्टेशनों का नये ढंग से बनाया जाना

३२०. श्री मुनिस्वामी : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में दक्षिणी रेलवे (सदर्न रेलवे) के कितने स्टेशनों को नये ढंग से और फिर से बनाने का काम प्रारम्भ किया गया ; तथा

(ख) दक्षिणी रेलवे (सदर्न रेलवे) के कडुलोर न्यूटाउन स्टेशन के नये ढंग से और फिर से बनवाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सन् १९५१-५२ में दक्षिणी रेलवे (सदर्न रेलवे) ने १६ स्टेशनों के नये ढंग से और फिर से बनाये जाने का काम प्रारम्भ किया ।

(ख) कडुलोर न्यूटाउन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी सुधार कार्य पूरा होने ही वाला है ।

आगरा फ़ोर्ट स्टेशन पर रेलवे पुल

३२१. चौ० रघुवीर सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर जो पुल बना हुआ है वह यात्रियों के छोटी लाइन के प्लेटफ़ार्म से बड़ी लाइन के प्लेटफ़ार्म पर और बड़ी लाइन के प्लेटफ़ार्म से छोटी लाइन के प्लेटफ़ार्म पर जाने के लिये है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि अब यह रास्ता बन्द है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा क्यों है ;

(घ) क्या यात्रियों के एक प्लेटफ़ार्म से दूसरे प्लेटफ़ार्म पर जाने के लिये कोई अन्य रास्ता है; तथा

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि पुल पर से जाने वाले रास्ते के बन्द हो जाने से यात्रियों को बड़ी असुविधा हो गई है तथा यात्रियों की जानों का खतरा हो गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) यह तथ्य नहीं है कि बड़ी लाइन के प्लेटफ़ार्म से छोटी लाइन के प्लेटफ़ार्म

को जाने वाले ऊपर के पुल का रास्ता है ।

(ग) लाइनों के ऊपर का पुल मुख्यतः दोनों प्लेटफ़ार्मों को मिलाने के लिये है, परन्तु इसके अलावा पुल के दोनों ओर, जहां पुल खत्म होता है, एक एक रास्ता दोनों प्लेटफ़ार्मों से बाहर की मुख्य सड़कों को भी जाता है । इन रास्तों के दरवाज़े बन्द रखे जाते हैं ताकि यात्री अपने टिकट दिखलाये बिना स्टेशन से बाहर न जा सकें और बाहर वाले उस पुल से हो कर, जो केवल एक प्लेटफ़ार्म से दूसरे प्लेटफ़ार्म पर जाने वाले यात्रियों के लिये ही है, स्टेशन के अन्दर न प्रवेश कर सकें ।

(घ) क्योंकि एक प्लेटफ़ार्म से दूसरे प्लेटफ़ार्म पर जाने वाले यात्रियों के लिये ऊपर का पुल खुला रहता है, अतः किसी अन्य रास्ते की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्षय रुजालय

३२२. **श्री विट्टल राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रेलवे बोर्ड ने क्षय रोग से पीड़ित रेल कर्मचारियों के इलाज के लिये दो क्षय रुंजालय बनवाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो प्रत्येक अस्पताल में कितने रोगियों के रहने की व्यवस्था होगी ;

(ग) वे कहां कहां स्थित होंगे ;

(घ) रुजालयों को इमारतें बनवाने में कितना व्यय होने का अनुमान है ; तथा

(ङ) क्या रोगियों के घर वालों को रुजालयों के निकट रहने के लिये मकान दिये जायेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां । सरकार ने क्षय रोग से पीड़ित रेल कर्मचारियों का इलाज करने के लिये क्षय आरोग्यशालायें (टी० बी० सेनेटोरिया) बनवाने का निश्चय किया है । इस समय यह विचार है कि उनमें ३०० रोगियों के रहने की व्यवस्था की जाये ।

(ख) से (ङ). इन बातों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

मदुरा-बोडीनायक्कनूर रेलवे लाइन

३२३. **श्री कण्डासामी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मदुरा-बोडीनायक्कनूर रेलवे लाइन को, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में उखाड़ दिया गया था, फिर से बनाने का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मदुरा-बोडीनायक्कनूर रेलवे लाइन के फिर से बनाये जाने का कार्य चालू आर्थिक वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

अंक २

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

[हिन्दी सस्करण]

:o:

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

श्री शिवदास डागा की मृत्यु [पृष्ठ भाग ११७९]

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें—क्रमागत [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

मांग संख्या २२—आदिमजाति क्षेत्र [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

मांग संख्या २४—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत फटकर व्यय [पृष्ठ भाग ११७९—११८२, ११८३—१२२८]

सदन पटल पर रक्खे गये पत्र—

(१) गुप्त समझौते का मसौदा

(२) सोवियत प्रेस की 'करेंट डाइजेस्ट'

(३) सोवियत मानचित्र [पृष्ठ भाग ११८२—११८३]

(मूल्य ६ आने)

361 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, १ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों तथा उनके कटौती प्रस्तावों पर चर्चा जारी रखेंगे । माननीय खाद्य मंत्री वाद विवाद का उत्तर देंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): गत दो दिनों में वाद विवाद अधिकांश रूप से 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की तथा कुछ सीमा तक विनियन्त्रण की आलोचना करने तक सीमित रहा है । परन्तु इससे पहले कि मैं इन दो विषयों की चर्चा करूं, मैं एक सदस्य द्वारा बंगाल में किये गये प्रबन्धों के सम्बन्ध में पूछ गये एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं । बंगाल में जो प्रबन्ध किये गये थे वे तुरन्त ही कार्यान्वित किये जा रहे हैं । जिला क्षेत्रों में सस्ते दामों पर अनाज बेचने वाली दुकानें खोली जा रही हैं । कुछ भागों में तो वे खुल भी गई हैं ; अन्य भागों में, जहां कहीं भी आवश्यक समझी जायेंगी, खुलने वाली हैं । मुझे कुछ शिकायतें मिली थीं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी दुकाने नहीं खोली गई हैं । मैं ने यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया था और मुझे उसका उत्तर भी मिल गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार जांच कर रही है । यदि सरकार जांच करने के पश्चात् ऐसी दुकानें खोलना आवश्यक समझेगी तो अवश्य खोल देगी । जो बात अभी तक नहीं हो सकी है वह है कलकत्ते में उचित दामों पर चावल बेचने वाली दुकानों का खोला जाना । बंगाल सरकार को चावल प्राप्त हो चुका है और मैं समझता हूं कि इस मास की ७ तारीख को वे उचित मूल्य पर चावल बेचने वाली दुकानें खोल देंगी । इस व्यवस्था के जारी होने से बंगाल के सारे प्रबन्ध पूरे हो जायेंगे ।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सफल न होने की आलोचना भिन्न भिन्न प्रकार की हुई है । भिन्न भिन्न सदस्यों ने इस की आलोचना भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से की है । कुछ लोगों ने तो अपनी आलोचना केवल राजनैतिक विचारों तक सीमित रखी है । मेरे माननीय मित्र सरदार लाल सिंह का ख्याल है कि इस देश में उस समय तक अधिक खाद्य उत्पादन नहीं हो सकता जब तक कि सरकार यह घोषणा न कर दे कि

[श्री किदवई]

जमीदारियां समाप्त नहीं की जायेंगी । उनका यह ख्याल है कि लोगों को अधिक बढ़े फार्म रखने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

सरदार लालसिंह (फिरोजपुर–लुधियाना) : मैंने यह नहीं कहा था । मैं ने तो प्रारम्भ में ही यह कह दिया था कि जमीदारी प्रथा के समाप्त किये जाने के तो मैं पक्ष में हूं ।

श्री किदवई : यदि मैंने अपने माननीय मित्र को गलत समझा है तो इसका मुझे खेद है । परन्तु उन्होंने यह कहा था कि खेती असरकारी ढंग से की जानी देनी चाहिये। सरकार को सहकारी या सामुदायिक आधार पर फार्म नहीं खोलने चाहियें और बड़े बड़े फार्मों को छोटे खेतों में बांटने की बात नहीं करनी चाहिये । क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

सरदार लालसिंह : जी नहीं, श्रीमान । मैंने तो यह कहा था कि जो लोग आधुनिक तरीकों से खेती कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करते रहने देना चाहिये । मैं ने कहा था कि यदि हम यह चाहते हैं कि भूमि पर अधिक से अधिक उपज हो तो हमें खेती के आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

श्री किदवई : तो मैं अपनी गलती सुधारता हूं ।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों का ख्याल है कि जब तक सारी भूमि कृषि श्रमिकों में नहीं बांट दी जाती तब तक 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को सफलता नहीं मिल सकती । ये दोनों विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते । अतः मैं एक दुविधा सी में पड़ा हुआ हूं कि आखिर किया क्या जाये ।

एक अन्य आलोचना का विषय 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन है, कुछ माननीय सदस्यों ने इस आन्दोलन की असफलता का कारण यह बतलाया है कि जिस रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है वह ठीक नहीं है ; कुछ सदस्यों ने यह कहा कि इसका कारण कृषि कार्यों में बडे पैमाने पर मशीनों का प्रयोग है ; कुछ ने यह विचार व्यक्त किया कि हमारा स्थानीय कृषकों को उत्साहित न कर सकना ही 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की असफलता का मूल कारण है । यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो इस अमुक विषय की जांच करके सरकार को प्रतिवेदना दे । कल के समाचार पत्र में एक जांच समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है । यह जांच समिति इसी प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई थी । वह मामले की जांच पड़ताल करके इस परिणाम पर पहुंची थी कि 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन असफल नहीं रहा है, बल्कि उसके फल निकल रहे हैं । समिति ने कुछ सिपारिशें की हैं जिन पर तुरन्त ही विचार किया जायेगा और, जहां तक सम्भव होगा, उनका पालन किया जायेगा । मुझे आशा है कि इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा । 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में इस समय तो मुझे बस इतना ही कहना है ।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) : हमने यह प्रतिवेदन नही देखा ।

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि वह मंत्रालय में तो अभी नहीं आया है, किन्तु समाचार पत्रों के पास पहुंच गया है ।

विनियन्त्रण के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने सामान्य विनियन्त्रण की नीति का समर्थन किया है । विरोधी पक्ष द्वारा इसकी कुछ आलोचना की गई थी । मैं नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था में विश्वास रखता हूं । मैं जानता हूं कि सुयोजित विकास केवल नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत ही हो सकता है । परन्तु हमारे देश में पिछले लगभग १० वर्षों

में जिस प्रकार का नियन्त्रण रहा है उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इन नियन्त्रणों के कारण लोगों को, कृषकों को तथा उपभोक्ताओं को जिस जिस कठिनाई का अनुभव होता है वह कल हमें बतलाई गई थीं।

नियंत्रण ऐसे समय पर लगाये गये थे जब कि मूल्य बढ़े हुए थे; यदि उस समय नियन्त्रण नहीं लगाये जाते तो उपभोक्ताओं को बहुत हानि होती। एक ऐसे समय में जब कि उत्तरी भारत में गेहूं का मूल्य २६ रुपये से बढ़कर ३० रुपये प्रति मन तक हो गया था, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिये नियन्त्रण के अभाव में, उचित मूल्य पर अनाज खरीदना भी असम्भव हो जाता। सरकार ने गेहूं खरीदना शुरू किया—पंजाब में १० रुपये प्रति मन, यू० पी० में १३ रुपये प्रति मन—तथा उचित मूल्य पर बेचने वाली दुकानें खोल दीं जहां से लोग अपनी अपनी आवश्यकतानुसार अनाज खरीद सकें। यह उस समय की बात है जब खुले बाजार में मूल्य बहुत बढ़े हुए थे।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): जानकारी प्राप्त करने के हेतु, श्रीमान्। क्या ग्रामीण जनता को भी इन नियंत्रणों से कोई लाभ होता है? क्या उन्हें राशन व्यवस्था से कोई लाभ पहुंचता है?

श्री किदवई: कुछ स्थानों में, जहां खाद्य का अभाव है, राशन व्यवस्था है। परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो स्वयं खाद्य उत्पन्न करते हैं और वे अपनी आवश्यकता के लिये खाद्य बचा कर रख भी सकते हैं। कृषि श्रमिकों को तो मजूरी प्रायः रुपयों में नहीं बल्कि वस्तुओं के रूप में दी जाती है। अतएव ग्रामीण जनता को उतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी नगरों में रहने वालों को।

आज स्थिति उस से बहुत भिन्न है जो १९४७ में थी। लोगों ने १९४७-४८ के विनियन्त्रण की ओर निर्देश किया है तथा कहा है—तथा कह रहे हैं—कि शायद अब भी उसके वही परिणाम निकलेंगे। सन् १९४७ में जब राशन प्रणाली समाप्त की गई थी तब खाद्यान्न के आने जाने आदि पर से प्रतिबन्ध उठाये गये थे तो स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी कि आज कल है। मैं यू० पी० के बारे में जानता हूं। उस समय समाहार मूल्य १३ रुपये प्रति मन था। खुले बाज़ार में क़ीमत २६ रुपये प्रति मन थी। उस समय सरकार को १३ रुपये प्रति मन के हिसाब से ख़रीदने में कठिनाई हो रही थी और उसे पुलिस आदि सारे दबावों का प्रयोग करना पड़ा था। उस समय ऐसी स्थिति थी। उस समय यह ख्याल किया जा सकता था कि नियन्त्रण के समाप्त होते ही मूल्य बढ़ कर चोर बाज़ार में प्रचलित मूल्य के स्तर पर आ जायेगा। जैसा कि स्वाभाविक ही था, विनियन्त्रण होने के एक दो सप्ताह बाद ही मूल्य बढ़ने प्रारम्भ हो गये, अतः मूल्य-नियन्त्रण पुनः चालू करना पड़ा। परन्तु आज कल स्थिति क्या है? आजकल तो राशन की दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मिलने वाली चीज़ों की क़ीमतें राशन की दुकानों में मिलने वाली चीज़ों की क़ीमतों से कम हैं। यू० पी० में सरकार गेहूं १६ रु० प्रति मन की दर से खरीद रही है और बाहर भी अधिक से अधिक मूल्य १६ रुपये प्रति मन ही है। यदि सरकार का समाहार मूल्य कम कर दिया जाता तो गेहूं का मूल्य गिर जाता। यू० पी० के कुछ क्षेत्रों में सरकार गेहूं १३ रुपये और १३ रुपये ८ आने प्रति मन की दर से खरीद रही थी तथा उन क्षेत्रों के बाहर भी मूल्य उतना ही है।

राशन की दुकानों को ही लीजिये। वहां गेहूं की निकासी कम होती जा रही है क्योंकि लोगों को चोर बाज़ार से ख़रीदना अधिक लाभदायक रहता है। दो दिन हुए मैं ने उत्तर

[श्री किदवई]

प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में राशन की दुकानों की निकासी के आंकड़े मंगवाये । उन्हें देखने से पता लगता है कि दुकानों के गेहूं की निकासी सप्ताह प्रति सप्ताह कम होती जा रही है । सहारनपुर में मई के मास में निकासी सामान्य निकासी की ६४ प्रतिशत थी तथा प्रथम पक्ष में वह घट कर ५३ प्रतिशत हो गई । इसी प्रकार बुलन्दशहर में वह घट कर ५८ से ५२ प्रतिशत रह गई ।

यदि स्थिति यह है तो वर्तमान नियन्त्रण किसके हित के लिये बनाया रखा जाये ? जैसा कि मैं ने अभी बतलाया, नियन्त्रण उपभोक्ताओं के हितार्थ लगाये गये थे । जब उससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं पहुंचता और चीज़ों की क़ीमतें बराबर बढ़ती ही जा रही हैं तो फिर उनके लगाने से क्या फ़ायदा ? मैं मानता हूं कि ऐसा समय आ सकता जब कि नियन्त्रण लगाना उत्पादकों के हित में आवश्यक हो, परन्तु अभी वह समय नहीं आया है । इस बीच, जहां हम आवश्यक समझते हैं, कुछ प्रतिबन्धों को नर्म किया जा रहा है । परन्तु हम खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था क़ायम रखे हुए हैं । हम जानते हैं कि यदि व्यापारियों ने अपनी मन मानी की और उन पर कोई रोक नहीं रही तो मूल्य पुनः बढ़ जायेंगे । अतएव हम कुछ ऐसे उपाय कर रहे हैं जिन से व्यापारियों पर कुछ रोक लगी रहे ।

हमारा ख़्याल है कि सरकार को सदैव अपने पास काफ़ी मात्रा में अनाज रखना चाहिये । जब मूल्य बढ़ने लगें तो उसे उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानें खोलनी चाहियें । मद्रास में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जहां कहीं सरकारी दुकानें नहीं खोली जाती हैं वहीं मूल्य बढ़ने लगते हैं और ज्यों ही दुकानें खुल जाती हैं, मूल्य कम हो जाते हैं । जिन क्षेत्रों में विनियन्त्रण करने का प्राधिकार दे दिया गया है वहां की सरकारों से हम ने कह दिया है कि वे अगली फसल से पहले खाद्यान्न का समाहार करने को तैयार रहें— यदि वे यह समझें कि इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है तो उस दशा में वे जितनी मात्रा आवश्यक समझें उतनी ख़रीदें ।

इसी प्रकार हम निजी व्यापारियों पर नियन्त्रण रखने के लिये अन्य उपाय कर रहे हैं । उदाहरण के लिये, हम इस सारभूत वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई विधान या आदेश निर्गमित कर रहे हैं जिस के अधीन खाद्यान्न के प्रत्येक व्यापारी को, चाहे वह थोक व्यापार करता हो या खुदरा, अपने आप को रजिस्टर कराना होगा । उस को क्रय और विक्रय का लेखा रखना होगा । ऐसे लेखों का निरीक्षण किया जा सकता है । इस के अतिरिक्त, जब कभी भी सरकार यह समझे कि मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि साधारण उपभोक्ता के लिये खाद्यान्न ख़रीदना कठिन हो गया है, तो उसे यह प्राधिकार होगा कि वह निजी व्यापारियों से, समाहार दर से कुछ अधिक दर पर, खाद्यान्न का अधिग्रहण कर सके तथा उसे उचित मूल्य पर खाद्यान्न बेचने वाली दुकानों के द्वारा बिकवा सके । मेरा ख़्याल है कि यदि हम इन सब बातों को ठीक तरह पूरा कर सकें तो हम आने वाले प्रत्येक संकट का मुक़ाबला कर सकेंगे तथा वर्तमान विनियन्त्रण नीति सफल हो सकेगी । जैसा कि मैं ने कहा, हम कुछ क्षेत्रों में विनियन्त्रण उपभोक्ताओं के हित में कर रहे हैं—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि नियन्त्रण उपभोक्ताओं के हित में लगाये गये थे ।

कुछ आलोचना उत्पादन के सम्बन्ध में हुई थी । यह दिखलाने के लिये कि उत्पादन कम हो रहा है कुछ आंकड़े सरकारी किताबों में से उद्धृत किये गये थे । जैसा कि हम में से अधिकांश जानते हैं, कृषि-समक गांवों के पटवारियों या उनकी पंक्ति के अन्य पदधारियों की रिपोर्टों पर निर्भर होते हैं । जब यह

समाहार प्रारम्भ हुआ तो पटवारियों ने तथा उनकी पंक्ति के अन्य पदधारियों ने यह सोचा कि यदि वह अधिक उत्पादन की रिपोर्ट देंगे तो उन से अधिक समाहार करने के लिये कहा जायेगा जब कि उनके कम उत्पादन बतलाने की दशा में उनसे उतना समाहार करने के लिये नहीं कहा जायेगा । अतः उन्होंने उत्पादन का कम प्राक्कलन देना प्रारम्भ कर दिया । विभाग ने नमूनों की पड़ताल करके यह पता लगाया कि जब कि १९४९-५० में उत्पादन का प्राक्कलन १·८ प्रतिशत अधिक लगा लिया गया था, १९५०-५१ में यह ६·८ प्रतिशत कम और १९५१-५२ में ४·२ प्रतिशत कम लगाया गया था । यदि आप इन आंकड़ों को ध्यान में रक्खें तो आप देखेंगे कि उत्पादन कम नहीं हुआ है । यह सच है कि गत दो वर्षों में देश के बहुत से क्षेत्रों में अनावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण काफ़ी नुक़सान पहुंचा है । परन्तु हमारा उत्पादन बढ़ गया है । बहुत से राज्य नई भूमि पर खेती कर रहे हैं और उन पर उपज भी होने लगी है । मैं आशा करता हूं कि कुछ समय में इन नये क्षेत्रों में उत्पादन इतना अधिक होने लगेगा जितना कि किसी अन्य उपजाऊ भूमि में हो सकता है, और उससे हमारी कमी एक बड़ी सीमा तक पूरी हो सकेगी ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : बिना किसी प्रकार के भूमि-सुधार के ?

श्री किदवई : बहुत से राज्यों में भूमि-सुधार की कार्यवाहियां की जा रही हैं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने आज समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश ने ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी है ।

श्री नम्बियार : वहां तो क्षतिपूर्ति दिया जायेगा ।

श्री किदवई : मैं जानता हूं कि भूमि-सुधार का कार्य पूर्ण करने के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उससे तो केवल इतना ही हुआ है कि ज़मींदारों का स्थान सरकार ने ले लिया है । आप यह कह सकते हैं कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो गया है, परन्तु अन्य कार्यवाहियां भी की जानी होंगी । मैं समझता हूं कि हमने इस दिशा में श्रीगणेश कर दिया है और हमारी प्रगति बहुत जल्दी जल्दी होगी । माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों में यह भी पढ़ा होगा कि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या भूमि का विभाजन होना चाहिये या क्या किसी एक व्यक्ति की भूमि की सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये । मेरा ख्याल है कि इन सब बातों का वांछित प्रभाव होगा ।

गत दिवस—मैं समझता हूं कल ही—एक मित्र ने समाजवादी गांवों की ओर निर्देश किया । मैं नहीं कह सकता कि किन्हीं क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं । मैं उन्हें किसी गांव का समाजवादी ढंग पर संगठन करने के लिये आमंत्रित करता हूं । वह सामूहिक ढंग से या सहकारी ढंग से या समाजवादी पक्ष के कार्यक्रम के अनुसार किसी अन्य ढंग से खेती करवायें । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस काम में सरकार भी उनकी उतनी ही सहायता करेगी जितनी कि उनका पक्ष ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : स्पष्टीकरण के हेतु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि समाजवादी गांव से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि गांव समाजवादी हो गया है । यदि कुछ लोगों ने समाजवादियों को मत दिया तो सत्ताधारी पक्ष ने उनका बहिष्कार कर दिया ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री किदवई : मैं माननीय सदस्य को इस बात का निमंत्रण देता हूं कि वह ग्राम्य जीवन को समाजवादी ढंग पर संगठित करें । हम उनको सहायता देंगे । मैं ने तो यह कहा

[श्री किदवई]

है। कल उन्होंने उड़ीसा के कुछ समाजवादी गांवों का उल्लेख किया था।

श्री सारंगधर दास : आप फिर यह कह रहे हैं। मैं ने बतलाया....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब इस प्रकार का वाद प्रतिवाद नहीं होना चाहिये।

श्री किदवई : मैं ने नियन्त्रणों को नर्म करने वाली नई प्रस्थापना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न सदस्यों द्वारा की गई आलोचना सुनी है। श्री मोरे द्वारा की गई आलोचना पर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं जानता हूं कि उन के विचार भिन्न हैं और वह बम्बई राज्य में भी विनियन्त्रण आदि चाहते हैं।

नियंत्रण तथा अपनियंत्रण के विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं ने पहले कहा, मैं नियन्त्रण के पक्ष में हूं। कोई योजना बनाते समय नियन्त्रण रहने आवश्यक हैं। परन्तु वर्तमान प्रकार के नियन्त्रणों से हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के नियन्त्रणों को मैं जिन कारणों से समाप्त करना चाहता हूं उन में से एक यह है कि इन के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को खाद्यान्न काफ़ी महंगा पड़ता है। मेरे पास एक विवरण है जिस से यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार के नियन्त्रणों से क़ीमतें किस प्रकार प्रभावित होती हैं। मैं देखता हूं कि एक राज्य में चावल का समाहार मूल्य २९ रुपये प्रति मन है तथा थोक विक्रेताओं के लिये विक्रय मूल्य ३८ रुपये प्रति मन है, अर्थात् ९ रुपये प्रति मन अधिक। खुदरा विक्रेता भी उसके अतिरिक्त कुछ लेता है तब कहीं वह उपभोक्ताओं को मिलता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक भाव ३ रुपये १२ आने ७ पाई है। यानी यदि वे चावल १४ रुपये प्रति मन की दर से ख़रीदते हैं तो खुदरा विक्रेताओं को या अन्य राज्यों को वह १७ रुपये १२ आने ७ पाई की दर से बेचा जाता है। मैं ने गणना की है कि मूल्यों में कम से कम ४० प्रतिशत वृद्धि इस नियन्त्रण तथा राशन प्रणाली से हुई है। मैं देखता हूं कि प्रत्येक राज्य में उड़ीसा या अन्य किसी ऐसे राज्य को छोड़ कर जहां प्रासंगिक भार कम हो, वृद्धि लगभग २० और ४० प्रतिशत के बीच हुई है। अतएव जैसा कि मैं पहले भी बतला चुका हूं, मैं व्यापारियों पर कोई न कोई नियन्त्रण रहने का यत्न कर रहा हूं। यदि हम सावधान रहे तो हम यह नियन्त्रण अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रख सकेंगे और उस का उपभोक्ता पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पंडित एल० के० मैत्रा (नवद्वीप) : क्या ये आंकड़े बिल्कुल नये हैं ? आपको ये आंकड़े कब मिले ?

श्री किदवई : जी हां, बिल्कुल नये हैं।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित-अनुसूचित जातियां) : बस इतना ही कुछ है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, श्रीमान् ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं होगा।

अब मैं मतदान के लिये कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये हैं। अब मैं मांगों को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेशपत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ४२,

४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ११६, ११७, तथा ११८ के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये उक्त आदेशपत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन द्वारा यह मांगें स्वीकृत की गईं:

मांग संख्या ४२—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—३१,११,००० रुपये।

मांग संख्या ४३—वन— २४,२३,००० रुपये।

मांग संख्या ४४—भारतीय भूपरिमाप—६८,३५,००० रुपये।

मांग संख्या ४५—वानस्पतिक परिमाप—९७,००० रुपये।

मांग संख्या ४६—प्राणकीय परिमाप—२,८५,००० रुपये।

मांग संख्या ४७—कृषि—२,१५,०१,००० रुपये।

मांग संख्या ४८—असैनिक पशु चिकित्सा सेवायें— २३,२५,००० रुपये।

मांग संख्या ४९—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय—१२,३९,३७,००० रुपये।

मांग संख्या ११६—बनों पर पूंजी व्यय—१६,६९,००० रुपये।

मांग संख्या ११७—खाद्यान्नों का क्रय—१,२६,९२,३९,००० रुपये।

मांग संख्या ११८—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय—२०,२१,३३,००० रुपये।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगा।

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय—४,०५,००० रुपये।

मांग संख्या ५१—चिकित्सा सेवायें—५८,११,००० रुपये।

मांग संख्या ५२—लोक-स्वास्थ्य—५१,९८,००० रुपये।

मांग संख्या ५३—स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय—४६,१२,००० रुपये।

मांग संख्या ११९—स्वास्थ्य मंत्रालय पर पूंजी व्यय—१,१६,१०,००० रुपये।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

लेडी हार्डिंग कालेज के कर्मचारियों के श्रमिक संघों का अभिज्ञान न किया जाना

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़—पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

नीति

श्री मोहन राव (राजामंड्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

ग्रामीण जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

श्री बहादुर सिंह (फ़िरोज़पुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रूपये की कटौती की जाये।"

चिकित्सा प्रशासन की सामान्य नीति

श्री वैलायुधन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

बम्बई के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को कम से कम मात्रा में भी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी अपेक्षित सुविधायें न दे सकना

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

ग्राम-स्वास्थ्य समस्याय

श्री वाघमारे (परभणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नीति

श्री रामजी वर्मा (ज़िला देवरिया—पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम सुविधायें

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों के समान चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'लोक स्वास्थ्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्रत्येक जिले में दो क्षय रुजालय तथा अस्पताल रखने की वांछनीयता जिनमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तथा यथेष्ट मात्रा में औषधियां, बी०सी०जी०टीका सहित, हों

श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'लोक स्वास्थ्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

गांवों में चिकित्सा सुविधायें

श्री रामजी वर्मा : मै प्रस्ताव करता हूं कि:

" 'लोक स्वास्थ्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

सामान्य नीति

डाक्टर जयसूर्य (मेदक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।''

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद्

डा० जयसूर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'चिकित्सा-सेवायें' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

ढांचा तथा सगठन

डा० जयसूर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'लोक स्वास्थ्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'स्वास्थ्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

लोक-स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले उपायों की अपर्याप्तता

डा० अमीन (बड़ौदा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'लोक स्वास्थ्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अनुसूचित जातियों को, विशेषतया गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'लोक स्वास्थ्य' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : अब ये सब कटौती प्रस्ताव चर्चा के लिये सदन के समक्ष हैं । निर्धारित समय-सीमा रहेगी और चर्चा मध्यान्ह १२ बजे तक जारी रहेगी । इस में वह समय भी शामिल है जो माननीय मंत्री वाद विवाद का उत्तर देने में लेंगे ।

डा० जयसूर्य : मुझे खेद है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों ने भी अन्य देशों में प्रचलित विपरीत रायों को मान लिया है । स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बी० सी० जी० टीके के बारे में यह कहा गया है कि भिन्न भिन्न देशों में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रसिद्ध कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकाशित अनेक रिपोर्टों से यह सिद्ध हो चुका है कि इस टीके के फलस्वरूप क्षय रोग का आयात बहुत कम हो गया है । मैं यह नहीं कह सकता कि इस का निर्देश किस की ओर है । मैं यह नहीं जानता कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट किस ने लिखी है । उस में कहा गया है कि यदि बी० सी०जी० टीके के फलस्वरूप क्षय रोग से मरने वालों की संख्या में ४/५ कमी हो गई तो भारत में क्षय रोग से मरने वालों की संख्या जो इस समय ५ लाख है, घट कर एक लाख रह जायेगी । तो बी० सी० जी० के टीकों से यह आशा की जा रही है । यदि कोई व्यक्ति जीव शास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान रखता है तो वह यह भी जानता होगा कि हम जीव शास्त्र पर गणित के सिद्धान्त लागू नहीं कर सकते । "रौकफ़ैलर इंस्टीट्यूट" के 'जर्नल आफ़ दि अमेरीकन मैडिकल असोसियेशन' ने १८ अगस्त, १९५१ को लिखा था कि यह कहा जाता है कि १९२४ और १९४४ के बीच ब्यूनस आयर्स में क्षय रोग से मरने वाले, १५ वर्ष से कम आयु वाले, बालकों की संख्या में ७२ प्रतिशत कमी आई । इस कमी का कारण बी० सी० जी० टीका बतलाया गया । उक्त 'जर्नल' में कहा गया है कि उन्हीं वर्षों में न्यूयार्क शहर में क्षय रोग से मरने वालों की संख्या में बी० सी० जी० टीके के बिना भी ९५ प्रतिशत कमी हुई । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में १९५२-५३ के आयव्ययक में २,६०,००० रुपये की व्यवस्था की है जब कि संयुक्त राज्य के स्वास्थ्य ब्यूरो ने १९४६ में हुए एक सम्मेलन में यह निश्चय किया कि इस के पक्ष में कोई सन्तोषजनक प्रमाण नहीं

[डाक्टरजयसूर्य]

मिल रहा है। तो इसे कहा जा रहा है सरकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण !

इस सम्बन्ध में मैं आप को एक और उदाहरण दूं। पहले एक मलेरिया आयोग नियुक्त किया गया था। जिस ने स्वास्थ्य सेवाओं की दशाओं का पर्यालोकन किया था आयोग ने जो विचार प्रकट किये वे प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यक्त राय के प्रतिकूल थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि भारत में जीवन-स्तर बहुत निम्न है। शिक्षा का स्तर भी उतना ही निम्न है। ८० प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। तो उस ने ये बातें स्वीकार की हैं और यह आशा की है कि यदि पंचवर्षीय योजना सफ़ल हुई तो 'भोर समिति' की सिफ़ारिशों का पालन हो सकेगा। मेरी समझ में किसी योजना में कोई शर्त आदि नहीं होनी चाहिये। 'भोर समिति' की रिपोर्ट का आधार 'बिल्कुल ग़लत है। अवैज्ञानिक प्रस्थापना तथा ग़लत आधार वाली वैज्ञानिक प्रस्थापना में कुछ भी अन्तर नहीं है। यदि किसी योजना का आधार ठीक हो तो उस में फ़ेर-बदल करने में भी अधिक समय नहीं लगता। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलेरिया से सब से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है तथा डी० डी० टी० मलेरिया का आयात कम करने का एक प्रभावपूर्ण साधन है। मैं चाहता हूं कि यह बात ठीक हो और डी० डी० टी० अपना प्रभाव दिखला सके।

भारत की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या एक जटिल समस्या है। यहां के ९० प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। बहुत अधिक लोग बे पढ़े लिखे हैं। १८ वर्ष पहले मुझ से भारतीय चिकित्सा संघ (इंडियन मैडिकल ऐसोसियेशन) द्वारा गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। अध्ययन करने पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि हम लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देनें में उन प्रमापों का अनुसरण कर रहे हैं जिन का प्रयोग अधिक धनवान देशों में किया जाता है। हम उन्हें भारत में अपना रहे हैं, परन्तु उस में हमें असफ़लता मिली है क्योंकि मैं केवल ग्रामचिकित्सा में ही बहुत दिलचस्पी रखता था, मुझे पता लगा कि दो आंकड़े ऐसे थे जो निष्पक्षता के साथ तैयार किये गये थे। एक इन्डोनेशिया में डौरोले द्वारा प्रस्तुत किये गये थे और दूसरे भोपाल के कर्नल अब्दुर रहमान द्वारा। उन्होंने यह पता लगाया कि भारत या एशिया में २.३ प्रतिशत लोग आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करते हैं। उन्हों ने एक और आश्चर्यजनक आंकड़ा दिया और वह यह था कि आधुनिक अर्थ में केवल २.३ प्रतिशत लोगों को अस्पताल सम्बन्धी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। डा० जीवराज मेहता ने सन् १९४४ या १९४५ में कहा कि सम्पूर्ण चिकित्सा सम्बन्धी कार्यवाही का ८७ प्रतिशत भाग तो सामान्य चिकित्सा तक ही सीमित रहता है, केवल १३ प्रतिशत भाग विशेष रोगों से सम्बन्ध रखता है। अब तक किसी राजकीय संस्था द्वारा यह नहीं पता लगाया गया कि आयुर्वेदिक, यूनानी, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों का वास्तविक महत्व क्या है। मैं ने और जगह जा कर यह पता लगाने का प्रयत्न किया था कि भारत के लिये सस्ती चिकित्सा प्रणाली कौन सी रहेगी। ग्रान्ट ने कहा है कि लोक-स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी योजनायें अच्छी तरह से उस दशा में बनाई जा सकती हैं जब कि उस स्थान की आर्थिक हालत के बारे में पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि स्पष्टतया भारत और इंगलैंड की प्रति व्यक्ति आय में बहुत अन्तर है। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि जो चिकित्सा प्रणाली इंगलैंड

में सफ़ल हो वह भारत में भी सफल ही रहे। ग्रान्ट का कहना है कि भारत में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम बनने से पूर्व वहां की आर्थिक दशा सुधरनी चाहिये।

मुझे खेद है कि मुझे सदन के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखने पड़ रहे हैं जो अप्रिय से प्रतीत हो सकते हैं। मेरे पास भारत सरकार की १९४७ की स्वास्थ्य रिपोर्ट है जो १८५० में तो छपी थी। इस के बाद वह २ फ़रवरी, १९५२ को संसद् पुस्तकालय में आई। मैं पहला व्यक्ति हूं जिस ने उसे वहां से ले कर पढ़ा। उस से हमें मालूम होता है कि १९४०-४१ में अस्पतालों की कुल संख्या लगभग ६,५०० थी। आठ वर्षों में अस्पतालों और चिकित्सालयों की संख्या ६,६६० हो गई। जिन में २,०५२ तो नगरीय क्षेत्रों में थे और ६००,००० गांवों में केवल ४,६१७ चिकित्सालय आदि थे। ३१ दिसम्बर १९४७ को अस्पतालों में कुल ८०,००० रोगियों के रहने की व्यवस्था थी। १९४८ में ऐलोपैथिक डाक्टरों की संख्या ४८,००० थी जिनमें से ३६,००० नगरों में थे। 'भोर समिति' के अनुसार यहां दो लाख डाक्टरों की आवश्यकता है जबकि यहां हैं केवल ४८,००० और उस में से गांवों में तो केवल १२,००० ही हैं। जैसा कि अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन (आल इंडिया मैडिकल कान्फ़ेंस) में कैप्टेन मुखर्जी ने बतलाया, 'भोर समिति' ने यह बात जान बूझ कर स्पष्ट नहीं की है कि हमारे देश में कोई पांच लाख चिकित्सक आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक प्रणालियों के हैं। उन की चाहे कुछ भी योग्यता हो, गांवों की चिकित्सा व्यवस्था में उन का एक बड़ा भाग है। तो ऐसे चिकित्सकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। लोग तो उन से इलाज करवायेंगे ही यह तो अब सरकार का काम है, कि वे आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित करे तथा इस दिशा में शीघ्र कोई पग उठाये। भारतीय चिकित्सा परिषद् (इंडियन मैडिकल काउन्सिल) तथा भारतीय चिकित्सा संघ (इंडियन मैडिकल ऐसोसियेशन) तो केवल ऐलोपैथिक डाक्टरों के हित की चिन्ता कर रहे हैं, उन्हें इन वर्गों के चिकित्सकों को प्रशिक्षण आदि देने की कोई परवाह नहीं है।

मैं समझता हूं कि मैं ने जो कुछ कहा है उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार—स्वास्थ्य-विभाग—किस प्रकार अवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जनता का हित सर्वोपरि है। जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये हमें नये नये उपाय करने होंगे। यदि वर्तमान सरकार जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं करती तो मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि कोई दूसरी सरकार आ कर ऐसा करेगी। आप को पूर्वनिर्धारित धारणाओं पर नहीं चलना है, बल्कि वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को समझ कर उस के अनुकूल कार्य करना है। हमें निष्पक्ष भावना से अग्रसर होना है। भारतीयों के सम्बन्ध में एक दुर्भाग्यपूर्ण धारणा यह है कि प्रायः उन्हें चोट खाने के बाद अक्ल आती है, वे पहले से ही उस से बचने की कोशिश नहीं करते। यदि आप इस क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो इस के लिये बहुत गुंजाइश है। आप के पास पर्याप्त सामग्री मौजूद है, आप के पास राष्ट्रीय योजना समिति थी, १९३९ की रिपोर्ट मौजूद है। आप इन सब का अनुसरण कर सकते हैं। एक बात मुझे यह कहनी है कि यह 'परिवार आयोजन का प्रश्न बिल्कुल अर्थहीन है। जिस जनता का जीवनस्तर ही निम्न हो उस में यह सफ़ल नहीं हो सकता।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : वैसे तो स्वास्थ्य का विषय बहुत विस्तीर्ण है, परन्तु मैं स्वास्थ्य के सब पहलुओं की चर्चा न कर सकूंगी। क्योंकि मेरे पास समय बहुत

[श्रीमती ए० काले]

कम है। अतएव मेरा विचार केवल एक पहलू पर ही बोलने का है, अर्थात्, दुनिया की तथा हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। गत तीन शताब्दियों में दुनिया की जनसंख्या चौगुनी हो गई है। इस वृद्धि का दो तिहाई भाग तो केवल पिछली शताब्दी में ही हुआ है। २०वीं शताब्दी में जन संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी कि पहले कभी नहीं बढ़ी। १८७१ तथा १९४१ के बीच भारत की जनसंख्या ५२ प्रतिशत बढ़ी है जिस का अर्थ यह हुआ कि ७० वर्ष की अवधि में हमारी जनसंख्या का आधे से भी अधिक भाग बढ़ा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि मध्य प्रदेश में उन राज्यों में से एक है जहां खाद्य आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है। इन ७० वर्ष में वहां भी जनसंख्या दुगुनी हो गई है। स्थूल आगणन से पता लगता है कि वहां एक व्यक्ति पीछे कृषि क्षेत्र लगभग एक तिहाई एकड़ का हो गया है जिस का अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति पीछे ७५ पौंड खाद्यान्न प्रति वर्ष कम उत्पन्न होता है। यदि एक 'आधिक्य' वाले राज्य की यह दशा है तो फिर कमी वाले क्षेत्रों का क्या हाल होगा, यह आप सोच सकते हैं। अतः मेरा कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस का हल 'युद्ध के आधार' पर कार्यवाही कर के निकाला जाना चाहिये

सरकारी रिपोर्ट के 'परिवारआयोजन विषयक पैरा में कहा गया है कि गर्भावरोधी वस्तुओं का प्रयोग असफल और अव्यवहार्य समझा गया है और इसलिये "रिद्म" प्रणाली या "सुरक्षित काल" प्रणाली द्वारा परिवार आयोजन का प्रयोग करने का निश्चय किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने यह निश्चय क्यों और कैसे कर लिया कि गर्भावरोधी वस्तुओं का प्रयोग अबुद्धिमत्ता पूर्ण और अव्यवहार्य है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इस क्षेत्र में गत २२ वर्षों से कार्य कर रहा है और उस का अनुभव यह है कि परिवार आयोजन के अब तक जो जो तरीके निकले हैं उन में से यह तरीका सब से अधिक अच्छा है। "रिद्म" प्रणाली की सफलता में सन्देह तो है ही किन्तु इस के अतिरिक्त उस में एक खराबी यह है कि वह कुछ हद तक अव्यवहार्य भी है, क्योंकि साधारण लोगों के लिये इतना हिसाब किताब करना असम्भव है। केवल इतना ही नहीं, डा० स्टोन जैसे विशेषज्ञ के अपने रुजालय में भी तथा कथित "रिद्म" प्रणाली का प्रयोग नहीं किया। मैं सरकार को एक सुझाव यह देना चाहती हूं कि जब तक "रिद्म" प्रणाली का प्रयोग पूरा नहीं हो जाता तब तक कम से कम गर्भावरोधी वस्तुओं को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया जाये। जिस से कम से कम इस अवधि में तो लोगों को ये वस्तुयें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होती रहें।

सन्तति निग्रह के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं और यह कहा गया है कि संयम रखा जाये। तो इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब महर्षि विश्वामित्र तक संयम खो बैठे थे तो साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या। कुछ आपत्ति इस तरीके के अप्राकृतिक होने के आधार पर की गई है। मैं समझती हूं कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिस में बहुत सी चीजें अप्राकृतिक हैं, तो केवल इस पर ही आपत्ति क्यों की जाये? कुछ लोग, विशेषतया ईसाई, यह कहते हैं कि यह तरीका अधार्मिक है। परन्तु यदि आप ईसा से १५०० वर्ष पूर्व की कुछ पुस्तकें देखें तो आप को ज्ञात होगा कि उन में भी इस प्रकार के सन्तति-निग्रह की ओर निर्देश किया गया है और उस का समर्थन किया गया है। मेरा अपना ख्याल यह है कि हमारी पंचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी जितने कार्यक्रमों का उल्लेख है वे तब तक सफल नहीं होंगे जब तक तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या को इस तरीके द्वारा नहीं रोका जायेगा।

अब मैं एक और चिकित्सा प्रणाली की ओर निर्देश करूंगी। यदि सरकार इस चिकित्सा प्रणाली को अपना ले तो मेरी राय में इस से एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी। मेरा अभिप्राय "क्रोमोपैथी" अर्थात्, 'रश्मि चिकित्सा' से है। मुझे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है कि इस साधारण चिकित्सा प्रणाली से बहुत से रोग अच्छे हो जाते हैं। अतः इस प्रणाली का अग्रेतर अनुसन्धान किया जाये। यदि यह सफल हुआ तो देश की यह चिंताजनक समस्या हल हो सकती है। अतएव मैं आशा करती हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर ध्यान देगी।

श्री वर्तक (थाना) : स्वास्थ्य मंत्रालय ने गत चार वर्षों में जो सफलतायें प्राप्त की हैं उन के लिये मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। ये सफलतायें इसीलिये प्राप्त हो सकीं क्योंकि केन्द्र ने राज्यों को समुचित सहयोग तथा सहायता दी। यदि भीषण रोगों को रोकने तथा उन का इलाज करने के हेतु सामयिक कार्यवाही की जाये तो अब भी उन रोगों पर काबू पाया जा सकता है। इस अभिप्राय से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के दो सम्मेलन भी किये जा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे सम्मेलन भविष्य में किये जाते रहें। क्योंकि उन से बहुत लाभ होता है।

सारे भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते हैं और कोई २० लाख व्यक्ति इस के शिकार बन जाते हैं। अतः इस भीषण रोग को समाप्त करने के लिये कुछ न कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। सब राज्य मिल कर इस के लिये कोई डेढ़ करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं। मेरी राय में यदि तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार भी डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करे और विश्व स्वास्थ्य संस्था के द्वारा अमेरीका से निःशुल्क डी० डी० टी० मंगवाये तो वह देश की जनता को इस खतरनाक रोग से छुटकारा दिलाने में बहुत कुछ सफल हो सकती है। मैं विशेषतया स्वास्थ्य तथा वित्त मंत्रियों से इस योजना की सिफारिश करूंगा क्योंकि अपने निर्वाचन-क्षेत्र में व्यक्तिगत अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि गांवों से मलेरिया रोग को दूर किया जाये तो इस से जनधारण को अत्यधिक लाभ पहुंचने की संभावना है।

कोई पांच लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं। उस से आदमी घुल घुल कर मरता है। इस रोग पर विजय पाने के लिये बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता। केन्द्रीय सरकार बी० सी० जी० टीकों का उपयोग तो कर रही है परन्तु मेरी राय में केवल बी० सी० जी० टीके से कुछ नहीं होगा। क्षय रोग से पीड़ित लोगों के लिये अस्पतालों की कमी है। अस्पतालों में अधिक रोगियों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। और इस के अतिरिक्त गृह चिकित्सा योजना भी संगठित की जानी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

क्योंकि हमारे देश में इतने भीषण रोग विद्यमान हैं, अतः यहां चिकित्सा शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी अत्यधिक आवश्यक है। वैसे तो इस दिशा में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें प्रगतिशील हैं। कितने ही नये प्रशिक्षणालय स्थापित किये गये हैं। बम्बई में सन् १९४६ तक केवल दो प्रशिक्षणालय थे जबकि अब उन की संख्या छः तक पहुंच गई है। परन्तु अब भी उक्त प्रशिक्षणालयों में दाखिले का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से केवल एक चौथाई को ही स्थान मिल पाता है। एक और दुखद बात यह है कि अधिकतर डाक्टर नगरों में चिकित्सा करना चाहते हैं जिस का परिणाम यह होता है कि गांवों में अपेक्षतया कम अनुभव वाले और अदक्ष

[श्री वर्तक]

चिकित्सक रह जाते हैं। सौभाग्य से वैद्य, हकीम और होम्योपैथिक चिकित्सकों से गांवों में पर्याप्त सहायता मिल जाती है। वास्तव में यह खेद का विषय है कि जिस देश की ८५ प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती हो, उस में ८५ प्रतिशत डाक्टर शहरों में प्रैक्टिस करें। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सब सुविधायें दे जिस से देश की भलाई हो।

मैं यह आग्रह करूंगा कि चिकित्सा सहायता के जोकि एक प्रथम श्रेणी का राष्ट्र-निर्णायक कार्य है, मार्ग में आर्थिक कठिनाइयां नहीं आनी चाहियें। जिस प्रकार कि देश की बाह्य रक्षा के लिये सेना जरूरी है, उसी प्रकार देश की आन्तरिक दशा के लिये चिकित्सा सहायता आवश्यक है।

डा० अमीन : ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि दिया जाना चाहिये। ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य पर ही देश की समृद्धि निर्भर है। यदि हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हम इन लोगों के, जो कि देश की कुल जनसंख्या के ८५ प्रतिशत हैं, स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते।

स्वास्थ्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट में ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की समस्या की ओर कोई निर्देश नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक समिति नियुक्त करें जो ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न की अच्छी तरह से जांच करके यह बतलावे कि एक कुशल ग्रामीण चिकित्सा सेवा कैसे स्थापित की जा सकती है। ऐसे केन्द्रों में उन जिलों के चिकित्सक हों, चाहे वे ऐलोपैथिक हों, होम्योपैथिक हों, यूनानी प्रणाली के हों या आयुर्वेदिक हों। मैं जानता हूं कि वित्ताभाव के कारण तुरन्त ही ऐसे केन्द्र नहीं खोले जा सकते, परन्तु मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह रहने के मकानों में ही ऐसे केन्द्र खोल दे तथा इन अस्थायी केन्द्रों को कुछ अनुदान दे।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था (आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट) की स्थापना के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस संस्था में जो विशेषज्ञ नियुक्त किये जायें उन में से अधिकांश पूर्णकालिक हों तथा उन्हें अच्छा वेतन दिया जाये। उनका चुनाव उन की योग्यता और उनके अनुभव के आधार पर ही किया जाये। इस संस्था में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अनुसन्धान के लिये भी विभाग हों। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये एक विशेष विभाग सम्बद्ध हो। अनुसन्धान के बाद इन प्रणालियों की लाभदायक बातें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में ग्रहण कर ली जायें।

अगस्त १९५० में नई दिल्ली में हुए स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था—बल्कि सिद्धांत रूप में यह मान लिया गया था—कि एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् स्थापित की जाये। यद्यपि उस बात को हुए इक्कीस मास व्यतीत हो चुके हैं फिर भी उस निश्चय को अभी तक कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि उक्त परिषद् स्थापित करने के लिये तुरन्त पग उठाये जायें जिससे कि केन्द्र और राज्यों के बीच अधिक सहकार्यता सम्भव हो सके।

स्पष्टतया परिवार आयोजन का प्रश्न हमारे राष्ट्र की भलाई के लिये सैद्धान्तिक महत्व का प्रश्न है। सरकार ने इस प्रश्न

पर समुचित ध्यान नहीं दिया है और परिवार आयोजन के सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यक्रम भी निर्धारित नहीं किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यान्त्रिक तथा रासायनिक गर्भावरोधी वस्तुओं के प्रयोग को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य सब देशों में यह बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का एक प्रभावी साधन सिद्ध हो चुका है। सरकार को कम से कम "रिद्म" प्रणाली के प्रयोग के पूरे होने तक तो इस तरीके को अपनाना ही चाहिये था। मेरा एक सुझाव यह है कि चिकित्सा-शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में परिवार आयोजन का विषय सम्मिलित कर दिया जाये जिससे कि वे अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद लोगों को इस सम्बन्ध में ठीक ठीक परामर्श दे सकें।

प्रो० मैथ्यू (कोट्टयम्) : जब कभी हम बड़ी बड़ी राष्ट्र-निर्णायक योजनाओं पर विचार करते हैं, हमारे सामने एक कठिनाई प्रस्तुत होती है और वह है पर्याप्त धन का उपलब्ध न होना। निस्संदेह, यह एक वास्तविक कठिनाई है। मुझे इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना है। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरा सुझाव नया है। कुछ सीमा तक उस पर चला भी गया है। सुझाव यह है कि हमें निजी सूत्रों की सहायता से लाभ उठाना चाहिये। हमें ऐसी असरकारी संस्थाओं आदि को पूर्ण सहयोग देना चाहिये जो ऐसा काम कर रही हैं जो प्रायः सरकार द्वारा किया जाता है। मैं कोई तीस वर्ष से लोक-स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि इन दोनों में एक बात में समानता अवश्य है। मैं दक्षिण भारत की दशाओं से अधिक अवगत होने के कारण वहां का ही उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन के विश्वविद्यालयों ने असरकारी संस्थाओं को इतना सहयोग दिया कि वहां कुछ वर्षों में ही कालिजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। सार्वजनिक अस्पतालों, चिकित्सालयों तथा मैडिकल स्कूल और कालिजों के सम्बन्ध में भी मैं यही मार्ग अपनाये जाने का सुझाव दूंगा। यदि कोई असरकारी संस्थायें यह काम करने को तैयार हों तो सरकार को चाहिये कि उन्हें पूर्ण सहयोग दे।

प्रायः यह देखने में आता है कि अधिकतर धार्मिक संस्थायें ऐसा काम करने की इच्छा प्रकट करती हैं। इस सम्बन्ध में एक भ्रान्ति प्रचलित प्रतीत होती है; मेरा मतलब यह नहीं है कि उत्तरदायी लोग भी ऐसा ही समझते हैं--परन्तु कुछ लोग ज़रूर इस गलत-फहमी के शिकार हुए प्रतीत होते हैं। कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ठीक तरह नहीं निकालते। जहां तक मैं समझता हूं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। हां, किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात या भेद-भाव नहीं बरता जाता। अतः मेरा सुझाव है कि यदि कोई धार्मिक संस्था या अधार्मिक भी--ऐसा काम करना चाहे, तो उसे पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिये। विदेशों की धार्मिक अथवा अधार्मिक संस्थाओं को भी ऐसी सहायता दी जानी चाहिये।

मैं त्रावनकोर-कोचीन का रहने वाला हूं। उस राज्य में आयुर्वेदिक प्रणाली के चिकित्सकों के कुछ परिवार बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। शताब्दियों से उनके ज्ञान तथा हुनर की प्रशंसा हो रही है। आजकल भी बहुत से लोग उन चिकित्सकों से परामर्श लेते रहते हैं। स्वयं मैं भी उनसे परामर्श लेता रहता हूं। मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा का भी उपयोग किया है। इन सब प्रणालियों के प्रति मेरा रुख यह है कि प्रकृतिक के नियम सब पर लागू होते हैं। परन्तु मैं समझता

[प्रो० मैथ्यू]

हूं कि ऐलोपैथी चिकित्सा प्रणाली को छोड़ कर अन्य सब प्रणालियां अभी पूर्णतः विज्ञान के रूप में विकसित नहीं हो पाई हैं।

अतः मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणालियों में इलाज के जो तरीके हैं उनका पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाये और उन्हें वैज्ञानिक रूप दिया जाये। विज्ञान की दृष्टि में देश आदि का कोई भेद भाव नहीं रहता। उससे तो सारी दुनिया को फायदा पहुंचता है। इन प्रणालियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनुसन्धान किये जायें। ऐसा होने पर यह एक व्यापक प्रणाली बन जायेगी। जब तक इन प्रणालियों का, अर्थात् आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रणालियों का, वैज्ञानिक ढंग ते विश्लेषण नहीं होता तब तक वे ऐलोपैथिक या पाश्चात्य प्रणाली के स्तर पर नहीं पहुंच सकतीं।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे।
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्धतमसः छटाः ॥

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दो शब्द कहने जा रहा हूं। मैं ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य का लक्षण केवल शरीर का ही स्वास्थ्य नहीं बतलाया गया है बल्कि मन, चरित्र और आचार के स्वास्थ्य को भी स्वास्थ्य का लक्षण बतलाया गया है। मैं जब इस बात का स्मरण करता हूं तो मुझे अपनी स्वास्थ्य मंत्राणी का ध्यान आता है।

दाक्षायणीधर्म पत्नीः सोमकश्यप्यो रपि ॥

अर्थात् सोम और कश्यप की पत्नियां दक्ष की कन्यायें थीं। उस में कश्यप की दोनों पत्नियों को अदिति और दिति कहा गया है।

दितिर्वैनाशः, अदितिरमृतम्।

नाश का नाम है दिति और अमृत का नाम है अदिति। मैं किसी के मुंह पर यह चिकनी चुपड़ी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि किसी की खुशामद करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं यह समझता हूं कि अदिति का अमृत ही अमृतकौर है उसे अमृत बिखेरने का काम सौंपा जाये यह उपयुक्त ही है। किन्तु मैं साथ में कुछ कटु शब्द इसलिये कहना चाहता हूं कि औषधि कटु होती है; दवाई कभी मीठी नहीं हुआ करती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उस अमृत तत्व का मुख केवल अमरीका, इंगलैंड, और योरप के देशों की ओर को ही है। उस को अपनी पृथ्वी के अन्दर भारतवर्ष में कोई अमृत प्राप्त हो सकता है या नहीं, हिमालय कोई अमृत दे सकता है या नहीं, हम को गंगा यमुना कोई अमृत दे सकती हैं या नहीं, इस तत्व की ओर उस अमृत कौर का ध्यान नहीं गया है और वह सारे का सारा अमृत बाहर से लेने की चेष्टा करती है।

जैसा हमारे माननीय डा० जयसूर्य ने और एक वक्ता महोदय ने कहा आयुर्वेद के सम्बन्ध में उन की एकमात्र धारणा यह हो गई है कि वह अनसाइन्टिफिक सिस्टम (अवैज्ञानिक प्रणाली) है। यह एक बड़ा भारी दोषारोपण उन लोगों की ओर से किया जा रहा है। मुझे श्रुति का वचन याद आता है :

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः

जो जिस चीज को जानता नहीं वह उस चीज़ के ऊपर अपना पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह शब्द मैडिकल साइंस (चिकित्सा विज्ञान) या मैडिकल सिस्टम (चिकित्सा प्रणाली) ही अनसांइटिफिक (अवैज्ञानिक) शब्द है। अगर कोई सांइटिफिक (वैज्ञानिक) शब्द है तो वह 'आयुर्वेद' है। आयुर्वेद का अर्थ औषधियों से नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ आयु के तत्व को बताना है। इसी कारण सब से प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में इस का अन्तर्भाव इसको उपवेद माना

गया है। आज अगर हम चाहें तो हम को शुश्रुत का विद्वान नहीं मिलता, चरक का विद्वान नहीं मिलता, केवल छोटे छोटे बच्चों की भांति ऐलोपैथिक और होमियोपैथिक वाले मिलते हैं। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूं। ई० बी० नेश एक महान ऐलोपैथिक डाक्टर था। वह होम्योपैथी की ओर आया तो अपने 'लीडर्स इन होम्योपैथिक थिरेपटिक्स' में उस ने नेत्रहीन सत्यान्वेशी डाक्टर ने ऐलोपैथी के विषय में कहा कि क्या यह भी कोई साइंस है। थोड़ा सा क्विनीन डाल दिया, थोड़ा सा सोडा वाई कार्ब डाल दिया और कुछ और डाल दिया और दवा बन गई। उस से कुछ न कुछ तो होगा ही। यह तो ऐसे है कि कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो मैं यह कहता हूं एक 'मोस्ट अनसाइंटिफिक सिस्टम' को तो सांइटिफिक कहा जाता है और जो सिस्टम विशुद्ध ज्ञान का प्रतिपादित करने वाला है और जो जीवन के तत्वं बताने वाला है और भारत वर्ष के परिस्थितियों के अनुकूल है उस को अनसाइंटिफिक कहा जाता है। आप को करोड़ों रुपयों की औषधियां बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। भगवान की कृपा से आप ने यहां भी कुछ फारमेसियां खोली हैं परन्तु सिस्टम कौन सा चलाया। वही शाइलाकिज्म। डाक्टरमंडल मुझे क्षमा करेंगे मैं विशेष कर सरकारी डिपार्टमेंट्स के बारे में कह रहा हूं। वह तो सिर्फ 'जस्ट ए पाउंड आफ फ्लेश नियर दी हार्ट' चाहते हैं। बीमार अच्छा होता है या जहन्नम को जाता है इस से उन का कोई मतलब नहीं। आप ने भारत में कई इंस्टीट्यूशन खोले हैं, चार चार, पांच पांच, सात सात लाख रुपये की लागत से लेकिन क्या कभी आप ने यह पता लगा कर देखा कि उन से किसी गरीब को भी लाभ पहुंचा ? जब कभी कोई सीरियस केस आता है तो डाक्टर की जेब का सवाल सामने आता है। वहां गरीबों की चिकित्सा कैसे हो सकती है और जो यहां का असली मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद का है उस के प्रति आप ने द्वेश पैदा किया हुआ है।

स्वास्थ्य कार्यालय की इस रिपोर्ट में मैडिकल ऐज्यूकेशन (चिकित्सा शिक्षा) और हैल्थ ऐज्यूकेशन (स्वास्थ्य शिक्षा) के बारे में कुछ लिखा है। मुझे तो देख कर आश्चर्य होता है कि बीमारों के स्कूल में हैल्थ की कथा करने की क्या बात है। खड़े हो कर मूतने की जिन की सभ्यता है जिस से मूत्र के कण उड़ उड़ कर शरीर को गन्दा करते हैं वह लोग यहां कहते हैं कि हम मैडिकल एज्यूकेशन बढ़ाना चाहते हैं। सूर्य की ओर मुख कर के मूत्र और पुरीष का त्याग करन वालों के शरीर में वह सब बीमारियां हो जाती हैं जो कि सूर्य की किरणों से फैंके गये गन्दे परमाणुओं से हो सकती हैं और किसी डाक्टर का बावा भी उस का डाइग-नासिस (निदान) नहीं कर सकता। तो फिर उस की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जिस रोग का निदान नहीं हो सकता वह कैसे अच्छा किया जा सकता है। हमारे यहां तो इस चीज़ को धर्म के नाम से कहा गया है। कुछ समय पूर्व मेरे पीछे से एक आवाज़ आई थी कि धर्म की कथा मन्दिर में कीजिये। मैं कहता हूं कि धर्म शब्द का अर्थ कोई घंटी बजाना ही नहीं है। मज़हब या रिलीजन (धर्म) शब्द का यह अर्थ हो सकता है कि चर्च में गये और घंटी बजाई। पर धर्म शब्द का यह अर्थ नहीं है। 'ऐसेन्स' और 'सिग्निफिकेन्स' से ले कर सारे सांइटिफिक लाज़ (वैज्ञानिक नियम) और दूसरे नेचुरल लाज (प्राकृतिक नियम) जो हैं वह सब और ड्यूटी धर्म के अन्दर आते हैं। यही कारण है कि मनु ने जितनी भी बातें बतलाई हैं हम उन को आज 'हाइजिन' में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन मनु के नाम से आप लोगों

[श्री नन्द लाल शर्मा]

को डर लगता है। इसलिये मेरा यह कहना है कि हमारी स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया मुझे क्षमा करेंगी अगर मैं यह कहूं कि वह अस्वास्थ्य मंत्राणी महोदय हैं। इसलिये कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर सारी की सारी ड्रग्स की ही कथा सुनाई है और अस्पतालों की ही कथा सुनाई है। एक भी शब्द मुझे इस सारी रिपोर्ट में नहीं मिला कि उन्होंने कितनी गो-दुग्धशालायें या दुग्ध भंडार खोले। क्या आप समझते हैं कि केवल बी० सी० जी० के टीके से लोग टी० बी० से बच जायेंगे? जिस ग़रीब को खाने को ठीक नहीं मिलेगा उस को इन दवाओं से क्या लाभ हो सकता है? इस के लिये पहले तो उन को लड़ाई करनी चाहिये थी फूड मिनिस्टर साहब से जो कि एक व्यक्ति को ६ छटांक राशन देते हैं। अगर मनुष्यों को पूरा खाना नहीं मिलेगा तो उन के शरीर में बल कैसे आयेगा? और आप का बी० सी० जी० क्या कर लेगा? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप को चाहिये था कि आप कुछ दुग्धशालायें खोलतीं, या आप ने बनस्पति घी पर कुछ नियंत्रण किया होता। आप को बर्थ कंट्रोल की चिन्ता लग रही है लेकिन ब्रह्मचर्य की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप बाहर से औषधियां मंगा कर 'एक्सटरनल ऐप्लायेन्सेज' से बर्थ कंट्रोल करना चाहती हैं लेकिन चरित्र के बल को बढ़ा कर ऐसा नहीं करने का प्रयत्न किया जाता। निश्चय ही यह विपरीत स्थिति है।

हमारे प्रधान मंत्री और इस हाउस के नेता जवाहरलाल जी कहा करते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर हम भारतीय संस्कृति का झंडा दुनियां के अन्य देशों में फहरा देंगे। पर ऐसा मालूम होता है कि उन को भारतीय तत्व बिल्कुल भूल ही गया है। मुझे कहना पड़ता है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जवाहर, हमारे कोहिनूर हीरे की तरह जो टुकड़े हो कर इंग्लैंड के राज्यमुकट में लगा हुआ है, आज अमरीका और इंग्लैण्ड को सौंप दिया गया है। आज दुर्भाग्य से भारत का जवाहर भारत के पास नहीं है।

मैं ने अपना एक कटमोशन (कटौती प्रस्ताव) दिया था कि गंगा और यमुना नदियों को अपवित्र न किया जाय। आप के यहां कई सेंट्रल सबजेक्टस (केन्द्रीय विषय) हैं जिन से इस का सम्बन्ध है। इस का वर्णन आप ने इस रिपोर्ट के ११ वें पृष्ठ पर 'दिल्ली वाटर और सीवेज बोर्ड' के अन्दर दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मनु ने कहा है:

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा निष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्।
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा

जल के अन्दर मूत्र और पुरीष मल, जूठन, और विष और गन्दी चीजों को कभी भी नहीं फैंकना चाहिये। मिट्टी के ऊपर फैंका हुआ मल तो एक ही जगह पर रहता है। धीरे धीरे वायु उस को सुखा कर अपने में मिला लेती है। परन्तु जल के अन्दर छोड़ देने पर वह फैल कर कितनों को नष्ट कर सकता है। अगर मैं यह चीज आप को धर्म के नाम से कहूं तो आप को डर लगता है। इसलिये मैं धर्म के नाम से नहीं कहता पर इस सिद्धान्त के अनुसार कहता हूं कि 'लिव एण्ड लेट लिव' (रहो और रहने दो)। अगर आप किसी के धर्म को नहीं मानते हैं तो कम से कम उस धर्म के मानने वालों को जीवित तो रहने दीजिये। मैं डाक्टर हैनकिन्स या किसी दूसरे पश्चिमी डाक्टर के नाम से गंगा का महत्व वर्णन नहीं करना चाहता। चाहिये तो यह था कि हमारी स्वास्थ्य मंत्राणी जी गंगा के ऊपर कोई एक्स-

पैरीमेंट करवातीं एक कोई प्रयोगशाला खोलतीं और गंगा के तत्व के बारे में हमको बतलातीं कि उस के द्वारा किन किन रोगों की चिकित्सा हो सकती है । किन्तु उस की ओर उन का ध्यान नहीं जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप को बैठना चाहिये ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं आप को बताऊं कि यहां एक नाला नजफ़गढ़ का यमुना में जाता है, दूसरा मैटकाफ़ हाउस की तरफ़ से जाता है । उस के आगे कुद्सिया घाट पर एक नाला है, और उस के बाद निगमबोध घाट पर एक नाला गिरता है। और भी नई दिल्ली के अनेक नाले यमुना में गिरते हैं और जो हजारों आदमी वहां स्नान करते हैं जब वह गोता लगा कर निकलते हैं तो कुछ और ही चीज उन के सिर पर आ जाती है । बनारस में भी यही हाल है । इस के लिये स्व० महामना मालवीय जी को हरिद्वार में एक आन्दोलन करना पड़ा था जिस के फलस्वरूप लाखों रुपये खर्च करके वहां की म्युनिसिपैलिटी ने गंदे नालों को गंगा जी में न फेंक कर बाहर खेतों में दे दिया था ।

हमारे भूतपूर्व कांग्रेसपति राजर्षि टंडन जी कल कह चुके हैं कि नरवर का प्रयोग खाद के लिये करना चाहिये । उन्होंने नरमूत्र और नर दुग्ध के लिये नहीं कहा । परन्तु मैं समझता हूं कि अगर नरमूत्र का भी प्रयोग खेतो के लिये हो तो उस से लाभ भी होगा और दूसरों को जो उस से हानि पहुंचती है वह भी नहीं होगी । इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्राणी जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर उचित ध्यान दें । दो वर्ष पूर्व मैं ने यहां के स्थानीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा था किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इन पवित्र नदियों को स्वास्थ्य के नाम पर, 'पब्लिक हैल्थ' के नाम पर गन्दा होने से बचायें । अगर आप इस काम को धर्म के नाम पर करें तो इस के लिय धन्यवाद और इस तरह से आप हमारे धर्म का मान भी रख लेंगी । अगर ऐसा न करें तो जन्ता मरे नहीं इस दृष्टिकोण से तो इन नदियों को पवित्र करने की चेष्टा करें ।

आयुर्वेद सिद्धान्त के सम्बन्ध में मैं एक बात कहता हूं । अभी रिपोर्ट आई है और इस में पृष्ठ ४४ पर यह है कि आप ने जामनगर में एक प्रयोगशाला खोली । मुझे सुनकर अचम्भा हुआ, जामनगर में प्रयोगशाला भला अफ़्रीका में कोई हिमालय की या बर्फ़ की बात कहे । जामनगर में औषधियों की बात । हिमालय औषधियों का भंडार है, हरिद्वार ऋषिकेष को छोड़ कर जामनगर में प्रयोगशाला खोलें । यहां हरिद्वार में आयुर्वेदिक कालिज भी है । उस की सहायता छोड़ कर के जामनगर में खोलें और वह भी एक लाख रुपये से । सारे भारतवर्ष के लिये आयुर्वेद के सम्बन्ध में प्रयोग करने के लिये, रिसर्च करने के लिये, एक लाख रुपये की प्रयोगशाला ।

इसलिये मैं केवल इतनी बात निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक के लिये सोतेली मां का व्यवहार राजकुमारी अमृत कौर जी छोड़ दें और गंगा यमुना को पवित्र करने की चेष्टा करें । इतने शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री मती गंगा देवी (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय ने आज मुझे यहां बोलने का जो सुअवसर दिया है, उस के लिये मैं माननीय अध्यक्ष जी और स्वास्थ्य मंत्राणी को हृदय से धन्यवाद देती हूं ।

आज स्वास्थ्य पर मुझे अपने कुछ विचार प्रकट करने हैं । मैं समझती हुं कि

[श्रीमती गंगा देवी]

स्वास्थ्य एक बहुत ही आवश्यक विषय है। इस विषय से प्राणीमात्र के जीवन मरण का संबंध है। स्वास्थ्य ही मनुष्य तथा समाज का वास्तविक जीवन है। जिस देश तथा समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उस देश तथा समाज की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिये सरकार का और हम सब लोगों का देश की उन्नति के लिये सब से पहला कार्य यह है कि देश के स्वास्थ्य को सुधारें।

मैं देखती हूं कि हमारी सरकार ने आज हमारे देश में बहुत से मैडिकल इंस्टीट्यूशन्स, बड़े बड़े अस्पताल तथा नर्सिंग होम्स आदि खोले हैं, मैडिकल वेलफ़ेयर सेंटर्स भी खोले जाते हैं लेकिन सरकार का जितना कार्य है वह सब अर्बन एरियाज़ यानी शहरों तक ही सीमित है। हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य सुधार से संबंध रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों में जो लोग हैं, वह अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वे समझते हैं कि स्वास्थ्य कितनी कीमती वस्तु है लेकिन हमारी ग्रामीण जनता को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वे इस बात से बहुत दूर हैं हमारे शहरों में बहुत से कालेज हैं: बहुत से हास्पिटल हैं, बहुत से प्राइवेट डाक्टर्स हैं लेकिन गांवों में हास्पिटल वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है और न वहां पर प्राइवेट डाक्टर ही मिल सकते हैं। इसलिये मुझे गांवों के संबंध में ही विशेष रूप से कहना है क्यों कि मैं ने स्वयं गांवों में जा जाकर देखा है कि वहां की जनता कितनी दुखी है, क्या सारी कठिनाइयां हमारी ग्रामीण जनता के लिये ही रह गई हैं? हर किस्म की कठिनाई वह सहन करते है, मैडिकल रिलीफ (चिकित्सा सहायता) और मैडिकल इंस्टीट्यूशन्स पर जितना रुपया प्रति वर्ष सरकार की ओर से खर्च होता है वह सब शहर की जनता के लये ही होता है मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे ग्रामीण भाइयों का उस में कोई हिस्सा नहीं है?

मैं ने जितने गांवों में दौरा किया है वहां देखा है कि वहां की जनता के लिये मैडिकल एड का कोई प्रबन्ध न होने के कारण उन लोगों को अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। क्योंकि यदि वहां कोई बीमार हो जाता है तो ३०,३० और ३५,३५ मील दूर शहर में आना पड़ता है, किसी मैडीकल एड के लिए या डाक्टर को बुलाने के लिये। परन्तु जितनी देर में वह शहर तक आते हैं तब तक वह मरीज़ भी खत्म हो जाता है। तो क्या हमारा और हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि ऐसे स्थानों पर अस्पतालों का इंतज़ाम करे ताकि समय पड़ने पर उन्हें फ़ौरन ही डाक्टरी सहायता मिल सके। इसलिये सरकार की तरफ से वहां पर कोई इंतज़ाम शीघ्र ही किये जाने की मैं प्रार्थना करूंगी।

अभी इसी साल मैं ने अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की, जिस की आयु क़रीब १८ साल की थी और जिसे उसकी माता ने ग़रीब होने के कारण बड़ी कठिनाई से पढ़ाया लिखाया था, बीमार हो गई। उसकी हालत बहुत खराब थी लेकिन उस का गांव शहर से लगभग ३० मील पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि जहां सड़कें खराब होने के कारण मोटर कार के जाने का रास्ता न हो, जहां किसी घोड़ा गाड़ी के जाने का रास्ता न हो, वहां डाक्टर को ले जाने में कितनी दिक्कत होगी। और किसी डाक्टर के न पहुंचने की वजह से वह लड़की दो चार दिन में मर गई। ऐसे कितने ही केसेज़ होते हैं। इन सब बातों को हमारे सदन के सभी भाई जानते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारे ग्रामीण भाइयों की क्या हालत है।

मैं देख रही हूं कि शहरों में बहुत से अस्पताल खुल रहे हैं, नई नई योजनायें

तैयार हो रही हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज़ (चलते-फ़िरते चिकित्सालय) का प्रबन्ध हो रहा है लेकिन यह सब अर्बन एरियाज़ तक ही सीमित है। मेरी कांस्टीट्यूऐंसी (निर्वाचन-क्षेत्र) में करीब ४००० गांव हैं। जिस वक्त एलेक्शन (निर्वाचन) के टाइम में मैं वहां जाया करती थी तो सौभाग्य से आनरेरी काम करने के लिए मेरे साथ एक लेडी डाक्टर भी जाती थी। मैं ने देखा कि जहां कहीं स्त्रियां यह जान जाती थीं कि यह लेडी डाक्टर हैं तो बहुत सी स्त्रियां उनके पास आती थीं और अपनी कथायें कहती थीं और अपनी बीमारियां सुनाती थीं। लेकिन इतनी सी देर में क्या हो सकता था यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। उनसे जितना होता था वह बताती थीं और देखती थीं लेकिन एक दफ़ा के देखने से तो कोई रिलीफ़ मिल नहीं सकती। वहां तो औरतों को ऐसी ऐसी बीमारियां थीं कि अगर शहर में किसी स्त्री या भाई को हो जाय तो वे सैकड़ों इंतज़ाम करेंगे, परन्तु बेचारे ग्रामीण लोग कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

इस के अलावा हमारे शहरों म बीमारियों की रोक थाम के लिये सरकार की ओर से टीके लगाने के बहुत से इंतज़ामात हैं। हमारे बच्चों को हैज़ा, प्लेग और इसी तरह की बहुत सी बीमारियों के जो टीके लगाये जाते हैं वह सिर्फ़ शहरों में ही लगाये जाते हैं। गांव में इस प्रकार के टीके नहीं लगाये जाते हैं क्योंकि इस का वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है। बच्चों से लेकर आदमियों तक के लिये शहरों में इस तरह का सब इंतज़ाम है। गांवों में इस तरह से बहुत से लोग अभी तक प्लेग, हैज़ा और छूआछूत की बीमारियों से मर रहे हैं। क्योंकि सरकार की ओर से इस के लिये कोई भी प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है।

अभी बहुत सी डिस्पेंसरीज़ और मोबाइल डिस्पेंसरीज़ का इंतज़ाम हुआ है। मेरे विचार से यह जो मोबाइल डिस्पेंसरीज़ शुरू हुई हैं, यह ऐसी होनी चाहियें जिन से कि हमारे देहाती भाइयों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। मैं सोचती हूं कि कुछ डिस्पेंसरीज़ ऐसी होनी चाहियें जिन के अन्डर में बहुत सी मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हों, जो मुख्य डिस-पेंसरीज़ हों वह किसी निश्चित स्थान पर हो और उन के अन्डर में जो मोबाइल डिस-पेंसरीज़ हैं, उन का कार्य यह होना चाहिये कि वह दिन में १५-२० मील के क्षेत्र के अन्दर अपने अपने गांवों में चक्कर लगाया करें और वहां जो सीरियस (गंभीर) केस हों उन की रिपोर्ट बड़े डाक्टर को किया करें, और वह उन के लिये मुफ्त डाक्टरी सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध भी किया करें। इस के साथ ही साथ वह उन को साफ़ रहने और उचित भोजन का भी ज्ञान कराने की कोशिश करें ताकि कुछ समय बाद वह लोग स्वयं ही, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के काबिल हो जायें और अकस्मात बीमारियों के शिकार न बनें। अगर इस तरीके से हम ने कुछ गांव वालों के लिये भी किया तो हम उन के स्वास्थ्य सुधारने में बहुत कुछ सहायक हो सकते हैं और उन की कुछ तकलीफ़ दूर हो सकती हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी ने जो कार्य शुरू किया है, वह बहुत ही अच्छा है लेकिन वह तब तक ही ठीक हो सकता है जबकि मोबाइल डिस्पेंसरीज़ वहां की रिपोर्ट मुख्य डाक्टर को दें और डाक्टर को ले जाकर वहां के लोगों को दिखलायें।

हमारे यहां के लोगों का स्वास्थ्य ठीक न होने का एक विशेष कारण यह भी है कि उन लोगों को उचित और स्वस्थ भोजन नहीं मिलता है। इस के लिये सरकार को पशुवध और वनस्पति घी बन्द करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये ताकि जनता को शुद्ध

[श्रीमती गंगा देवी]

दूध और घी अच्छी मात्रा में मिल सके। दूसरा कारण यह है कि जिन मकानों में हमारी जनता रहती है वह मकान अच्छे नहीं हैं, मैं ने दिल्ली में ही दो तीन जगह ऐसी देखी हैं कि जहां पर घर इस तरीके पर बने हुए हैं कि उन को देख कर दुःख होता है। बहुत छोटे मकान हैं, न उन में रोशनदान हैं, और न उन में किसी तरह की खिड़कियों का ही इंतजाम किया गया है। एक ही कमरा होता है जिस में उन को अपने सब काम करने पड़ते हैं। न नहाने के लिये कोई अलग जगह है और न पाखाने का कोई ठीक बन्दोबस्त किया गया है। सामने ही नाली गन्दी पड़ी रहती है जिस में दिन रात मैला पानी बहता रहता है। मैं ने खुद उस नाली में बड़े बड़े कीड़े देखे हैं और उसी जगह पर वह लोग कूड़ा फ़ैंका करते हैं। मैं यह पूछती हूं कि क्या इन मकानों में रहने वाले मनुष्यों का स्वास्थ्य कभी भी ठीक रह सकता है? यदि नहीं, तो फिर सरकार को हमारे इन गरीब भाइयों इन मजदूरों के, जिन के पास रहने के लिये जगह भी नहीं है और जो छोटे छोटे मकानों में अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं, किसी प्रकार से अच्छे मकानों का इंतजाम करना चाहिये। ऐसा हो जाने पर मैं समझती हूं कि हमारे देश की इस गरीब जनता का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तब ही उस को दवाइयां भी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। वरना जब तक ऐसी हालत रहेगी अच्छे घरों का कोई इंतजाम नहीं होगा तो अच्छी दवाइयों का उपयोग भी उन के लिये बेकार ही साबित होगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां वह बहुत से कार्यों में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है वहां पर उस को इन गरीब लोगों के रहने का भी अवश्य कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिये।

इस के अलावा मुझे एक बात और भी कहनी है कि हमारे गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बहुत ही कम इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। यदि सरकार द्वारा इन लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के ज्ञान का प्रबन्ध हो जाये तो वह लोग अपना स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो बहुत कुछ काम इस तरह का कर सकती हैं। हर गांव में उन स्त्रियों को इस तरह की शिक्षा दी जाये जिस से वह अपने गांव की सेवा कर सकें। यदि एक नर्स किसी गांव में जाती है तो काफ़ी पैसा खर्च होता है। यदि हम गांव की स्त्रियों को जिन की अवस्था २० साल से ३० साल तक की हो इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वह गांव में मरीज़ों की देख भाल कर सकें—बिस्तर किस तरह से लगाया जाता है, रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिये, व सफ़ाई और दूसरी किस्म की शिक्षा दी जाये—तो वह अपने गांव वालों की बहुत सेवा कर सकती हैं। अगर गांवों में इतना इंतज़ाम नहीं किया जायेगा तो समस्या ऐसी ही रहेगी और हमारे हज़ारों भाई जिनका खाने पीने और इलाज का बन्दोबस्त न हो सकेगा, वह असमय में ही काल के ग्रास बनते रहेंगे।

इतना कहने के बाद मैं अपनी सरकार से इस बात के लिये निवेदन करूंगी कि वह हमारी ग्रामीण जनता के लिये बहुत जल्दी इस तरह का प्रबन्ध करें जिस से कि उन को इस तरह की कठिनाई और इस तरह के प्राबलम (समस्या) हल हो जायें। शहरों में तो सब तरह का इंतजाम होता ही है, मगर हमारे गांव वालों के पास न तो इतना पैसा ही है और न वहां पर सरकार की ओर से किसी प्रकार का इंतजाम ही है। इसलिये जब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तब तक यह बड़ा सवाल हल नहीं हो सकता।

श्री घुलेकर (जिला झांसी-दक्षिण): श्रीमान् सभापति महोदय, मैं आप का आभारी

हूं कि आपने मुझ यहां पर बोलने का समय दिया मैंने यहां पर अपने मित्रों के व्याख्यान सुने, उन्होंने बहुत सा रास्ता मेरे लिये साफ कर दिया है। मैं मंत्राणी महोदया से कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं आप के सामने निवेदन करूंगा वह केवल ऐसा निवेदन नहीं है जो केवल आप के सामने कह दूं। और उसके बाद कार्यरूप में स्वयं उस को न लाऊं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लगभग २० वर्षों से मैं स्वास्थ्य की समस्या के ऊपर रात दिन चिंतन करता रहा हूं। मैं ने इन २० वर्षों में कोई दूसरा काम नहीं किया है। केवल एक ही काम किया है कि भारत वर्ष का भ्रमण करके सारी ऐलोपैथिक पुस्तकों का, आयुर्वेदिक पुस्तकों और होम्योपैथिक पुस्तकों का खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया और जितना पढ़ सकता था पढा। और अन्त में मैं एक ही निर्णय पर पहुंचा हूं।

सभापति जी, मैं आप के द्वारा अपनी मंत्राणी महोदया तथा अपने सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं यहां पर कह रहा हूं, उसे आप केवल व्याख्यान ही न समझें, उस के एक एक अक्षर से मैं यहां पर यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और दूसरी सरकारों द्वारा उसको पूरा किया जाय। मैं आपके सामने यह कह देना चाहता हूं कि हमारी मंत्राणी महोदया ने जो आप के सामने यह ग्रांट (अनुदान) रक्खी है वह दो करोड़ या, सवा दो करोड़ की है। मैं समझता हूं कि उन के सामने आज जो समस्यायें हैं, वह इस दो करोड़ से कैसे हल हो सकती हैं। स्पष्ट बात है कि किसी मंत्री को आप केवल दो करोड़ रुपया दें और उस से यह कहें कि सारे भारतवर्ष का स्वास्थ्य ठीक कर दीजिये तो यह कदापि नहीं हो सकता है।

उस के साथ साथ मंत्राणी महोदया के साथ जो और कार्य करने वाले दिये गये हैं वह इस प्रकार के दिये गये हैं कि वह अंग्रेज़ी राज्य के ज़माने में से अभी यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने बीस, पच्चीस, तीस वर्ष तक सरकारी नौकरी तो ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने देश को अन्दर से नहीं देखा है। उन के सामने किताबें तो ज़रूर हैं, आंकड़े उन के सामने ज़रूर आते हैं, बहुत से आंकड़े उन के सामने मौजूद होते हैं और रात दिन उन आंकड़ों को वह पढ़ते हैं। लेकिन उस समस्या को किस प्रकार से हल करना चाहिये इस पर जब वह गौर करते हैं तो उन के सामने स्वार्थ आ जाता है। वह समझते हैं यह डेढ़ सौ दो सौ वर्ष से ऐलोपैथी के द्वारा सैकड़ों डाक्टर हमारे यहां मौजूद हैं दस बीस हमारे बड़े भारी मैडीकल कालेज़ हो गये हैं। यदि कोई मनुष्य दूसरा रास्ता बतावेगा तो वह भारतवर्ष का रास्ता होगा, हम भारतवर्ष के दिमाग़ के हैं ही नहीं हम ने भारतवर्ष को भारतवर्ष की दृष्टि से नहीं देखा है। ऐसा न हो कि यह चीज़ हमारे हाथ से निकल जाय। मैं उन से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं, उन को भरोसा दिलाता हूं कि मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐलोपैथी में जो कुछ अच्छी बात है वह न ली जाये। मैं यह नहीं कहना चाहता कि माडर्न साइन्सेज़ (आधुनिक विज्ञान) ने जो कुछ आज तक किया है वह हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाय और हिंदुस्तान के लिये वह ग्रहण न किया जाय। लेकिन यहां पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं मैं ऐलोपैथिक डाक्टरों से कहना चाहता हूं और मंत्राणी महोदया से कहना चाहता हूं और अपने सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एक बड़ी भारी भूल जो हमारे ऐलोपैथिक लोग करते हैं और जिस को वह हिंदुस्तान में फ़ैलाते हैं वह यह है कि जितनी चीज़ें वह सामने रखते हैं उन के लिये वह कहते हैं कि यह ऐलोपैथी की तरक्की है, यह हमारे

[श्री घुलेकर]

इनवेन्शन्स (आविष्कार) हैं, यह हमारी डिस्कवरीज़ (खोज) हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह यह बात कहना बिल्कुल बन्द कर दें। इलैक्ट्रिसिटी (बिजली) किसी ऐलोपैथिक डाक्टर ने पैदा नहीं की है। इलैक्ट्रिसिटी प्रयोग अगर ऐलोपैथी में होता है तो वह उन की चीज़ नहीं है, यह उन की अमानत नहीं है, यह उन की थाती नहीं है। अगर स्टीम (भाप) किसी ने निकाला और उस से स्टीम इंजिन मिला तो यदि आज रेल में बैठने वाले ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर यह कहने लगें कि स्टीम इंजिन तो हम ने निकाला है, इस को हम ने इनवेंट किया है, इस की हम ने डिसकवरी की है, तो मैं कहता हूं कि जिस तरीके से वह चीज़ हास्यास्पद होगी उसी तरह से ऐलोपैथी वालों का यह दावा कि जो चीज़ें साइन्स के ज़रिये से आई हैं वह हमने पैदा की हैं, यह हास्यास्पद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को वह न कहें और न इस चीज़ को फ़ैलावें। क्या आप यह समझते हैं कि डा० पी० सी० राय जिन्होंने इतनी बड़ी कैमिस्ट्री रसायन (विज्ञान) में तरक्की की या देश में और लोगों ने जिस प्रकार कैमिस्ट्री को बढ़ाया या जिन्होंने बाटैनी (बनस्पति-विज्ञान) का अन्वेषण किया और डिसकवरीज़ की तो क्या यह सब ऐलोपैथिक डाक्टरों ने की हैं, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उन की डिसकवरीज़ हैं। क्या यह इलैक्ट्रिसिटी या यह इंजेक्शन्स जो रात दिन दिये जाते हैं क्या यह ऐलोपैथिक की देन हैं? कदापि नहीं। मैं चहता हूं कि डाक्टर लोग और खास तौर से ऐलोपैथिक लोग और जो ऐलोपैथिक डाक्टर यहां 'गवर्नमेंट आफ इंडिया' में भरे हुए हैं, उन से इस बात को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का अन्याय और इस प्रकार का अपवाद वह दुनिया के सामने न फ़ैलावें।

इस के साथ ही मैं आयुर्वेदिक लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूं कि आप बार बार इस बात का दावा करते हैं कि हमारी पुस्तकों में सब कुछ मौजूद है। मैं इस बात को मानता हूं कि आप की पुस्तकों में सब कुछ मौजूद है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी दूसरी कौमें हैं और जिन्हों ने इतने काम किये हैं और इस मार्डन सायन्स ने जो इनवेंशन्स और डिसकवरीज़ की हैं, क्या आप इन को लेने को तैयार नहीं हैं। यह उन की भूल है और यह इस कारण है कि यह ऐलोपैथिक डाक्टर उन को बहका देते हैं कि जब वह कहते हैं कि यह माडर्न इनवेंशन्स हमारे हैं और तब आयुर्वेदिक लोग कह देते हैं कि तब हम उन को नहीं लेंगे। मैं आयुर्वेदिक लोगों से कहना चाहता हूं कि "यदि तुम तरक्की करना चाहते हो तो यह चीज़ें तुम को लेनी पड़ेंगी और जब तक तुम नहीं लोगे तो हमारी मंत्राणी महोदया जो यह कहती हैं कि तुम सब क्वैक्स (नीम हकीम) हो, यह गालियां तुम को सुननी पड़ेंगी और मानना पड़ेगा कि तुम लोग पीछे हो।"

अब मैं एक बात 'गवर्नमेंट आफ इंडिया' से कहना चाहता हूं। 'गवर्नमेंट आफ इंडिया' ने और हिन्दुस्तान की सरकारों ने आयुर्वेद के लिये बहुत कुछ किया। लेकिन मैं मंत्राणी महोदया से कहना चाहता हूं कि आप का डिपार्टमेंट आप को बदनाम करता है। आप लाखों रुपया खर्च कर चुकीं, आप ने कमेटियां कायम कीं, तमाम प्रान्तों में आयुर्वेद फैल गया, बहुत से आयुर्वेदिक कालेज खुल गये। हर जगह विद्यार्थी काम कर रहे हैं, हर जगह माडर्न सायन्स के द्वारा पढ़ाई हो रही है। यह सब हो रहा है। लेकिन अब भी आप के आफिसर्स आप के कान में कहते हैं कि आयुर्वेद कोई चीज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रात गुज़र गई, सवेरा हो गया। सन १९४६ में, 'गवर्नमेंट

आफ इंडिया' ने एक प्राविंशियल हैल्थ कानफ्रेंस (प्रान्तीय स्वास्थ्य सम्मेलन) की—स्टेट्स हैल्थ मिनिस्टर्स (राज्यों के स्वास्थय मंत्रियों) की कानफ्रेंस की। उस कानफ्रेंस में श्रीमती लक्ष्मी पति ने जो मद्रास की मिनिस्टर थीं, एक प्रस्ताव पेश किया और उस कानफ्रेंस में ११ नम्बर के आइटम (मद) में 'गवर्नमेंट आफ इंडिया' के हैल्थ मिनिस्टर और प्राविंशियल मिनिस्टर्स, सब ने इस बात को पास कर दिया कि आयुर्वेद को हम रिकग्नाइज़ (स्वीकार) करते हैं। उस के कालेज और स्कूल खोले जायें। रिसर्च डिपार्टमेंट खोला जाय और जहां पर ज़रूरत हो वहां पर आयुर्वेदिक प्रैक्टीशनर्स को मौका दिया जाय कि वह हिन्दुस्तान के रोगियों की सेवा करें। यह पास हो चुका। उसके ऊपर 'गवर्नमेंट आफ इंडिया' ने चोपड़ा कमेटी कायम की। कर्नल चोपड़ा डाक्टर थे, वह कोई वैद्य नहीं थे। चोपड़ा कमेटी के आधे से ज्यादा मेम्बर डाक्टर थे, उन्होंने यह कहा कि हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य का मसला अगर हल हो सकता है तो आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही हो सकता है। उन्होंने इस बात को पास किया। उस के बाद आप ने एक पंडित कमेटी मुकर्रर की। पंडित कमेटी ने दो हिस्सों में बात कही। एक तो यह कहा कि आयुर्वेद में रिसर्च होना चाहिये। दूसरे यह कि शिक्षालय यानी स्कूल्स और कालेजेज़ को सहायता मिलनी चाहिये, और आयुर्वेद को जहां तक हो सके बढ़ाना चाहिये।

अब रिसर्च (अनुसन्धान) के बारे में मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ऐलोपैथी के डाक्टर आप के डिपार्टमेंट में बैठे हैं यह दुनिया को धोका देना चाहते हैं। मैं ज़िम्मेदारी के साथ आप से कहना चाहता हूं कि वह आप को धोका देना चाहते हैं। आप के सामने नीम खड़ा है, आप के सामने हल्दी है, आप के सामने सोंठ है, मिर्च है, पीपल है, दो हजार दवायें हैं। मैं इस के लिये चेलेंज करता हूं कि कौन इस बात को कहता है कि इन चीजों के लिये रिसर्च करने की ज़रूरत है। कौन आदमी नहीं जानता कि बैगन खाने से क्या होता है? क्या कोई नहीं जानता कि यह बीमारीयां इन तरकारियों से होती हैं। यह सब आयुर्वेद में है और लिखा हुआ है कि इस से गरमी होती है, इस से सरदी होती है, इस से बुखार आता है। कौन नहीं जानता कि परवल से फायदा होता है? कौन नहीं जानता कि आम से, जामुन से या जो गुलाब का फूल है उस के गुलकन्द से क्या फायदा होता है? कौन नहीं जानता कि हींग क्या गुण लिये हुए है? आप का यह क्या कहना है कि अगर आप की औषधि हिन्दुस्तान की है तो पहले आप विलायत जाये, इंगलैंड जाइये, अमेरीका जाइये और वहां किसी डाक्टर हैंगी डैंगी या वाटसन या विलकिन्सन या जान आदि का कोई सर्टिफिकेट ले आइये कि यह हींग पेट को अच्छा करता है। मैं आप से पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्राणी जी आप को यह डाक्टर्स रिसर्च का प्रश्न उपस्थित कर धोका देना चाहते हैं। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हम आयुर्वेद में काम करने वाले क्या इस को नहीं जानते हैं। आप रिसर्च की क्या बात करते हैं। हम ने रिसर्च के लिये अपनी जान खपा दी है। हजारों दवाइयां आज मौजूद हैं। उन के लिये आप हम को पचास वर्ष पीछे रखना चाहते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल धोका है। यह रिसर्च कराने की बात बिल्कुल धोका है। यह बात मैं मानता हूं कि रिसर्च होना चाहिये। लेकिन इस बात को नहीं समझता कि यह विलायत जा कर रिसर्च कराने की क्या बात है। मैं कोई आयुर्वेद का प्रेक्टीशनर नहीं हूं, मैं उस का केवल एक सेवक हूं।

[श्री धुलेकर]

मैं बीस वर्ष से काम कर रहा हूं। मैं ने हर चीज को देखा है, नापा है और तोला है। मैं ने झांसी में बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज कायम किया। चार वर्ष के बाद जब उस में १५० विद्यार्थी हो गये तो उसको आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया। यूनिवर्सिटी कर के वहां मोडर्न कोर्सेज (आधुनिक पाठ्यक्रम) सर्जरी (चीरफाड़) वगैरह में कायम किये गये। यहां पर मैं आनरेबल मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश असेम्बली में मुझ को मौका दिया कि यू० पी० मैडीसिन बिल (यू० पी० औषधि विधेयक) पेश करूं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस को अखितयार किया और यू० पी० मैडिसिन ऐक्ट पास हुआ। इस के बाद में उन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने फिर मौका दिया कि जब सन् १९४६ में हम जेल से लौट कर आये तो उस ऐक्ट को लागू किया। मुझ को चेयरमैन बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन मुकर्रर किया। मैं ने यू० पी० में जितने कालेजेज़ थे वहां रिसर्च डिपार्टमेंट खोले। हर कालेज में बाटेनी, फिज़िआलाजी, अनाटामी वगैरह सारी चीजें जिन को बेसिक सायन्स कहते हैं, यह सब करीक्युलम (पाठ्यक्रम) बदल कर शुरू कर दीं।

उस के बाद अब मैं एक बात जो आप से कहना चाहता हूं वह यह है कि केवल आयुर्वेदिक कालेजेज़ से ही काम नहीं चल सकता है। अब आप का जो यह रिसर्च डिपार्टमेंट खुला हुआ है, उस में रिसर्च किस प्रकार चल सकता है? रिसर्च तभी चल सकता है जब वहां कम से कम ३०, ४० ऊंचे ऊंचे प्रोफैसर हों और १०,२०,५० ऐसे लर्नेड स्कालर्स (योग्य विद्यार्थी) हों जिन को पढ़ाने का काम न हो, केवल वह स्वयं पढ़ें पुस्तकों का अध्ययन करें, और रिसर्च करें यह काम तभी हो सकता है। केवल रिसर्च डिपार्टमेंट खोल कर और चन्द आदमियों को, दस पांच आदमियों को चार पांच सौ रुपया पर नौकर रख कर आप उन से कहें कि वे रिसर्च का काम करें या आप पार्लियामेंट के मेम्बरों या और अन्य बड़े बड़े डाक्टरों से कहें कि वे रिसर्च करें तो रिसर्च कहने मात्र से नहीं हो सकती। डा० पी० सी० राय और जगदीश चन्द्र बसु कोई गवर्नमेंट के हुक्म से पैदा नहीं हुए, ऐसे लोगों के पैदा होने के लिये युनिवर्सिटियां और एक खास ऐटमौसफियर (वायुमंडल) की जरुरत होती है और हज़ार, दो हज़ार विद्यार्थी जब युनिवर्सिटियां में दस, बीस वर्ष पढ़ते हैं तब जा कर उन में से कहीं दो, चार बड़े लोग निकलते हैं, जैसे हमारे देशमुख साहब हैं, जो रिजर्व बैंक की गवर्नरी के पद तक पहुंचे। अगर यह युनिवर्सिटियां न होतीं तो वह वहां तक कैसे पहुंचते। इस लिये मैं आप से कहता हूं और मेरा तो विश्वास है कि अगर आप को इस में आयुर्वेद पद्धति को बढ़ाना है तो आप को देश में एक आयुर्वेदिक विश्वाद्यालय खोलना चाहिये। सन् १९३७ में जब मैं ने आयुर्वेदिक युनिवर्सिटी आरगनाइजेशन कमेटी बिठाई थी और उस विषय में ओपिनियन (राय) मांगी गयी थीं, तो लोगों ने ऐसी युनिवर्सिटी खोलने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत प्रकट किये थे, कोई कहता था कि युनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिये और कोई कहता था कि होनी चाहिये। बहुत से लोगों ने उस समय भी कहा था कि ऐसी एक आयुर्वेदिक युनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिये। यू० पी० गवर्नमेंट ने जो रिआरगेनाईजेशन कमेटी इंडीजीनस मेडीसन्स (देशी औषधियों) पर सन् १९४८-४९ में नियुक्त की थी उस ने युनेनीमसली (सर्व सम्मति से) रिपोर्ट दी कि यदि हिन्दुस्तान

में आयुर्वेद की तालीम ऊंची होनी है तो उस के लिये आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होना बिल्कुल लाज़मी है। जहां पर चार पांच सौ स्टूडेन्टस व प्रोफेसर्स आयुर्वेदिक पद्धति और चिकित्सा को माडर्न तरीके पर स्टडी कर सकें। राजकुमारी जी मेरी बात नोट कर लें, मैं चाहता हूं कि वहां वह इस तरह से अध्ययन और रिसर्च न करें जैसे हम लोग सीधे साधे रामायण व भागवत इत्यादि पढ़ते हैं। मेरा कहना यह है कि आयुर्वेद में जितनी भी उपलब्ध पुस्तकें प्राप्य हों, वह सारी पढी जायें और हमारी जो आयुर्वेद की पुस्तकें चीन, ईरान और अरब में चली गई हैं, उन को वापस मगाने का यत्न करना चाहिये और जो पुस्तकें अंग्रेजी में चली गई हैं उन का हमें हिन्दी में अनुवाद कराने की कोशिश करनी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप तालीम को ऊंचा नहीं करते हैं तब तक रिसर्च डिपार्टमेंट में केवल चार लाख रुपया दे देने से काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे जितने मैम्बर हैं, वह सब यह कहते हैं कि ओवर पापुलेशन (अधिक जन संख्या) हो रही है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस चीज को कौन नहीं जानता है? हजार बार क्यों इस को कहते हो? लेकिन आप को मालूम है कि जितनी ऊंची तालीम होती है उतने ही कम बच्चे पैदा होते हैं। दूसरी बात उस के साथ यह भी है कि जितना अच्छा भोजन व कपड़ा उन को मिलेगा और जितना अधिक आप साफ रहेंगे उतने ही आप के बच्चे कम होंगे।

श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ-मध्य) : गलत बात है। मैं ने तो कहा था कि देश की आर्थिक समृद्धि जितनी कम होगी जन्म-दर उतना ही अधिक होगा।

श्री धुलेकर। मैं आप से ऐग्री करता हूं। मेरी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने यह कहा कि आप तालीम के निस्बत मत कहिये। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप स्टेटिस्टिक्स (समंक) देख लीजिये उस में उन्हों ने चार कैटीगरीज (श्रेणियां) बनाई हैं। ऐज्युकेशन के रेशियो (अनुपात) के हिसाब से उन्हों ने पहले नम्बर पर पारसी को रखा दूसरे पर हिन्दू को रक्खा, तीसरे पर मुसलमान को रक्खा और चौथे पर ट्राइबल्स को रखा। उसी तरह से फिकंडिटी (जनन शक्ति) के विषय में कमी के लिहाज से पहले नम्बर पर पारसियों को रखा, और उसी तरह उस के बाद दूसरें, तीसरे और चौथे को रक्खा। शिक्षा जितनी कम होगी जन्म-दर उतना ही अधिक होगा। तालीम के लिये मैं आप से कह सकता हूं और मेरे पास उस के स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, मेरा तो जिन्दगी में एक ही मिशन है कि हिन्दुस्तान में जितने बसने वाले हैं उन को औषधि उपलब्ध हो सके। मिलटरी डिपार्टमेंट के बारे में मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर कल लड़ाई छिड़ जाय तो बाहर के देशों से रूस, जर्मनी और इंगलैंड से हमें दवाओं की सप्लाई नहीं मिल सकेगी तो उस हालत में हम फौजियों का इलाज कैसे कर सकेंगे? लड़ाई छिड़ने की हालत में हम मजबूर होंगे कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा का आश्रय लें। फौज में मेरा जानने वाला एक सिपाही था, वह थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानता था। उस ने जब बर्मा में अंग्रेजी फौजें जंगल मे चारों तरफ से घिर गयीं और उन के पास कोई डाक्टरी सहायता नहीं पहुंच सकती थी तब वह सिपाही जंगलों से जा कर जड़ी बूटियों को ला कर और छील कर घावों पर लगाता था और पिलाता थो और फौजी लोग उस के इलाज से अच्छे हो जाते थे। मैं आप से निवेदन करता हूं कि मैं बड़े महत्व

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

की बात कह रहा हूं अगर कहीं लड़ाई छिड़ जाती है और बाहर से दवायें आना बन्द हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे ।

श्री पी० एन० राजभोज : वार (लड़ाई) होने वाली है ?

श्री धुलेकर : मर्द लोग ही लड़ा करते हैं, वार होगी तो वार के वक्त मिलटरी ऐक्स-पेंडीचर (व्यय) को डाउन (कम) करना होता है तो उस वक्त जड़ी बूटियों को जुटाने की जरूरत पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिये ।

श्री धुलेकर : जी हां, अभी एक सेकेंड में खत्म करता हूं । मैं डेढ़ महीने से कुछ नहीं बोला हूं और निरर्थक एक शब्द भी मैं बोलता नहीं, इसलिये दो, तीन मिनट और चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिये ।

श्री धुलेकर : मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप को ऐसे डाक्टर और नर्सें ट्रेन्ड (प्रशिक्षित) करनी चाहियें जो वार छिड़ने के समय हमारे देश में जंगलों में जो अपार वनस्पति खड़ी है उस का उपयोग कर सकें । आयुर्वेद ने इस का उपयोग सीखा है और उस चिकित्सा पद्धति के जरिये हम देश के लोगों का और लड़ाई के वक्त फौजियों का सस्ते में इलाज कर सकते हैं । यह पद्धति खास तौर से हमारे अनुकूल है। क्योंकि एक तो हमारा देश गरीब है और हम अंग्रेजी दवाइयों पर ज्यादा रुपया सर्फ नहीं कर सकते, ग़रीब लोग अपना इलाज अंग्रेज़ी तरीके से नहीं करा सकते, दूसरे बीमारियां हमारे देश में फैली हुई हैं, और ऐसे वक्त में जब कि बाहर से अंग्रेज़ी दवाओं का आना बन्द हो जाय, हमें इस का सहारा लेना होगा ; इसी के सहारे राना प्रताप और शिवाजी की फ़ौजें जो जंगलों में मारी मारी फिरती थीं अपना इलाज करती थीं । उन फ़ौजों के पीछे कोई मैडिकल मिशन अथवा रेडक्रास नहीं जाया करता था । उन का तो सारा मैडिकल मिशन और रेडक्रास वहीं जंगलों में मौजूद था जिस का वह उपयोग करते थे । और २५, २५ वर्ष तक जंगलों में रह कर भी कोई सिपाही बीमारी अथवा दवा के अभाव से नहीं मरा । इसी तरह से मैं ग़रीबों के लिये कहता हूं कि उन के लिये यह चिकित्सा प्रणाली अत्यन्त उपयोगी साबित होती है । एक जगह पर मेरे एक आनुरेबल मिनिस्टर थे उन को एक ऐड्रेस (मानपत्र) दिया गया और उन की बड़ी तारीफ़ की गई कि आप ने बड़ा अच्छा काम किया है । किन्तु वहीं पर एक सज्जन ने बताया कि डिस्पेंसरी के लिये आप ने साल के लिये ४०० रुपये की आर्थिक सहायता दी है, और वह सारा रुपया वहां डेढ़ महीने में खत्म हो जाता है । तो भला बताइये कि वह साढ़े दस महीने क्या करें। चार सौ रुपये की अंग्रेज़ी दवाइयां डेढ़ महीने के अन्दर खत्म हो गईं, डाक्टर और नर्से खाली बैठे रहते हैं, डाक्टर और नर्स को मिला कर उन की तनख्वाहों पर आठ सौ रुपया माहवार खर्च होता है और चार सौ रुपया औषधियों पर खर्च किया जाता है, लेकिन उस से कोई नतीजा नहीं निकलता । मैं अपनी झांसी डिस्पेंसरी की बात बताऊं जहां पर १२०० रुपया साल की दवाइयां सप्लाई होती हैं और वहां के डाक्टरी स्टाफ पर चार हज़ार रुपया मासिक खर्च आता है । अब आप बतलाइये कि आप इस प्राबलम (समस्या) को कैसे साल्व (हल) कर सकते हैं ? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनें । मैं चाहता हूं कि आप प्राइमरी स्टेज (प्रारम्भिक अवस्था) से लेकर युनिवर्सिटी स्टेज तक लड़कों को हाईजिन और हैल्थ के बारे में शिक्षा

दें, उन को शिक्षा देने के लिये क्लासें खोलें और वहां उन को बतलाया जाय कि कैसे वह अपने शरीर, नाक, कान और पेट आदि को साफ़ और स्वस्थ रक्खें, क्योंकि अगर वह इन चीज़ों पर ध्यान रखना सीख गये तो, हमें रोगों को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को समझना और पालन करना हर एक आदमी का फ़र्ज़ है और अकेले कोई सैन्टर (केन्द्र) या स्टेट गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेवारी नहीं है। आप ठीक तरह रात को सोये नहीं, रात भर जागें और सिनेमा और थियेटर देखें, और तबीअत ख़राब हो तो हम आप को दवा दें। मैं तो कहता हूं कि आप नियमपूर्वक अपना जीवन क्यों न व्यतीत करना सीखें, जिस से आप बीमार ही न पड़ें। संयमपूर्बक तो आप रहें नहीं, और उल्टे प्रान्तीय और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से कहें कि हम बीमार हो गये, हमें अच्छा कर दीजिये, बीमार तो आप अपने पापों के कारण हुए हैं, उस में किसी का क्या दोष और मैं यह जो बोगस आइडौलिजी (झूठी विचारधारा) रक्खी गई है कि हमारे बीमार और स्वस्थ न रहने के लिये प्रान्तीय सरकारें अथवा सेंटर गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, मैं इस को मानने के लिये तैयार नहीं हूं, बल्कि मेरा कहना तो यह है कि इस अवस्था के लिये स्वयं वह ज़िम्मेदार हैं।

लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हम ज़िम्मेदार तो हैं लेकिन उन की तालीम के लिये ज़रूर सरकार ज़िम्मेदार है। मेरा यह कहना है कि आप उन को शिक्षा दीजिये प्राइमरी स्टेज से लेकर ऊंचे तक। लेकिन लड़कियों के लिये मेरा कहना यह है कि प्राइमरी स्टेज ख़त्म हो जाये तो १६ से २० वर्ष तक उन के लिये कम्पलसरी (अनिवार्य) नर्सिंग कोर्स होना चाहिये। उसके बाद मैटरनिटी की शिक्षा देनी चाहिये कि किस तरह से उन का आहार हो, व्यवहार कैसा हो, इस सब के जानने के लिये कम्पल्सरी शिक्षा होनी चाहिये। कोई ज़रूरी बात नहीं है कि एक लड़की बी० ए० पास करे, या एम० ए० पास करे लेकिन यह न जाने कि वह क्या चीज़ है, उस के शरीर में किस प्रकार की मशीनरी है। जो स्त्रियां या लड़कियां कहती हैं कि हम साइन्स पढ़ेंगी, उन को मौका दिया जाये। इस के लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। पर यह बात निश्चित है कि १०० में से ५ ही स्कालर्स निकलेंगी, ९५ मदर्स (मातायें) होने वाली हैं। और जब मदर्स होने वाली हैं तो उन के लिये ज़रूरी होना चाहिये कि वे शिक्षा लें, नर्सिंग और मैटरनिटी की।

इसी तरह से मेरा कहना है कि हम लोग जो एजुकेटेड (शिक्षित) हैं उन को आज सर्दी हो गई, खांसी हो गई, इस के उपचार की ट्रेनिंग देने की ज़िम्मेदारी 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया' पर और प्रान्तीय सरकारों पर है। घर घर लोगों के पहुंचिये, उस के बाद स्त्रियों के कैम्प कीजिये, उन को नर्सिंग सिखाइये। यह क्या बात है कि हम बीमार पड़ें और रात भर के लिये नर्स हम से दस रुपये ले जाये और हमारे घर की स्त्री, बहन और मां को कोई ट्रेनिंग न दी जाये। हम ग़रीब आदमी क्या मर जायें? आख़िर कहां से पैसा लायें?

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें मैं ने कही हैं और जो कुछ रोज़ाना कहूंगा, व्याख्यान दूंगा, मैं आप को क्रिटिसाइज़ (आलोचना) करने के लिये नही आया हूं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा श्रीमती मंत्राणी जी से कहना चाहता हूं कि मैं आप के हाथ बटाने के लिये आया हूं। अगर आप एक हाथ से काम करती हैं तो मैं दूसरा हाथ सहयोग के लिये दूंगा। मैं कहता हूं कि सारा भारतवर्ष मेरा है।

[श्री धुलेकर]

मैं विरोधी नहीं किसी का । न मेरा विरोध ऐलोपैथी से है, न होमियोपैथी से । आज हिन्दुस्तान की क़ौम मरी जा रही है, हमारी बहिनों, लड़कियों और स्त्रियों को बचाइये ।

आखिर में, श्रीमान्, मैं आप के द्वारा 'गवर्नमेंट आफ़ इंडिया' के जो सर्वेन्ट्स (कर्मचारी) हैं उन से कहूंगा कि कृपया आयुर्वेद के विरुद्ध बातें करना अब छोड़ दें इस बात को खत्म कीजिये नहीं तो आप सफल नहीं होंगे यह मैं जानता हूं ।

डा० मदुरम (तिरुचिरपल्ली) : स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्र बहुत पिछड़ा हुआ है । भारत में औसत जीवनावधि २७ वर्ष की है । यहां मृत्यु दर १००० व्यक्ति पीछे २२ है जब कि संयुक्त राजतन्त्र में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में यह क्रमशः १२ तथा ११ ही है । बाल-मृत्यु दर भी यहां अधिक है । कोई दो लाख स्त्रियों की मृत्यु प्रति वर्ष प्रसूतावस्था में हो जाती है । मलेरिया और क्षयरोग से प्रति वर्ष क्रमशः २० लाख और ५ लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है । इन आंकड़ों से पता चलता है कि जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ तथा लापरवाह है ।

राज्य सरकारें वित्ताभाव के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य की समस्या पर पूरा पूरा ध्यान नहीं दे सकतीं । अतएव केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ सहायता दे । देश की ८० प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है, अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करे । आय-व्ययक में कुल आय ४०० करोड़ रुपये की है, उस में से केवल २ करोड़ रुपये इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किये जाने की व्यवस्था है । यह बहुत कम है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कम से कम दस करोड़ रुपये इस प्रयोजनार्थ व्यय करने चाहियें और वह भी राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में ।

पिछले कई वर्षों में राज्य सरकारों ने गांवों में चिकित्सालय खोलने की चेष्टाय की हैं, परन्तु वे असफल रही हैं । चिकित्सालय एक बार खुल कर बंद हो गये हैं क्योंकि डाक्टरों, कम्पाउन्डरों और नर्सों की कमी है । वेतन कम होने के कारण यह लोग गांवों में जाकर रहना पसन्द नहीं करते । इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय चलाया जाना सम्भव हो सके ।

मेरा सुझाव है कि चलते फिरते चिकित्सालय चालू किये जायें । हर ज़िले में कम से कम दो मोटर गाड़ियां हों जिन म सब औषधियां आदि रहें और प्रत्येक में एक डाक्टर, एक नर्स, एक कम्पाउन्डर और एक ड्राइवर रहे । शायद राज्य सरकारें इतना व्यय न उठा सकें ; अतः केन्द्र को राज्यों की सहायता करनी चाहिये और कम से कम आधा व्यय सहन करना चाहिये । एक ऐसा चलता फिरता चिकित्सालय एक दिन में तीन-चार जगह जा सकता है ।

एक सुझाव मेरा यह भी है कि जो डाक्टर पढ़ाई पढ़ने के बाद कॉलेज से निकलता है उससे पहले चार-पांच साल तक देहातों में प्रैक्टिस करने के लिये कहा जाये । चिकित्सा-सेवाओं (मेडिकल सर्विसेज़) के दो भाग कर दिये जायें--ग्रामीणचिकित्सा सेवाओं तथा सामान्य चिकित्सा सेवा । कॉलेजों में आधे

स्थान ग्रामीण चिकित्सा सेवा के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रहें और आधे सामान्य चिकित्सा सेवा के लिये । ग्रामीण चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक है क्योंकि कोई ८० प्रतिशत लोग गांवों में ही रहते हैं ।

कुछ व्यक्तियों को कॉलिज से निकलते ही विदेश भेज दिया जाता है । मेरा सुझाव है कि विदेश भेजने के लिये ऐसे ही व्यक्ति छांटे जायें जो कम से कम दस वर्ष किसी राज्य में प्रैक्टिस कर चुके हों । इस के अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम विदेशों से जो विशेषज्ञ बुलायें वे बहुत अनुभवी और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हों । केवल उसी दशा में उन से कोई लाभ पहुंचने की सम्भावना है, अन्यथा नहीं ।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है । प्रथम स्थान चीन का है । हमारे देश में प्रति वर्ष १.३ प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ रही है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार को प्रत्येक वर्ष ४० लाख अधिक व्यक्तियों के लिये खाने और कपड़े की व्यवस्था करनी होती है । किसी देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास से मृत्यु-दर और जन्म-दर दोनों कम होते हैं । हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में औद्योगीकरण के प्रथम चरण में मृत्यु-दर तो कम हो जाती है, परन्तु जन्म-दर बहुत बाद में जाकर कम होती है । इंगलैंड में यही हुआ । औद्योगिक क्रान्ति के प्रथम चरण में, यानी १९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में, मृत्यु-दर तो कम हो गई, परन्तु जन्म-दर वही रही । हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है । देश में औद्योगिक विकास होने से मृत्यु-दर तो कम हो जायेगी, किन्तु जन्म-दर वही रही आयेगी । परिणाम यह होगा कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि वर्तमान से कहीं अधिक दर से होगी । अतः यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार ऐसी नीति अपनाये जिस से जन्म-दर में कमी आये और बढ़ती हुई जनसंख्या तथा अल्प खाद्य प्रदाय के बीच अधिक अच्छा सन्तुलन क़ायम हो सके ।

आज संसार में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त केवल एक और उपाय है और वह है परिवार आयोजन या सन्तति निग्रह । बड़े खेद का विषय है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई क़दम नहीं उठाया है । इस वर्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के आयव्ययक में तीन लाख रुपये परिवार आयोजन की रिद्म' या सुरक्षितकाल' प्रणाली के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करवाने के लिये रखे गये हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार इस अमुक प्रणाली को इतना महत्व क्यों देती है । प्रत्येक देश में इस प्रणाली को अनुपयुक्त और अप्रभावी पाया गया है । इंगलैण्ड की डा० मेरी स्टोप्स का कथन है कि यह प्रणाली कभी भी सफल नहीं हो सकती । उन्हों ने भारतीयों को चेतावनी भी दी है कि वह इस अप्राकृतिक प्रणाली पर कभी भी निर्भर न रहें । देश के डाक्टरों का मत भी इस प्रणाली के विरुद्ध है । यहां तक कि डा० स्टोन तक ने, जिन्हें भारत सरकार ने बुलाया था, इस प्रणाली को बहुत उपयुक्त नहीं बतलाया है ।

इन परिस्थितियों में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । प्रथम तो यह कि सरकार को अनुसन्धान आदि कराने की बजाय तो जनता में परिवार आयोजन के उन तरीकों का प्रचार करना चाहिये जिन को संसार के दूसरे देशों में पहले आजमाया जा चुका है । इन तरीकों के सम्बन्ध में केवल यही कठिनाई है कि उन में कुछ व्यय करना पड़ता है । मेरा सुझाव यह है कि सरकार को परिवार आयोजन के सारे उपकरणों—रबर के तथा दवाइयां—के बांटे जाने के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये । दूसरे यह कि इस प्रकार की आर्थिक सहायता

[डा० एम० एम० दास]

देने के अतिरिक्त सरकार को परिवार आयोजन को लोकप्रिय बनाने के हेतु एक देशव्यापी आन्दोलन की व्यवस्था करनी चाहिये । तथा प्रचार के समस्त साधनों, अर्थात्, समाचारपत्रों, भाषणों, सिनेमा, रेडियो आदि का समुचित उपयोग करना चाहिये । हमारे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को ऐसे चलचित्र तैयार करने चाहियें जिन के द्वारा जनता को सन्तति-निग्रह के सिद्धान्त बतलाये जा सकें । तीसरे यह कि देश के सब बड़े-बड़े अस्पतालों में रोगियों के निःशुल्क रहने तथा 'आपरेशन' की सुविधा होनी चाहिये और जो स्त्रियां 'आपरेशन' द्वारा बांझ बनना चाहें उनके लिये उक्त 'आपरेशन' की भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): मैं इस अवसर का स्वागत करती हूं जब कि मंत्री को स्वास्थ्य की इस महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सदन के सदस्यों के विचार सुनने को मिलते हैं । मेरी कामना है कि ऐसे अवसर बार-बार आया करें । अतएव मैं ने अपने मंत्रालय के विरुद्ध की गई सभी आलोचनाओं को तथा जो सुझाव दिये गये हैं उन सुझावों को बड़े ध्यान के साथ सुना है ।

मेरे लिये अपने हृदय की वेदना व्यक्त करना अति कठिन है । यह तो चिर वेदना है और कोई भी औषधि इसका उपचार नहीं कर सकती । मैं जब यह देखती हूं कि मैं रोगियों के कष्ट दूर करने के लिये उतना कुछ नहीं कर सक रही हूं जितना कि किया जाना चाहिये तो सचमुच मुझे मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगता है । आखिर कठिनाइयों पर पार पाना ही होगा । निस्सन्देह, इस देश के या किसी भी अन्य देश के जीवन में ४॥ वर्ष की अवधि कोई बड़ी अवधि नहीं समझी जा सकती । परन्तु, इस अल्प काल में भी हमने बहुत कुछ किया है । मुझे इस बात में भी सन्देह नहीं है कि राज्य सरकारें, मुख्यतः जिनके ऊपर ही स्वास्थ्य को सुधारने का भार है, स्थिति तथा उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं । सब से बड़ी बात तो यह है कि हम सही मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सुविधाओं की अपर्याप्तता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं सदन के उन सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं जो यह कहते हैं कि हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम देश के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध कैसे बनायें । बतलाया गया है कि जब तक देश की आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता । परन्तु, हमें अपनी योजनाओं के लिये वित्त नहीं मिलता । मैं यह भी जानती हूं कि धन का अभाव है । माननीय वित्त मंत्री भी यह चाहते हैं कि हमारी योजनायें चलें, परन्तु वह रुपया बना तो नहीं सकते । अतएव मैं अपने विरोधी पक्ष के सदस्य से सहमत हूं जब कि वह यह कहते हैं कि जो सुविधायें नगरवासियों को दी जा सकती हैं वह ग्रामीण लोगों को नहीं दी जा रही हैं । वित्ताभाव के कारण यह भेद मौजूद है । परन्तु मैं उन की तथा अन्य सदस्यों की सब बातें मानने को तैयार नहीं हूं । उन्हों ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सुविधायें दी जायें । परन्तु समुचित संचार-व्यवस्था, गृह-व्यवस्था या जल-व्यवस्था के अभाव में लोगों के स्वास्थ्य में विशेष सुधार नहीं हो सकता । मैं ने तो सदैव निवारक पहलू पर ज़ोर दिया है । उस के लिये भी धन की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि नये गृह-व्यवस्था मंत्रालय द्वारा घरों की समस्या सुलझाने के लिये सफल कार्यक्रम बनाया जायेगा । मुझे आशा है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संचार साधनों का विकास होगा तथा शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा । मैं समझती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता चलते-फिरते चिकित्सालय तथा कुटीर अस्पताल स्थापित करने से

दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहने के लिये डाक्टर ढूंढने में जो कठिनाई है मैं उसे समझती हूं। मेरा ख़्याल है कि ऐसी स्थिति में जब कि हम एक इतना बड़ा क़दम उठाने वाले हैं और अपनी दशा में बहुत बड़े सुधार की आशा लगाये हुए हैं, हम सब लोगों के हृदयों में सेवा की भावना जागृत होनी चाहिये। परन्तु खेद का विषय है कि हमारे देश में पहले से जो प्रणाली चली आ रही है वह डाक्टरों के लिये भी उचित नहीं है। ८० रुपये प्रति मास पर कौन डाक्टर गांवों में जाकर रहना पसन्द करेगा? आख़िर, वह वहां रहेगा? उसके बच्चे कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे? कहने का अभिप्राय यह है कि उसे वहां वे सुविधायें प्राप्त नहीं होतीं जो शहर में मिल सकती हैं। निस्सन्देह, कुटीर अस्पताल तथा चलते-फिरते चिकित्सालय होने चाहियें तथा सरकारी डाक्टरों को अच्छा वेतन मिलना चाहिये। जब तक हम डाक्टरों को पर्याप्त वेतन नहीं देंगे तब तक हमें अच्छे डाक्टर प्राप्त नहीं होंगे। आप को तो डाक्टरों को ऐसा वेतन देना है जिस से न केवल वे आकर्षित ही हों, बल्कि जिससे उन का ख़र्चा चल सके। हमें सेवा की शर्तें ऐसी नहीं रखनी चाहियें जिन से उन का रहना भी असम्भव बन जाये। हाल ही में मैं नें एक छोटी सी योजना तैयार की है जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार भी कर लिया है। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली के सब सरकारी कर्मचारियों को कुछ थोड़े से दाम लेकर निःशुल्क चिकित्सा की सुविधायें देने की व्यस्था है। विशेषतया इस का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने का है जिन्हें हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कहते हैं। तो इस छोटी सी योजना के सम्बन्ध में भी हमें चिकित्सा संघ (मैडिकल एसोसियेशन) के सदस्यों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिन में कहा गया है कि यह नीति ग़लत है। संयुक्त राजतंत्र के स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे बतलाया था कि यदि हम ने इस प्रकार की कोई योजना चालू की तो कठिनाइयां अवश्य सामनें आयेंगी क्योंकि स्वार्थी लोग चिकित्सा-व्यवसाय में भी मौजूद हैं। हमें ऐसे लोगों का सामना करना है। जनता की भलाई सर्वोपरि तथा सर्वप्रथ है। हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीकृत करना है। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं में तो हर कोई कुछ न कुछ योग दे सकता है। हमें कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि हम हर चीज़ के लिये सरकार का मुंह ताकते हैं। केवल सरकार क्या कर सकती है? लोक-स्वास्थ्य के प्रश्न को हल करने के लिये जनता का योग आवश्यक है:

सदस्यों ने अधिक डाक्टर बनाये जाने पर ज़ोर दिया है। मैं नहीं चाहती कि अधिक लोग डाक्टर बनें और केवल शहरों में प्रैक्टिस करें गांवों में न जायें। मेरी उत्कट अभिलाषा तो यह है कि ग्राम-निवासियों में से ही कुछ सुशिक्षित तथा योग्य व्यक्तियों को ऐसे ढंग से प्रशिक्षित किया जाये कि वे गांवों में डाक्टरों के निदेशों का पालन कर सकें और उन की सहायता कर सकें। मेरे ख़्याल में इस समस्या को हल करने का यही एक ठीक उपाय है। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि हम अगले पांच वर्षों में जनता को इस सम्बन्ध में अधिकाधिक सुविधायें नहीं उपलब्ध कर सकेंगे। हमें निश्चय कर लेना चाहिये कि हम ऐसा करेंगे।

मैं अपने एक माननीय मित्र द्वारा कही गई इस बात से सहमत नहीं हूं कि केवल २·३ प्रतिशत लोगों को ही अस्पतालों में रहने की सुविधा की आवश्यकता है। वह केवल दिल्ली नगर के अस्पतालों को ही देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि कितने प्रतिशत लोगों को इस सुविधा की आवश्यकता है और मैं उन लोगों को कितना कम स्थान दे सकी हूं।

[राजकुमारी अमृत कौर]

उन्हों ने बी० सी० जी० टीका आन्दोलन के विरुद्ध भी बातें कहीं । मेरे पास यहां पुस्तकें नहीं हैं ताकि मैं उन में से उद्धरण देकर बी० सी० जी० टीके के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती । यह चीज़ तो केवल रोग की सम्भावना कम करने के अभिप्राय से अपनाई जा रही है । जिन पाश्चात्य देशों में बी० सी० जी० टीके का प्रयोग किया गया है वहाँ से उसकी सफलता के जो समाचार मिले हैं हम उन की अवहेलना नहीं कर सकते । यदि विश्व स्वास्थ्य संस्था तथा संयुक्त राजतंत्र की सरकार को यह यक़ीन नहीं होता कि बी० सी० जी० टीके का प्रभाव अच्छा है तो वे निश्चय ही क्षय के प्रत्येक रोगी को टीका लगाया जाना अनिवार्य नहीं बनातीं । माननीय सदस्य ने रौकफैलर रिपोर्ट आदि से कुछ उद्धरण दिये । उस दिन अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा के एक बहुत उच्च पदाधिकारी मुझ से मिलने आये थे । उन्हों ने मुझे बतलाया कि लगभग सारी दक्षिणी अमेरिका में बी० सी० जी० टीके का प्रयोग किया जा रहा है । अमेरिका के नीग्रो लोगों में भी इस का प्रयोग किया जा रहा है । रैड इंडियन लोगों में भी यह सफल रहा है । मैं डा० जयसूर्य को विश्वास दिला देना चाहती हूं कि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है जो किसी प्रमाण पर आधारित न हो । उनका कहना है कि यह अवैज्ञानिक विचार है । मैं यद्यपि उन की बहुत सी बातें मानती हूं, किन्तु यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरे परामर्शदाता कोई अवैज्ञानिक विचार प्रकट करेंगे ।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा-प्रणाली के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । मुझ पर यह आरोप लगाये गये हैं कि इन चिकित्सा-प्रणालियों के संबंध में मैंने विभेदपूर्ण बर्ताव किया है । इतना ही नहीं यह कहा गया है कि आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी का तो मैं गला घोंटने का प्रयत्न कर रही हूं । मैं ने कहा था कि इन प्रणालियों के संबंध में संपूर्ण आधारभूत वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । सच तो यह है कि मैं इन प्रणालियों के पक्ष में हूं । मेरा कहना तो केवल यह है कि संपूर्ण आधारभूत वैज्ञानिक प्रशिक्षण के अभाव में ये प्रणालियां आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली से होड़ नहीं लगा सकतीं । औषधि-विज्ञान, या किसी भी अन्य विज्ञान में जाति, वंश आदि के भेद भाव नहीं हो सकते । आप मुझ से यह आशा नहीं कर सकते कि मैं यह विश्वास कर लूं कि जो प्रणाली हजारों वर्ष पहिले उदय हुई थी और जिसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है वह अब एक ऐसी प्रणाली के साथ सफलता पूर्वक होड़ लगा सकेगी जो सारे संसार में फैली हुई है । मैं जो कह रही हूं वह एक तथ्य है । हिमाचल प्रदेश में मैं गांव वालों से मिली थी । उन्होंने मांग की : "हमें डाक्टर चाहिये, हमें चिकित्सालय चाहियें" मैं ने कहा : "आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं दे सकती क्योंकि हमारे पास धन का अभाव है ।" आप जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा ? उन्होंने कहा : वैद्य मामूली बीमारी के लिए ठीक हैं, लेकिन हमें तो डाक्टर चाहिये । जहां कहीं भी मैं गई हूं, मेरा यही अनुभव रहा है । मैं यह नहीं कहती कि आयुर्वेद या यूनानी प्रणालियों विज्ञान के अन्तर्गत नहीं आतीं, मेरा कहना तो यह है कि वे अभी तक वैसी ही हैं जैसी कि प्रारम्भ में थीं । यदि वे लोग आधुनिक औषधि प्रणाली की वैज्ञानिक महत्व की बातें ग्रहण नहीं करते तो वे अपनी कला स्वयं ही समाप्त कर देंगे ।

मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि हमें अनुसंधान करते रहना चाहिये, किंतु वह यह भी जानना चाहते हैं कि जामनगर में अनुसंधान क्यों हो रहा है । एक अन्य मित्र से पूछा कि अनुसंधान की क्या आवश्यकता है और उन्होंने बहुत सी जड़ी

बूटियों का उल्लेख किया। मैं उन्हें बतला देना चाहती हूं कि उन्होंने जिन जड़ी बूटियों का नाम लिया उनमें से प्रत्येक का नये ढंग से आधुनिक औषधियों में प्रयोग हो रहा है। केवल नाम से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक जामनगर में आयुर्वेद संबंधी अनुसंधान किये जाने का प्रश्न है मैं यह कहूंगी कि मैं ने 'पण्डित कमेटी' इसीलिये नियुक्त की थी कि वह सारे देश का भ्रमण करके यह पता लगाये कि अनुसंधान कार्य कहां प्रारम्भ किया जाना चाहिये। उस कमेटी में अधिकांश सदस्य वैद्य थे और उन्होंने सुझाव दिया कि अनुसंधान जामनगर में प्रारम्भ किया जाये। अब प्रश्न यह है कि अनुसंधान कौन करे। वैद्य तो कर नहीं सकते। वे तो बेचारे यह भी नहीं जानते कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग कैसे किया जाता है। सुनने में यह बात अप्रिय अवश्य लग सकती है पर है यह एक तथ्य। मुझे वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथों से यह निवेदन करना है कि जब तक वे अपने आप को ऐसे लोगों से मुकाबला करने के योग्य नहीं बना लेते जो वैज्ञानिक आधार पर कार्य कर रहे हैं तब तक वे प्रगति नहीं कर सकेंगे। विज्ञान की या सचाई की समाप्ति नहीं हो सकती। आखिर विज्ञान क्या है? यह तो सचाई की खोज मात्र है। यह सरकार की सहायता पर आश्रित नहीं है। यदि विज्ञान इतने दिनों जीवित रह सका है तो इसका एक मात्र कारण यह है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। यदि इसे भविष्य में जीवित रहना है तो इसे समय की प्रगति के अनुसार चलना होगा।

मैं होम्योपैथों की उचित मांगों को भी सुनने को तैयार हूं। आखिर, होम्योपैथी का जन्म कहां हुआ था? इस देश में नहीं। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। पश्चिम के सब देशों में इसके बारे में क्या हुआ? वहां होम्योपैथी का एक आधारभूत आधुनिक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है; स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पोस्ट-ग्रेजुयेट कोर्स) तो है ही। मैं ने होम्योपैथों से बार बार यह पूछा है कि वे व्यावहारिक रूप से चिकित्सा प्रशिक्षण की किस सीमा तक पहुंच कर आरम्भ करना चाहते हैं। यह आवश्यक है कि उन्होंने आधारभूत आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि जब तक उन्हें समुचित प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, वे अन्य आधुनिक प्रणालियों के चिकित्सकों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मुझ से यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि मैं ऐसे होम्योपैथों को प्रोत्साहन दूंगी जो चिट्ठी-पत्री द्वारा ही ३ सप्ताह या ६ सप्ताह का पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद डाक्टर बन जाते हैं। ऐसे लोग यहां भी थे जो अन्य लोगों से कहा करते थे कि इतने रुपये देकर अमुक पाठ्यक्रम पूरा कर लो और डाक्टर बन जाओ। यह तो अपना उल्लू सीधा करना हुआ। किसी को भी ऐसी बातों में नहीं आना चाहिये। फिर भी मैं ने किसी भी चिकित्सा प्रणाली पर रोक नहीं लगाई है। हां मैं यह जानती हूं कि यदि भारत को अन्य देशों की प्रगति के साथ साथ चलना है तो उसका आधुनिक औषधियों को मानने से इंकार करना ठीक वैसा ही होगा जैसा कि वायुयान मोटरकार या ट्रैक्टरों का उपयोग करने से इंकार करना। यद्यपि आज भी ट्रैक्टरों का काम आदमी से लिया जा सकता है फिर भी सदन ट्रैक्टरों का प्रयोग स्वीकार करता है। तो क्या औषधि विज्ञान के संबंध में ही आप हमें बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं? मैं यह नहीं मानती। मैं यह नहीं चाहती कि गांव वालों को कोई खराब चीज मिले। गांव वालों को तो हमसे भी अच्छी चीज प्राप्त होनी चाहिये क्योंकि हम लोगों को तो पहले ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं जो उन्हें नहीं मिलतीं।

[राजकुमारी अमृत कौर]

मेरे एक मित्र ने मेरे मंत्रालय के पदधारियों को बुरा भला कहा है। मैं दृढ़ता पूर्वक यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह गलत है। आखिर सरकारी कर्मचारी हमारी सेवा करने के लिए ही हैं। मुझे अब तक ऐसा एक भी पदधारी नहीं मिला है जिसने मंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई काम किया हो। अब समय आ गया है कि हम इस प्रकार की छोटी बातों को छोड़ दें। हो सकता है कि कहीं कहीं उनके विचार भिन्न हों, परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं कि वे मंत्री की इच्छा के विरुद्ध कार्य करें। मुझे अपने सब सहकारियों से सहयोग ही प्राप्त हुआ है। समाज के किसी अंग को इस प्रकार निन्दित करने से कोई लाभ नहीं है। यदि किसी मंत्री को उसके सहकारियों से सहयोग नहीं मिलता तो इसका दोष कदाचित स्वयं मंत्री पर ही है।

जहां तक हमारी अपनी औषधियों के निर्माण का प्रश्न है, मैं यह बात पूर्णतः मानती हूं कि हमें अपनी आवश्यकता की औषधियों का स्वयं निर्माण करने के योग्य बनना चाहिये और इस प्रकार इस अभाव की पूर्ति होनी चाहिये। केवल इतना ही नहीं, हमें औषधियों का निर्यात भी करना चाहिये क्योंकि यहां हज़ारों जड़ी-बूटी ऐसी मौजूद हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। मेरे पास समय कम है; अतः संभव है कि मैं हरेक बात का उत्तर न दे सकूं। परन्तु मैं परिवार आयोजन के विषय में तो कुछ अवश्य कहूंगी क्योंकि इसके बारे में कितने ही सदस्यों ने कुछ न कुछ कहा है। परस्पर-विरोधी बातें कही गई हैं। आज प्रातः के वाद विवाद में भाग लेने वाले प्रथम वक्ता ने कहा कि 'परिवार आयोजन' एक बेकार सी चीज़ है। दूसरे सदस्यों ने कहा कि इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। कुछ सदस्यों ने कहा कि 'परिवार आयोजन' की बजाय तो अधिक भूमि की सिंचाई की जानी चाहिये। भूमि सुधार के कार्य में अभी बड़ी गुंजाइश है। मेरे मंत्रालय पर आरोप लगाया गया है कि उसके 'परिवार आयोजन' के प्रश्न पर समुचित ध्यान नहीं दिया। जैसा कि माननीय सदस्यगण प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस विषय से संबंध रखने वाले अध्याय में देखेंगे, हमने इस समस्या को पूर्णतः भुला नहीं रखा है। परन्तु मैं सदन से निवेदन करूंगी कि दुनियां के किसी देश में 'परिवार आयोजन' का प्रश्न सरकारी आधार पर नहीं सुलझाया गया है। यह तो एक निजी समस्या है जिसके संबंध में प्रायः धार्मिक भावनायें जागृत हो जाया करती हैं। माननीय सदस्यों को संभवतः ज्ञात होगा कि विश्व स्वास्थ्य संस्था में भी भारत में संतति निग्रह पर चर्चा करने का जो प्रश्न उठाया था वह कटु विरोध के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। सामने बैठे हुए अप्रगतिवादी वर्गों के बहुत से सदस्य—यद्यपि उन में से कुछ अपने आप को अधिक प्रगतिवादी बतलाते हैं—गर्भ विरोधी वस्तुओं द्वारा सन्तति निग्रह के विरोधी हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश जिन सदस्यों ने इसके पक्ष में भाषण दिये हैं उन्होंने गर्भ विरोधी वस्तुओं के प्रयोग किये जाने की सिफ़ारिश की है। मेरी अपनी दृढ़ राय है कि यह प्रस्थापना—नैतिक पहलू के अतिरिक्त—वित्त के दृष्टिकोण से भी अव्यवहार्य है। हमारे लिए केवल धन के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु चिकित्सकीय सहायता की अपर्याप्तता के कारण भी ऐसा करना सम्भव नहीं है। हां, इसके अन्य उपाय भी हैं। आज जो माननीय सदस्य 'परिवार आयोजन' की बात कर रहे हैं क्या वे लोगों से यह कहने को तैयार हैं कि विवाह कम आयु में न किये जायें? क्या सदस्यों को विशेषतया बंगाल से आने वाले सदस्यों को, पता है कि उनके गांवों में आजकल

लड़कियां १५ वर्ष की आयु में माता और लड़के बीस वर्ष से भी कम आयु में पिता बन जाते हैं ? आखिर हमें परमात्मा ने एक उपाय दिया है—अर्थात् संयम—; हम उसका प्रयोग क्यों न करें ? क्या हम इतने दुर्बल हैं कि हम यह कहें कि हमारे लिए संयम से रहना सम्भव नहीं है, अन्य उपाय ही अपनाए जायें। वैसे तो हम सदन में राष्ट्रपिता द्वारा कही गई बातों का समय-समय पर उल्लेख करते हैं, किंतु इस प्रसंग में हम उन्हें भूल जाते हैं । यदि हम बिना कुछ सोच विचार किये पाश्चात्य देशों का अनुकरण करेंगे तो इस का अर्थ देश के साथ अन्याय करना होगा । यह कहा गया है कि हमें भारतीय जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहिए । ठीक है, ऐसा अवश्य होना चाहिए । यदि हम जीवन-स्तर ऊंचा उठा सके तो जन्म-दर स्वतः ही कम हो जायेगी । परन्तु, दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं ? आखिर, मनुष्य को आमोद-प्रमोद का कोई न कोई साधन उपलब्ध रहना ही चाहिए। परन्तु हम उसके लिये क्या कर रहे हैं ? किसी अच्छे साधन के अभाव में वह जुआ खेलने लगता है, मदिरापान करने लगता है। क्या माननीय सदस्य उनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ? हम उनके लिए संगीत, नाटक, सिनेमा खेल-कूद किसी की भी तो व्यवस्था नहीं करते । ऐसे मार्गों को अपनाकर ही हम इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझा सकते हैं । डा० स्टोन ने संतति निग्रह की 'रिद्म' प्रणाली की सिफारिश की है । मैं नहीं कह सकती कि इस बात को उड़ाने का उत्तरदायित्व किस पर है कि डा० स्टोन ने इस प्रणाली की सिफारिश नहीं की है । जिन माननीय सदस्य ने डा० स्टोन की रिपोर्ट में से उद्धरण दिया है मैं समझती हूं उन्होंने रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है । यह प्रणाली संयम की ही प्रणाली है जिसको अपनाने में कुछ खर्चा भी नहीं होता है । डा० स्टोन ने कहा है कि भारत में भ्रमण करके तथा लोगों के साथ बातचीत करके मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि भारत के लिये यह सर्वोत्तम प्रणाली होगी । डा० स्टोन की सिफारिश यह है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दिखला भी सकती हूं । समस्या का हल तो स्वयं हमारे पास है। मैं अपनी परम्परा के विरुद्ध नहीं जा सकती । पाश्चात्य देशों में 'परिवार आयोजन' के जो तरीके हैं उन पर अनेक आपत्तियां की जा सकती हैं ; वहां भी डाक्टरों को प्रचलित तरीकों से पूर्ण संतोष नहीं है ।

अन्त में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब कभी भी वे मुझ से या मेरे किसी सहयोगी से मिलना चाहें, हम मिलने को तैयार हैं । विशेषतया मेरी इच्छा है कि विरोधी पक्ष के सदस्य मेरे साथ बातचीत करें और इस संबंध में योजनायें बनायें । स्वास्थ्य का प्रश्न राजनीति से पूर्णतः पृथक है । यह तो हम सभी चाहते हैं कि सब देशवासी स्वस्थ बनें, हमारे बच्चे स्वस्थ हों तथा हमारे युवक युवतियां स्वस्थ हों । लोग क्षय रोग से मर रहे हैं । उनको देखकर मेरा हृदय वेदना से कांप उठता है । इस समय हम उनके लिये यदि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको शरण तो दे ही सकते हैं । हम देश से मलेरिया दूर कर सकते हैं । मैं वित्त मंत्री से कह रही हूं कि यदि संभव हो सके तो वह मुझे कुछ धन देश से मलेरिया समाप्त करने के हेतु आवश्यक कार्य करने के लिए दें । जब राज्य यह कहते हैं:" 'इस समय हमारे हाथ में कितनी ही योजनायें हैं, हम मलेरिया समाप्त करना चाहते हैं; तथा इन सब कामों के लिये हमें धन की आवश्यकता है" तो मुझे उन के साथ सहानुभूति होती है । मेरा ख्याल है कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि

[राजकुमारी अमृत कौर]

डी० डी० टी० से मलेरिया समाप्त नहीं किया जा सकता । परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री वर्तक इस बात के साक्षी हैं कि बम्बई राज्य में सरकार को मलेरिया कम करने में अभूत-पूर्व सफलता मिली है । प्रत्येक राज्य में इस रोग पर काबू पाया जा सकता है । मैसूर, उड़ीसा, मद्रास राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में चार स्थानों से मलेरिया समाप्त कर दिया गया है । हम मलेरिया का अन्त कर सकते हैं । यह तो मार्गोपाय का प्रश्न है । हमें धैर्य से काम लेना चाहिये और निराश नहीं होना चाहिये । न केवल हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम यह काम नहीं कर सकते, बल्कि यह विश्वास रखना चाहिये कि हम यह काम पूरा करके ही रहेंगे ; थोड़ा तो अब करेंगे और शेष के लिए प्रयत्न जारी रखेंगे । स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति तो हमारा यह ही रुख होना चाहिये। मुझे आशा है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस विषय में अधिकाधिक रुचि दिखलायेंगे और मुझे अपने अपने सुझाव देंगे । उन सुझावों पर मैं किसी प्रकार के पक्षपात के बिना विचार करूंगी। इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिये मैं प्रत्येक सम्भव यत्न करने को तैयार हूं । यदि हमारे लोग दुर्बल तथा रोगों से पीड़ित होंगे तो देश में उत्पादन तथा प्रगति होना असम्भव है । भिन्न भिन्न उद्धरण दे कर किसी को कुछ नहीं मिल सकता । सैमुअल बटलर के उपन्यास "ऐरेव्हन" में ऐसे नियम की ओर निर्देश किया गया है जिस के अन्तर्गत बीमार पड़ने वाले लोगों पर जुरमाना होने की व्यवस्था थी । उन के "लैण्ड आफ नोव्हेयर" में ऐसी दशाओं का प्रदर्शन है जिन में लोग बीमार ही नहीं पड़ सकते । दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसी दशायें विद्यमान हैं जिन में लोग बीमार पड़ते हैं, इन दशाओं को सुधारा जाना है । हमें अपनी सामुदायिक योजनाओं से बड़ी बड़ी आशायें हैं । मैं समझती हूं कि इन योजनाओं में गांवों की सफाई आदि के लिये समुचित व्यवस्था रहेगी जिस से गांवों की हालत सुधर सके तथा गांव वालों को अधिक अच्छा स्वास्थ्य बनाने में सहायता मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये हैं । अब मैं मांगों को मतदान के ये :

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ५०, ५१, ५२, ५३, तथा ११९ के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिये उक्त आदेशपत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा यह मांगें स्वीकृत की गईं :--

मांग संख्या ५०--स्वास्थ्य मंत्रालय-- ४,०५,००० रुपये

मांग संख्या ५१--चिकित्सा सेवायें-- ५८,११,००० रुपये

मांग संख्या ५२--लोक-स्वास्थ्य-- ५१,९८,००० रुपये

मांग संख्या ५३--स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय-- ४६,१२,००० रुपये

मांग संख्या ११९–स्वास्थ्य मंत्रालय पर पूंजी व्यय–१,१६,१०,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम योजना सम्बन्धी मांगों तथा कटौती प्रस्तावों को लेंगे । मुझे एक सुझाव दिया गया है अर्थात् जहां तक योजना वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत मदों में से एक है, योजना तथा वित्त से सम्बन्ध रखने वाले सब कटौती प्रस्ताव एक साथ ले लें और उन पर एक साथ चर्चा हो जाये ।

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने ी वाद विवाद का उत्तर नहीं दिया है । हम योजना तथा वित्त को उस के बाद लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह उत्तर देना चाहते हैं ? तो हम योजना तथा वित्त बाद में लेंगे ।

माननीय मंत्री सिंचाई तथा विद्युत से सम्बन्ध रखने वाली मांग संख्या ७१, ७५, ७६ तथा १२३ के सम्बन्ध में वाद विवाद का उत्तर दें ।

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : २० जून को सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई थी; इसी प्रकार उन से सम्बन्धित कुछ कटौती प्रस्तावों पर भी वाद विवाद किया गया था । मुझे खेद है कि उस दिन मैं सदन में उपस्थित नहीं था । परन्तु मैं ने उस दिन की सम्पूर्ण कार्यवाही का बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा उस वाद विवाद के एक पहलू पर मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए उन्हें मैं तुरन्त बतला सकता हूं । वाद विवाद में अत्यन्त कटु शब्दों का प्रयोग किया गया तथा नदी घाटी परियोजनाओं के संचालन के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये । अब मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं सदन से यह कहूं कि प्रशासन के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, सदन उन की छान बीन कर के यह निश्चय करे कि वे ठीक हैं या गलत । जब से मैं ने यह कार्य भार संभाला है मैं ने उन समस्याओं को, जो इस सम्बन्ध में उत्पन्न हुई हैं, समझने का प्रयत्न किया है और अब मैं यह कह सकता हूं कि उन में से बहुत सी बातों के सम्बन्ध में मेरा अनुमान ठीक निकला है । मैं यह भी मानता हूं कि उन में से बहुत सी बातों की जांच-पड़ताल मैं अभी तक पूरी नहीं कर पाया हूं । इन में से कुछ बातों के बारे में मैं अभी अस्थायी परिणामों पर ही पहुंच पाया हूं ।

मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में सब काम पूर्ण रूप से ठीक चल रहा है । मैं जानता हूं कि कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जिन्हें टाला जा सकता था । ग़लतियां हुई हैं, परन्तु सब बातों को देखते हुए मामला इतना बिगड़ा हुआ नहीं है जितना कि बतलाया जा रहा है यदि ग़लतियां हुई हैं तो बहुत कम और उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है । बराबर सुधार हो रहा है और भविष्य उज्जवल नजर आता है ।

जैसी कि इस समय स्थिति है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस में लजाने की कोई बात नहीं है । अब भी मैं यह दावा तो नहीं करता कि सब बात बिल्कुल ठीक ही हैं । इस अवस्था पर भी बहुत सी बातों में सुधार किया जाना है । मुझे यकीन है कि हम उन्हें सुधार सकेंगे । यह सम्भव नहीं है कि एक इतने बड़े काम में जिस में करोड़ों रुपये व्यय हो रहे हों और जिस में हज़ारों आदमी काम कर रहे हैं कोई गलती ही न हो । मैं जानता हूं कि हमारे कार्यों का परीक्षण, कार्यकुशलता तथा मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए किया जाये । यह देखा जाये कि हम ने जो काम अपने हाथों में लिया है क्या हम उसे अच्छी तरह निभा पाये हैं ।

[श्री नन्दा]

हमें इस कसौटी द्वारा भी परखा जाये। हो सकता है कभी कभी कार्य सन्तोषजनक रीति से न हुआ हो, परन्तु जब कभी भी हम ने किसी बात में कोई दोष पाया है, तुरन्त ही उसे सुधारने का यत्न किया है। इन सब बातों को देखते हुए क्या अब हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह कह सकें कि काम काफी सन्तोष-जनक ढंग से हो रहा है तथा गलतियों को दूर किया जा रहा है ?

स्थिति के विषय में मेरे विचार तो यही हैं। हो सकता है मुझ से पूछा जाये : "आंक समिति की रिपोर्ट के बारे में क्या है ? उस ने भी तो प्रशासन के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है।" आंक समिति की रिपोर्ट की मैं अत्य-धिक सराहना करता हूं। इस काम में उस ने बहुत मेहनत की है। उस ने विस्तृत खोज की है और प्रशासन की बहुत सी गलतियां हमारे सामने रखी हैं। मैं ने उक्त रिपोर्ट का बड़े ध्यान से अध्ययन किया है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि समिति जिन निष्कर्षों पर पहुंची है मैं उन सब से सहमत नहीं हो सका हूं। कुछ बातें तो निश्चय ही बहुत लाभदायक हैं और हो सकता है कि जो सामग्री अब मेरे पास है वह उस समिति को उपलब्ध न हो। समिति ने अल्प समयावधि में बहुत से काम करने की कोशिश की थी। यह सम्भव है कि इस समय मेरे पास जो सामग्री मौजूद है यदि वह उस समिति के माननीय सदस्यों को दी जाये तो वे भी उन्हीं परिणामों पर पहुंचें जिन पर कि मैं पहुंचा हूं।

मैं एक उदाहरण देता हूं कि आंक समिति को किन किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ होगा। उस में भाकरा नंगल परियोजना की ओर एक निर्देश है :

> "हाल ही में सुरंगों (टनल्स) को बाढ़ से जो क्षति पहुंची है उस से यह शक पक्का हो जाता है कि उन के बनाने में कुछ दोष रह गया था।"

मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी है। मुझे बड़े विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाकरा-नांगल की सुरंगों (टनल्स) को कुछ भी क्षत्ति नहीं पहुंची थी। स्थिति के बारे में प्रामाणिक सरकारी वक्तव्य यह है :

> "निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बाढ़ से सुरंगों (टनल्स) को कोई भी क्षत्ति नही पहुंची। न तो सुरंग बैठी और न ही बाढ़ आने तक सुरंग का तैयार अन्दरूनी भाग गिरा। जो कुछ नुक्सान हुआ वह कुछ सामान तथा औजारों व संयंत्र के डूब जाने और नदी किनारे रखे हुए कुछ अन्य सामान के बह जाने के कारण था।"

परन्तु, यह कोई अधिक क्षति नहीं थी। वास्तव में स्थिति यह है .....

श्री घुलेकर : आंक समिति की जानकारी का सूत्र क्या था ?

श्री नन्दा : इस विषय पर तो हम उचित समय पर चर्चा करेंगे।

श्री वेलायुधन : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री आंक समिति की रिपोर्ट पर बोल सकते हैं जब कि हमें इस पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया है ?

श्री नन्दा : आंक समिति की रिपोर्ट की ओर वाद विवाद के दौरान में कितने ही बार निर्देश किया गया था और मुझ पर यह आरोप लगाया गया था कि मैं ने उस में की गई सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। मैं कोई आंक समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं

कर रहा हूं। उस के लिये भी समय आयेगा। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि हो सकता है कि आंक समिति जिन निष्कर्षों पर पहुंची है उन्हें नयी सामग्री के प्रकाश में संशोधित करना पड़े। असली बात यह है कि इन बातों का अर्थ निकालने का अपना अपना ढंग है। रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ को सही मान लीजिये, फिर भी मैं जो कहता हूं वह लागू होता है। आप को इस सम्बन्ध में निर्णय सब बातों को देखते हुए करना है और उन का अर्थ भी इस ढंग से निकालना है जो उचित हो। आप ने इक्का दुक्का गलतियों की ओर निर्देश किया है। परन्तु इस का यह अर्थ तो नहीं है कि सम्पूर्ण स्थिति ही निन्दनीय है। ऐसा कदापि नहीं है।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर-दक्षिण) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रीमान्। आंक समिति की रिपोर्ट के अनुसार हमें यह पता लगता है कि कुछ नुकसान हुआ था। अब माननीय मंत्री एक सरकारी रिपोर्ट में से उद्धरण दे कर यह प्रमाणित कर रहे हैं कि कोई क्षति नहीं हुई। दो सरकारी सूत्रों से दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। क्या माननीय मंत्री हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट ठीक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा भी आंक समिति से कुछ सम्बन्ध रहा है। मेरी समझ में माननीय मंत्री द्वारा उद्धृत रिपोर्ट में और आंक समिति की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न बातें नहीं कही गई हैं। उस समय यह कहा गया था कि एक बाढ़ आई थी और उस से सुरंगें जलमय हो गई थीं। आंक समिति ने सोचा कि क्षति बहुत अधिक हुई है। यह बाढ़ आने की समय की बात है। बाद में माननीय मंत्री को रिपोर्ट मिली कि क्षति इतनी अधिक नहीं थी और उस का यह अर्थ नहीं था कि सम्पूर्ण योजना ही गलत है। बस, माननीय मंत्री यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : आंक समिति किन बातों के आधार पर इस परिणाम पर पहुंची कि क्षति हुई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम उन सब बातों में नहीं पड़ रहे हैं।

श्री वैलायुधन : क्या आंक समिति ने यह नहीं कहा है कि क्षति हुई थी, और क्या माननीय मंत्री यह कह कर कि कोई क्षति नहीं हुई थी आंक समिति पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो आंक समिति के सदस्य नहीं हैं। समिति के अन्य सदस्य तो इस बात का बुरा नहीं मान रहे हैं। ऐसे किसी माननीय सदस्य ने जो आंक समिति का सदस्य है या रहा है, बुरा नहीं माना है। माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उस में मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं देख रहा हूं। आंक समिति की रिपोर्ट की ओर निर्देश किया गया है। समिति के सामने जो सामग्री थी उस के आधार पर उस ने कुछ निष्कर्ष निकाले। वे निष्कर्ष माननीय मंत्री को भी भेज दिये गये। अब जो सामग्री उपबन्ध है उस के आधार पर माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि अब वे निष्कर्ष नहीं निकलते जो आंक समिति ने निकाले थे।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या हम यह समझें कि आंक समिति के सामने पर्याप्त तथ्य नहीं रखे गये थे तथा माननीय मंत्री घटना के बाद चेते।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेषज्ञ तथा आंक समिति के सदस्य सब ही मनुष्य हैं। गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इस से यह तो नहीं जाहिर होता कि दोनों बातें एक दूसरे का खंडन करती हैं।

श्री नन्दा : अब की बार जब से मैं संसद् में आया मैं ने नदी घाटी परियोजनाओं के

[श्री नन्दा]

सम्बन्ध में यहां कुछ बेचैनी सी महसूस की। नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह बेचैनी और दिलचस्पी बहुत स्वाभाविक है और स्वागत के योग्य है। इस से हमें बहुत सहायता और लाभ पहुंचने की सम्भावना है। मैं योजना आयोग का एक सदस्य होने के कारण इस बेचैनी और दिलचस्पी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। क्या हम नहीं जानते कि इन परियोजनाओं के कारण हम ने कितना बड़ा दाव लगा दिया है ? इन परियोजनाओं में हमारे संसाधनों का इतना बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। जब स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिक रुपये की मांग करती हैं तो हमें उन से यही कहना पड़ता है : "हम आप को और धन नहीं दे सकते क्योंकि हमें सिंचाई कार्यों के लिये काफी धन की आवश्यकता है।" इसी प्रकार जब शिक्षा मंत्री अधिक धन की मांग करते हैं तो उन्हें भी हमें यह उत्तर देना पड़ता है : "हम आप के लिये धन की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले यह आवश्यकता पूरी करनी है।" जब रोज़गार धन्धे का प्रश्न उत्पन्न होता है तो भी हम यही उत्तर देते हैं : "हम आर्थिक विकास की नींव रख रहे हैं जिस से रोज़गार धंधे का सवाल स्वतः हल हो जायेगा।" अतः इन नदी घाटी परियोजनाओं में इतनी चीज़ें सम्मिलित हैं।

मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन से यह मालूम हो सकता है कि आखिर जल-संसाधन के विकास की समस्या क्या है। ३६.९ करोड़ एकड़ वर्गीकृत कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में से केवल ४.९ करोड़ एकड़ भूमि इस समय ऐसी है जहां सब प्रकार की सिंचाई उपलब्ध है। यह हिसाब लगाया गया है कि इस देश की जनता की आहारपुष्टि के लिये हमें ८० लाख एकड़ और भूमि पर कृषि करनी है, तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रत्येक वर्ष २० लाख एकड़ नई भूमि पर खेती करनी है। १५ वर्ष में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि-क्षेत्र वर्तमान भूमि क्षेत्र से दुगुना हो जाना चाहिये। इस के लिये कुल २,००० करोड़ रुपये लगाने की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजना के प्रथम भाग में, उस कालावधि में, ८४ लाख एकड़ भूमि को तथा अन्त में १६४ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था है; इस पर अनुमानित परिव्यय ७७० करोड़ रुपये होगा जिस में से ५१६ करोड़ रुपये योजना की कालावधि में व्यय होंगे। इरादा यह है कि योजना के द्वितीय भाग के लिये भी संसाधन उपलब्ध किये जायें जिस से यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो, २५० करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय पर ६१ लाख एकड़ और भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस समय हमारी कुल अधिष्ठापि विद्युत शक्ति, थर्मल और जलविद्युत दोनों १७ लाख किलोवाट है, जिस से प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता कोई १४ यूनिट निकलती है। हमारे हाथ में जो परियोजनाएं हैं उन के फलस्वरूप १८ लाख किलोवाट विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकेगी। जहां तक हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रश्न है उन में बहुत कुछ वृद्धि होने की संभावना है। अनुमानित, १३५ करोड़ एकड़ फुट पानी में से, जिस का कि हम कम से कम एक तिहाई भाग का अर्थात् कोई ४५ करोड़ एकड़ फुट का, उपयोग कर सकते हैं, हम इस समय केवल ७.६४ करोड़ एकड़ फुट पानी का ही उपयोग कर रहे हैं। हमारी जलविद्युत शक्ति का अनुमान ४ करोड़ किलोवाट लगाया जाता है।

इन आंकड़ों का कुछ महत्व है। इन से हमें बड़ी बड़ी आशायें लगी हुई हैं। जहां तक नदी घाटी परियोजना का प्रश्न है इस का किसी दल विशेष या किसी प्रकार की दलबन्दी से सम्बन्ध नहीं है।

यह तो सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व का विषय है । सारे राष्ट्र को एक होना है । अतएव, जैसा कि मैं ने पहले भी कहा, हम ऐसी सब जानकारी का स्वागत करते हैं जिस से हमें इस परियोजना के संचालन के विषय में सहायता मिले । हमारी जो आलोचना की जाये वह बढ़ा चढ़ा कर न की जाये क्योंकि उस से तो हमारा लक्ष्य ही समाप्त हो जायेगा । इस वाद विवाद के दौरान में कई बार जनता के सहयोग का प्रश्न उठाया गया था । यदि हम लोगों से निरन्तर यह कहते रहे कि सब काम गलत ढंग से हो रहे हैं तो उस दशा में हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि जनता हमें सहयोग देती रहेगी और हम देहाती क्षेत्रों में जन शक्ति को संगठित कर सकेंगे ताकि हमारे निर्माण-कार्य सस्ते पड़े ? एक सरकारी प्रवक्ता होने के नाते मुझे यह नहीं समझना चाहिये कि यहां जो कुछ किया जाता है मैं उस का समर्थन करूं । यदि कोई ग़लत काम हो जाये तो मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं सदन को इस की सूचना दूं और कहूं कि मैं उसे ठीक कर रहा हूं । जहां तक विरोधी पक्ष का सम्बन्ध है मेरा कहना यह है कि वह यदि सरकार की नीति का विरोध करता है तो उस सीमा तक तो यह बात समझ में आ सकती है । परन्तु जब कोई उच्च राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न प्रस्तुत होता है तो उसे चाहिये कि वह अपने विरोध को कुछ संयत रखे । प्रत्येक शब्द ऐसा कहा जाय जिस का उस लक्ष्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ।

मैं यह बतलाने का प्रयत्न करूंगा कि हमारी नीति के आधारभूत सिद्धान्त क्या होने चाहियें । मैं संक्षेप में यह बतलाऊंगा कि हमारी नीति क्या है । इस देश के विकास कार्यक्रमों का सारभूत आधार देश के जल-साधन हैं । नदियों का पानी भूमि की सिंचाई करने, सस्ती विद्युत शक्ति उपलब्ध करने तथा विभिन्न अन्य प्रयोजना के मूल्यवान साधनों में से एक है । अतएव यह आवश्यक है कि राष्ट्र के जल साधनों का विकास किया जाये तथा उन का सन्तुलित उपयोग किया जाये । यह विकास ऐसा होना चाहिये कि उस में विभिन्न प्राथ-मिकताओं का पूरा ध्यान रखा जाये ताकि उसे अधिक से अधिक आर्थिक तथा सामाजिक लाभ उपलब्ध हो सकें । साथ ही यह विकास एक सा भी होना चाहिये जिस से प्रत्येक प्रदेश की आवश्यकता समानता के आधार पर पूरी की जा सके ।

ये योजनायें व्यवस्थित ढंग से तैयार क जायें और आवश्यक अनुसन्धानों तथा परिमापों पर आधारित हों ताकि यह बात निश्चित हो सके कि ये योजनायें शिल्पिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से सफल होंगी । कर्मचारियों के पुनरीक्षण तथा उप-वरणों के प्रदाय के लिये भी प्रभावी योजना बनाई जानी चाहिये ।

इन परियोजनाओं की परिकल्पना तथा क्रियान्विति के लिये विशेष शिल्पि-ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता है । जिस सीमा तक विदेशी सहायता के बिना काम ही न चल सके उस सीमा तक तो वह ली जा सकती है; परन्तु इस के साथ साथ, देश के लोगों की योग्यता का भी पूर्ण उपयोग किया जाये ।

देश की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय अधिक से अधिक मित-व्ययिता तथा दक्षता से काम किया जाये । इस प्रयोजन के लिये, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं तथा दशाओं का ध्यान रखते हुए, एक उपयुक्त प्रशासनीय व्यवस्था स्थापित की जाये ।

[श्री नन्दा]

क्या काम स्वायत्त, अर्द्ध-स्वायत्त या वैभागिक संस्था द्वारा किया जाय, यह एक ऐसी बात है जो तत्कालीन स्थिति पर निर्भर होगी। ऐसे साधन ग्रहण किये जायें जिन से लक्ष्य की प्राप्ति सर्वाधिक अच्छे ढंग से हो सके तथा इस प्रयोजन के लिये वर्तमान प्रशासनीय व्यवस्था में, जहां कहीं भी आवश्यकता समझी जाये, रूपभेद किये जायें।

यद्यपि कार्य के लिये उत्तरदायी लोगों के उपक्रम तथा उत्तरदायित्व में दखल न दिया जाये, फिर भी उन लोगों पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाये ताकि धन का दुरुपयोग या दायित्व की अवहेलना न हो सके।

इस कार्य को करने वाले केन्द्रीय तथा राज्य संगठनों का इस प्रकार निर्माण किया जाये कि एक ही प्रकार का काम दोनों द्वारा न हो और दोनों की जिम्मेदारियां प्रत्येक अवस्था पर भिन्न तथा स्पष्ट हों।

परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के कार्य को गतिवान बनाया जाये क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो उन पर बहुत अधिक लागत पड़ेगी और उनके आर्थिक पहलू पर भी धक्का पड़ेगा।

राष्ट्र के कुल कर्मचारियों तथा सामान का इस प्रकार सामूहीकरण किया जाये कि कार्यक्रम की क्रियान्विति में उन का अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

परियोजनाओं की क्रियान्विति में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्थानीय जन-शक्ति का संगठन सहकारिता के आधार पर करें ताकि निर्माण कार्य अत्यधिक लाभप्रद ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। देश के लोगों को, विशेष रूप से उन लोगों को जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जिन में परियोजनायें चलाई जा रही हैं इन परियोजनाओं की प्रगति, उपयोगिता तथा महत्व से परिचित कराया जाये।

मेरा ख्याल है कि दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य इन सिद्धांतों को अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी इस बात से सहमत हैं कि सरकार की नीति के आधारभूत सिद्धांत यही होने चाहिये। परन्तु, फिर यह प्रश्न उठता है : क्या यह बातें वास्तव में की जा रही हैं?

अब मैं आलोचना की विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा और यह व्यक्त करने की कोशिश करूंगा कि जो आरोप लगाये गये हैं उन में कितनी सत्यता है।

पहले मैं हीराकुड बांध योजना को लूंगा। इस योजना के बारे में डा० मेघनाथ साहा बहुत कुछ कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना जल्दी में तैयार की गई है।

श्री मेघनाथ साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): यह बात तो मैं ने कोई पांच वर्ष पहले कही थी।

श्री नन्दा : उन्होंने यह बात इस सदन में कही है। मैं उद्धृत कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि यह बात उन्होंने केवल अभी ही नहीं कही है बल्कि पांच वर्ष पहले भी उन्होंने यही कहा था।

श्री नन्दा : इन पांच वर्षों में तो बहुत सी बातें हो गई हैं। फिर, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि योजना जल्दी में चलाई जा रही थी। इस सम्बन्ध में कुछ तैयारी की जानी होती है। यह ध्यान रहे कि हर काम में वक्त लगता है। मैं अभी इस बात को समझता हूं। जब किसी योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है तो उसके

लिये बहुत से डिज़ाइन, नमूने, प्राक्कलन आदि तैयार रखने पड़ते हैं। परन्तु, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भी प्रशासकीय मंजूरी लेने के लिये प्रस्थापना प्रस्तुत करनी होती है। जब १९४५ में परियोजना का मूल रूप बनाया गया था तो सरकार द्वारा इस का काम प्रारम्भ किये जाने के पहले नदी के बहाव तथा बाढ़ के प्रश्न से सम्बद्ध अन्य विषयों के बारे में इकट्ठी की गई जानकारी पर बहुत ध्यान दिया गया था। भारत सरकार को परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट जून १९४७ में दी गई तथा उड़ीसा सरकार को सितम्बर १९४७ में भेजी गई। भारत सरकार ने निर्माण कार्य आरम्भ करने की आज्ञा ८ अप्रैल, १९४८ को दी। उड़ीसा सरकार ने इसकी मंजूरी अक्तूबर १९४७ में दी। फिर प्रारम्भिक कार्य अगस्त १९४८ में आरम्भ हुआ तथा निर्माण फ़रवरी १९४९ में शुरू हुआ। इस बीच बहुत सी बातें हुईं। एक मंत्रणा समिति बनाई गई जिस के सभापति डा० सेवेज थे तथा·····

एक माननीय सदस्य : यह कब बनाई गई थी ?

श्री नन्दा : मार्च १९४८ में इसकी रिपोर्ट जून, १९४८ में आई थी। फिर अगस्त १९४८ से दिसम्बर १९४९ तक हीराकुड बांध के प्रारम्भिक डिज़ायन संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्टरनेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा तैयार किये गये। अन्तिम डिज़ायन केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के केन्द्रीय डिज़ायन कार्यालय द्वारा दिसम्बर १९४९ तथा जून १९५१ के बीच तैयार किये गये। बाद में, अन्य समितियों में भी पुनरीक्षित प्राक्कलनों की जांच करके परियोजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में परामर्श दिया। यदि इन सब बातों को देखा जाये तो पता चलेगा कि परियोजना को समुचित ढंग से चलाने के लिये बहुत अधिक ध्यान दिया गया था।

अब मैं इसी बात के दूसरे पहलू पर आता हूं। यह भी आरोप लगाये गये कि हीराकुड बांध योजना में नदी के बहाव सम्बन्धी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी और न ही कोई भूतत्वीय अनुसन्धान किये गये, अतः योजना का काम कैसे चल सकता है। मेरे पास उड़ीसा डेल्टा में बाढ़ों के सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर महालानोबिस की एक रिपोर्ट है जो १९३२ में तैयार की गई थी और जिस का १९४१ में पुनरीक्षण किया गया था। उन्होंने इस रिपोर्ट में नदियों में बाढ़ के सम्बन्ध में बहुत लाभदायक जानकारी और विस्तृत आंकड़े दिये हैं। इस में सन् १८६५ से लगाकर वर्षा के आंकड़े दिये गये हैं। जो आंकड़े पहले से ही प्राप्त थे उन के अतिरिक्त अनुपूरक आंकड़े इकट्ठे करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये थे। हीराकुड बांध योजना बनाते समय इन आंकड़ों का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था।

दूसरी बात यह कही गई कि हमारे पास ऐसे काम का, जिसके लिये उस क्षेत्र की भूतत्वीय दशा विषयक जानकारी आवश्यक है, कोई निश्चित आधार नहीं था। यह जानकारी दो प्रयोजनार्थ आवश्यक थी ; नींव खोदे जाने के सम्बन्ध में और उस जगह के खनिज पदार्थों के पर्यालोकन के लिये। मेरे पास यहां जो सूचना है उससे यह मालूम होता है कि जहां तक नींव खोदे जाने के स्थान का प्रश्न था, उसकी बहुत ध्यानपूर्वक जांच की गई थी। मौक़े की भूतत्वीय जांच भारत भूतत्वीय परिमाप द्वारा १९४५ में तथा एक अमरीकी विशेषज्ञ डा० निकेल द्वारा अप्रैल १९४६ में की गई थी। ज़मीन में बहुत से सूराख कर के भी जांच की गई थी और १९४८ से मौक़े पर भारत सरकार का एक भूतत्वशास्त्री भी

[श्री नन्दा]

नियुक्त कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि यह सब काफ़ी अच्छा काम समझा जा सकता है। जहां तक खनिज पदार्थों का प्रश्न है, उसकी जांच करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये थे तथा उस कालावधि में जितनी जांच सम्भव हो सकती थी उतनी करने के लिये वहां एक भूतत्वशास्त्री नियुक्त किया गया था। भूतत्वशास्त्रियों तथा अनुसन्धान अधिकारियों द्वारा विस्तृत अनुसन्धान किये गये तथा मौके पर एक अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित की गई जिसमें सब आवश्यक उपकरण आदि मौजूद हैं।

अब मैं इस बात पर और अधिक नहीं बोलूंगा। अब मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई अन्य समस्या—अर्थात् फ़्रैंच मिशन—के बारे में कुछ कहूंगा। माननीय सदस्य ने जिन अनियमिताओं की ओर निर्देश किया। उनमें एक यह भी थी: सरकार ने "एक फ़्रैंच मिशन से इस सम्बन्ध में परामर्श मांगा था कि हीराकुड के नीचे नदी को जहाज़रानी योग्य बनाना सम्भव है या नहीं तथा सरकार चाहती थी कि उस में से एक नहर खोद दी जाये ताकि जब निर्माण कार्य हो रहा हो तब पानी उसमें चला जाये। फ़्रैंच इंजीनियरों ने जिन्हें इस सम्बन्ध में बहुत अनुभव है क्योंकि उन्होंने अपनी घाटियों में ऐसे कार्य किये हैं, निश्चित रूप से इसके विरुद्ध राय दी। परन्तु, फिर भी पुल बनाया गया जिस पर डेढ़ करोड़ रुपये व्यय हुए" आदि आदि। वास्तव में स्थिति यह है कि मिशन से उन प्रस्थापनाओं का पुनरावलोकन करने की प्रार्थना की गई थी जो पहले ही की जा चुकी थी; इसका अभिप्राय दूसरी राय ज्ञात करना था। उस मिशन की राय भी करीब-करीब वही थी जो हमारे प्रशासन की थी। फ़्रैंच मिशन ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो पहले ही मानी गई प्रस्थापनाओं के विरुद्ध हो। इसी प्रकार सरकार ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो इस मिशन द्वारा की गई सिपारिशों के प्रतिकूल हो।

अब मैं पुल-निर्माण के प्रश्न पर आता हूं। इस के बारे में कहा गया है: "यह एक ऐसा पुल है जिसके नीचे से सम्भवतः पानी कभी बहेगा ही नहीं। यह पुल क्यों बनाया गया है? सरकार ने इस पर डेढ़ करोड़ रुपये क्यों व्यय किये हैं?" पहली बात तो यह है कि मेरी जानकारी में उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी पुल नहीं है जिस के निर्माण पर डेढ़ करोड़ रुपये व्यय हुए हों। राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या ६ पर दो पुल हैं, एक तो वहां है जहां हीराकुड परियोजना प्रशासन एक और निकाय के लिये कार्य कर रहा था और उसकी कुल लागत लगभग ५६ लाख रुपये—उस निकाय द्वारा दी जायेगी। महानदी के ऊपर यह पुल बहुत अच्छा बना हुआ है और इसकी काफी सराहना हुई है। एक और पुल है जिस के निर्माण पर केवल १३ लाख रुपये ख़र्च हुए हैं जिसमें दो लाख रुपये यातायात मंत्रालय द्वारा दिये गये हैं। इस व्यय का कुछ भाग, लगभग २१/४ लाख रुपये, दुहरी रेल लाइन बनाने में उठे थे। ऐसा क्यों करना पड़ा था? और इस में से कुछ धन पुल के आधार को ऊंचा करने में क्यों व्यय करना पड़ा? ऐसा इस लिये किया गया कि यदि नदी में किसी समय जहाज़रानी शुरू हो तो सरकारी ख़र्चा बेकार न चला जाये। इस तरह कोई आधार लाख रुपया जहाज़रानी के लेखे में नाम डाला जा सकता है। पार की एक पत्थर की खान से सामान मंगाने के लिये हमारी एक अपनी रेलवे लाइन है; अतः उस के लिये भी व्यवस्था करनी पड़ी थी। अतएव पुल के सम्बन्ध में या तथाकथित हानि तथा बर्बादी के बारे में जो इतनी लम्बी

चौड़ी बातें कही जाती हैं वे सब निराधार हैं।

माननीय सदस्य ने जो एक और गम्भीर आरोप लगाया वह पक्षपात, प्रान्तवाद, भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्ध रखता है। (**एक माननीय सदस्य** : क्या इस में कोई सन्देह है ?) इस में तो कोई सन्देह नहीं है कि पक्षपात तथा भ्रष्टाचार कुछ सीमा तक देश भर में हर स्थान पर विद्यमान हो। (**एक माननीय सदस्य** : सारी दुनिया में) अतएव यदि मुझ से यह कहा जाता है कि मैं इस आरोप का स्पष्ट खंडन कर दूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। बातें तो इस ढंग से कही गई थीं कि मानो उस जगह भ्रष्टाचार का बोल बाला है। असली चिंता की बात तो यह है। इस भ्रष्टाचार के दो भाग हैं—एक का सम्बन्ध ठेकेदारों से है और दूसरे का कर्मचारी वर्ग से। आलोचना का तात्पर्य यह था कि उड़ीसा के लोगों को कोई ठेके नहीं दिये गये। इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। ठेका बोर्ड द्वारा स्वीकृत ४२६ ठेकेदारों में से १६४ उड़ीसा के हैं। सबसे बड़ा ठेका उड़ीसा के ही एक सार्थ "कालिंगा कम्पनी" को दिया गया है। हीराकुड बांध तथा उससे मिली अन्य योजनाओं में ठेकेदारों की मार्फ़त कुल २ करोड़ ४४ लाख रुपये का काम कराया गया। इस में से कोई एक करोड़ रुपये के ठेके उड़ीसा के ही लोगों को दिये गये। मैं समझता हुं कि ठेकेदारों के विषय में तो अब मैं कुछ अधिक नहीं बोलूं। यह प्रश्न तो स्पष्ट है। ठेकेदारों की एक स्वीकृत सूची है और उड़ीसा के जिस ठेकेदार ने भी अपना नाम इस सूची में सम्मिलित करवाना चाहा उसे कभी मना नहीं किया गया। सच तो यह है कि जो ठेकेदार अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं उनमें से बहुत से मौके पर सामने नहीं आते। अतएव काम उन लोगों के सुपुर्द कर दिया जाता है जो ऐसा करने को सक्षम हों और उनमें से बहुत से उड़ीसा के होते हैं।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या ठेकों की सूचना समाचारपत्रों में छापी गई थी ?

श्री नन्दा : उस विषय पर भी मैं आ रहा हूं।

सगे सम्बन्धियों का प्रश्न भी उठाया गया था। सच तो यह है कि कोई भी ठेकेदार ऐसे पदाधिकारी के अधीन काम नहीं कर सकता जो उसका सम्बन्धी हो; ऐसा नियम है।

कर्मचारियों में उड़ीसा के कितने लोग हैं, यह बतलाने के लिये मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। यह कहना ठीक नहीं है कि इस परियोजना के अन्तर्गत सेवा-युक्त पदाधिकारियों में उड़ीसा का कोई नहीं है। परियोजना के अन्तर्गत कुल ८९ गज़ेटेड पदाधिकारी सेवायुक्त हैं; इन में उड़ीसा के लोगों की संख्या कोई २० प्रतिशत है। इनमें एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर और तीन एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर भी शामिल हैं। अगज़ेटेड कर्मचारियों की कुल संख्या ४७६ है जिस में से ११८ उड़ीसा के रहने वाले हैं।

यह प्रश्न तो उस समय उठ सकता था—और इस का जवाब भी उसी दशा में दिया जाना चाहिये था—जब यह सिद्ध हो जाता कि उड़ीसा के एक भी उपयुक्त आदमी को भर्ती नहीं किया गया या वहां काम करने का अवसर नहीं दिया गया। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया गया। वास्तव में, तथ्य तो यह है कि उड़ीसा सरकार से कितनी ही बार अपने पदाधिकारी देने को कहा गया था। ऐसे केवल दो पदाधिकारियों को ही नहीं लिया गया क्योंकि उनका पूर्ववृत्त (रिकार्ड) खराब था। दूसरों को

[श्री नन्दा]

इसीलिये रखा गया क्योंकि उड़ीसा से और पदाधिकारी प्राप्त नहीं थे। आखिर, किसी परियोजना को चलाने के लिये कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत तो होती ही है। बात यह हुई है कि उस समय पश्चिमी पंजाब तथा सिंध के विस्थापित व्यक्ति प्राप्त थे। अतः उन्हें रख लिया गया। तो इस में आगे क्या नुकसान हुआ ? यदि ऐसा न किया गया होता तो सम्भवतः परियोजना का काम न चलता। समय समय पर उड़ीसा सरकार से परियोजना का कार्य अपने हाथ में लेने के लिये कहा गया। उससे कहा गया कि कम से कम नहरों के निर्माण का कार्य तो अपने हाथ में ले ले। परन्तु यह उस का भी दोष नहीं है। आखिर, यह एक ऐसा काम है जिसे पूरा करने के लिये अत्यधिक अनुभव की ज़रूरत है और साथ में कर्मचारियों का प्राप्य होना भी आवश्यक है। हो सकता है कि उसने इस काम को इसी ढंग से होने देने का निर्णय करके बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया हो। अतः यह नहीं कहा जाना चाहिये कि उड़ीसा में किसी के साथ अन्याय किया गया।

मैं यह भी कहूंगा कि हमें अपने पदाधिकारियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें। हम चाहते हैं कि सब काम तेज़ी के साथ तथा कुशलतापूर्वक किये जायें। यदि हम इसी प्रकार उनकी बदनामी करते रहे और उनके बारे में ऐसी चर्चा करते रहे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा।

उससे तो उनका नैतिक साहस कम हो जायेगा और इसका परिणाम यह होगा कि काम अच्छा नहीं होगा। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार तथा पक्षपात बिल्कुल ही नहीं है। हो सकता है यह चीज़ें हों—और मुझे यक़ीन है कि ऐसा है। मुझे नगरपालिकाओं तथा ऐसी ही अन्य निकायों द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण-कार्यों के बारे में व्यक्तिगत अनुभव है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि वहां भ्रष्टाचार आदि मौजूद है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे निकालें। परन्तु, यह इस प्रकार नहीं निकलेगा। हम सब यह चाहते हैं कि पक्षपात तथा भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिये जायें। परन्तु इस के लिये बहुत सी बातें की जानी हैं। हमें इसके लिये समाज का नैतिक उत्थान करना होगा और जनमत को संगठित करना होगा। इसके लिये अन्य उपाय हैं—यह नहीं कि कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध बातें कही जायें जो वहां जा कर अपनी सफ़ाई पेश करने में असमर्थ हैं।

फिर, ठेकों के विषय में यह कहा गया कि उनकी सूचनायें प्रकाशित नहीं की गईं। यह ग़लत है। दो लाख से ऊपर के सब ठेके टैंडर मांग कर और टैंडर की सूचना समाचारपत्रों आदि में प्रकाशित करके दिये जाते हैं। अब तो इस से कम राशि के ठेके भी इसी प्रकार दिये जाते हैं।

यह भी कहा गया कि हीराकुड में कोई दरों की अनुसूची नहीं थी, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई। दरों की अनुसूची तो वहां शुरू से रही है और वह "ठेका बोर्ड" द्वारा उसके बनते ही, स्वीकृत भी कर दी गई थी, उस में समय समय पर, स्थिति के अनुसार, रूपभेद किये जाते रहे हैं।

हीराकुड के सम्बन्ध में एक दो बातें और कही गई थीं। एक कुछ भैंसों (मादा) के सम्बन्ध में थी। मैं ने इस विषय में काफी छानबीन की और इस परिणाम पर पहुंचा कि किन्हीं मादा भैंसों के कारण परियोजना के नाम कुछ नहीं पड़ा। हां,

कुछ भैंसे अवश्य परियोजना के अन्तर्गत कुछ काम कर रहे थे। दूसरी बात सरकारी सम्पत्ति के निजी प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में थी। मुझे विश्वास दिलाया गया है कि किराये का निर्धारण किये बिना किसी सरकारी सम्पत्ति का निजी प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं किया गया।

अतिव्यय तथा अनियमिताओं का उल्लेख करते हुए स्लीपरों का उदाहरण दिया गया। वास्तव में यह अजीब सी बात लगती है कि स्लीपर पंजाब से मंगाये गये। निश्चय ही उड़ीसा में ये मिल सकते हैं। मैं ने इस प्रश्न की छानबीन की है तथा मेरी अपनी धारणा यह है कि वास्तव में बात यों हुई : कुछ काम ऐसा किया जाना था जिसके लिये एक विशेष समय के भीतर स्लीपरों की आवश्यकता थी। सम्बन्धित इंजीनियर ने स्लीपर वहीं खरीदने की कोशिश की। उस ने भंडार विभाग (स्टोर्स डिवीज़न) से पूछताछ की; उसने उड़ीसा के मुख्य वन-रक्षक (चीफ़ कंज़रवेटर आफ फारेस्ट) से बातचीत की थी। परन्तु कहीं से भी स्लीपर आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सके। अतः पंजाब के वन-रक्षक (कंज़रवेटर आफ फारेस्ट) से आवेदन किया गया और उन्होंने स्लीपरों का प्रदाय किया। तो स्लीपरों के बारे में स्थिति यह है।

मैं देखता हूं कि हीराकुड बांध परियोजना में बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। वहां इंजीनियर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि दामोदर घाटी निगम, भाकरा-नंगल तथा अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये मुझे और समय मिलेगा या नहीं। हां, इस परियोजना के बाद में मैं इस वक्त डा० सेवेज के निम्न विचार उल्लिखित कर के यह बताऊंगा कि उस में क्या प्रगति हो रही है। डा० सेवेज ने मार्च, १९५२ में हीराकुड बांध का निरीक्षण किया था। उन्हों ने कहा है :

> "....मैं पिछली बार जब यहां आया था तब से परियोजना ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और इस के लिये मैं सब इंजीनियरों तथा निर्माण-कार्य से सम्बन्धित अन्य सब लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से मैं श्री कंवर सैन को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्हों न इस महत्वपूर्ण परियोजना के डिज़ायन तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य को बड़ी तेज़ी के साथ कराने में सफलता प्राप्त की है।"

तब से बहुत कुछ हो चुका है। समय सीमित होने के कारण मैं उस कालावधि में हुए सम्पूर्ण कार्य के बारे में उन के विचार पढ़ कर नहीं सुना सकता। मुझ से पूछा जा सकता है कि क्या मैं जांच कर के इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस परियोजना का सब काम बिल्कुल ठीक चल रहा है और कोई भी असन्तोषजनक बात नहीं हुई है। नहीं, मैं यह दावा नहीं कर सकता। मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ ग़लत बातें हुई हैं। उदाहरण के लिये, कुछ समय तक सामान का हिसाब किताब ठीक ठाक नहीं था। इस का उत्तर उन्हों ने यही दिया था कि कर्मचारियों की कमी थी। उत्तर चाहे कुछ भी हो किन्तु यह सच है कि कुछ समय तक स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही। परन्तु ताज़ी सूचना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा शिल्पि सहयोग डिवीज़न से सम्बद्ध एक विशेषज्ञ ने जो इस स्थान को देखने गये थे, यह पता लगाया कि सामान, लेखाओं तथा संगठन सम्बन्धी स्थिति इस समय अति सन्तोषजनक है।

श्री बेलायुधन : क्या सामान की कोई सूची नहीं थी ?

श्री नन्दा : मैं सामान की स्थिति की पूर्ण जांच करवा रहा हूं और माननीय सदस्यों को

[श्री नन्दा]

इस बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। मैं उन्हें अपने विश्वास में लूंगा। और उन्हें उन निष्कर्षों में अवगत कराऊंगा जिन पर कि मैं पहुंचा हूं। मैं उन्हे सब बातें बतलाऊंगा, किन्तु इस समय मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

अन्य बातें भी थीं। उदाहरण के लिए, परियोजना की आर्थिक व्यवस्था, पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा कार्यालय प्रशासन के बीच सामंजस्य नहीं था। उस से बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। यह भी एक जांच का विषय है, जिस के बारे में कई प्रश्न पूछे गये हैं। मुझे एक आन्तरिक प्रतिवेदन तो मिल गया है और अन्तिम प्रतिवेदन मिलने वाला है। हां, इस जगह मैं इस आरोप का भी उल्लेख कर दूं जो प्रायः हम पर लगाया जाता है, अर्थात् "जांच समितियां नियुक्त की जाती हैं, उन के प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, परन्तु सरकार उन्हें सदन पटल पर नहीं रखती।" माननीय सदस्यों के ध्यान में जो दो प्रतिवेदन हैं उनके सम्बन्ध में मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि इन दोनों प्रतिवेदनों में हमारे ऊपर चाहे कोई भी आक्षेप हो मैं उन्हें सदन से कभी नहीं छिपाऊंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यह है कि हम ऐसी दशायें उत्पन्न करें जिन में कि माननीय सदस्यों को यह सन्तोष हो जाये कि हम नदी के पानी रूपी राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करने और उस का पूर्ण उपयोग करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रतिवेदनों में ऐसी कोई भी बात नहीं की जो किसी भी रूप में सरकार के लिये अशुभ हो, और हम मंत्रालय समिति के प्रतिवेदन को भी सदन पटल पर शीघ्र रख सकेंगे। वितीय व्यवस्था विषयक प्रतिवेदन भी माननीय सदस्यों के समक्ष रख दिया जायेगा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।